



राजस्थान आवासन मण्डल

राजस्थान आवासन बोर्ड अधिनियम 1970 के तहत गठित राजकीय उपक्रम
(राजस्थान अधिनियम संख्या 4 सन् 1970)



प्रशासनिक प्रगति प्रतिवेदन
वित्तीय वर्ष 2022-23 (दिसम्बर 2022 तक)



सिटी पार्क, मानसरोवर, जयपुर



मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजना, जयपुर




कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान, जयपुर



ए.आई.एस. रेजीडेन्सी आवासीय योजना



जयपुर चौपाटी, मानसरोवर, जयपुर



जयपुर चौपाटी, प्रताप नगर, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल
प्रशासनिक प्रगति प्रतिवेदन
वित्तीय वर्ष 2022–23 (दिसम्बर 2022 तक)

विषय सूची

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1	सामान्य	1
2	आवास निर्माण /आवंटन	1
3	वित्त प्रबन्धन	1
4	पंजीकरण प्रक्रिया	2
5	गुणवत्ता नियंत्रण	13
6	आवासन मण्डल की कॉलोनी में नागरिक सुविधाएँ	14
7	प्रचार प्रसार	14
8	राशि संग्रहण केन्द्र	14
9	समस्याओं का समयबद्ध निराकरण	18
10	कम्प्यूटरीकरण	19
11	भूमि अवाप्ति	20
12	भौतिक प्रगति	20
13	वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के ग्राफ	21–24
14	पारदर्शिता बढ़ाने हेतु एवं आवंटी उन्मुख महत्वपूर्ण निर्णय	25
15	महत्वपूर्ण निर्णय, अभिनव प्रयोग एवं नवाचार	27
16	मण्डल की जनकल्याणकारी योजनाएँ	34
17	अफोर्डेबल हाउसिंग योजना–2009	52
18	रियल एस्टेट रेगुलेटरी ऑथरिटी (RERA)	52–57
तालिकाएं		
I	निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये गये शहर/कस्बों की सूची	58
II.a	शहरवार/आयवर्ग अनुसार आवासों का प्रारम्भ/ पूर्ण की सूची	59–60
II.b	शहरवार/आयवर्ग अनुसार आवासों का आवंटन/ कब्जे की सूची	61–62
III.a	नये आवास प्रारम्भ (आय वर्गानुसार/वर्षवार)	63
III.b	आवास पूर्ण किये गये (आय वर्गानुसार/वर्षवार)	64
III.c	आवासों का आवंटन (आय वर्गानुसार/वर्षवार)	65
III.d	आवासों का कब्जा देना (आय वर्गानुसार/वर्षवार)	66
IV.a	धारा 4(1) मण्डल स्तर पर प्रक्रियाधीन भूमि अवाप्ति के प्रकरण	67
IV.b	धारा 11(1) राज्य सरकार स्तर पर प्रक्रियाधीन भूमि अवाप्ति के प्रकरण	67
IV.c	विशेषाधिकारी स्तर पर प्रक्रियाधीन भूमि अवाप्ति के प्रकरण	67
V	पुरस्कार	68–69
VI a-c	स्वीकृत–कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरण	70–73
VII	मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय की ई–मेल सूची	74–78
VIII	जिलेवार आवासन मण्डल के नोडल अधिकारियों की सूची	79–81
IX	प्रशासनिक ढॉचा	82
X	अध्यक्ष एवं आवासन आयुक्त की पदस्थापना सूची	83–84



राजस्थान आवासन मण्डल

प्रशासनिक प्रगति प्रतिवेदन

वित्तीय वर्ष 2022–23

(माह दिसम्बर 2022 तक)



1. सामान्य

प्रदेश में बढ़ते औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण के कारण उत्पन्न हुई आवासीय समस्या के समाधान के उद्देश्य से 24 फरवरी, 1970 को राजस्थान आवासन मण्डल की स्थापना की गई। राजस्थान आवासन मण्डल सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाओं से युक्त आवासीय योजनाएँ विकसित कर सभी वर्गों के लिए उचित कीमत पर आवास उपलब्ध कराने की दिशा में अपनी सक्रिय भूमिका निभाता रहा है। आवासन मण्डल द्वारा विकसित की गयी आवासीय योजनाओं में कुल निर्मित आवासों में से लगभग 60 प्रतिशत से अधिक आवास आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग के पंजीकृत आवेदकों के लिए निर्मित किये जाते हैं।

2.1 आवास निर्माण / आवंटन

आवासन मण्डल ने स्थापना से अब तक प्रदेश के 67 शहरों/कस्बों में विभिन्न वर्गों हेतु कुल 2,59,682 आवासों/फ्लैट्स का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया इनमें से 2,52,572 आवासों/फ्लैट्स पूर्ण किये जाकर 2,40,529 आवासों/फ्लैट्स का कब्जा संबंधित आवंटियों को दिया जा चुका है। राज्य के 16 शहर/कस्बों में विभिन्न आय वर्ग के 7,110 आवासों/फ्लैट्स का निर्माण कार्य प्रगति पर है। आवासन मण्डल की स्थापना से अब तक निर्माण कार्यों पर रु. 8948 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

2.2 वित्त प्रबन्धन

वर्तमान में आवासीय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्त का प्रबंध स्व-वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत आवंटियों से प्राप्त राशि तथा वाणिज्यिक एवं आवासीय सम्पत्तियों के समयबद्ध निस्तारण द्वारा किया जा रहा है। पूर्व के वर्षों में नेशनल हाउसिंग बैंक (एन.एच.बी.) के ऋण का त्रैमासिक किश्तों में पुनर्भुगतान किया जा रहा था जो वित्त वर्ष 2019–20 के अंत तक पूर्ण रूप से पुनर्भुगतान किया जा चुका है। इस प्रकार अब आवासन मण्डल पर किसी भी प्रकार का ऋणभार विद्यमान नहीं है। आवासन मण्डल की योजनाओं के विकास हेतु राज्य सरकार एवं भारत सरकार से किसी भी प्रकार का अनुदान/वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होती है।

3. पंजीकरण प्रक्रिया

3.1 पंजीकरण पुस्तिका

नई आवासीय योजनाओं के लिए निर्धारित पंजीकरण पुस्तिका का विक्रय मूल्य आदेश क्रमांक मुसप्र/2013/563 दिनांक 17.07.2014 द्वारा 300.00 रु. निर्धारित है।

3.2 पंजीकरण की प्रोसेसिंग फीस

आवासीय योजनाओं में विभिन्न आय वर्ग के आवेदकों के पंजीकरण हेतु आदेश क्रमांक मुसप्र/2013/765 दिनांक 8.08.2013 द्वारा प्रोसेसिंग फीस निम्नानुसार निर्धारित हैः—

आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग (अ)	मध्यम आय वर्ग (ब)	उच्च आय वर्ग
रु 500.00	रु 700.00	रु 1000.00	रु 1500.00	रु 2000.00

प्रोसेसिंग फीस पुनर्भुगतान/समायोजन योग्य नहीं है।

3.3 आय वर्ग एवं पंजीकरण राशि

आवास लेने का इच्छुक कोई भी भारतीय नागरिक, आवासन मण्डल में पंजीकरण करा सकता है। विभिन्न आय वर्ग के आवासों के लिए विभिन्न आवासीय योजनाओं में पंजीकरण हेतु आवेदकों की वार्षिक आय सीमा आदेश क्रमांक मुसप्र/का.आ./2019/323 दिनांक 09.07.2019 एवं पंजीकरण राशि आदेश क्रमांक मुसप्र/2009/481 दिनांक 29.06.2009. से निम्नानुसार निर्धारित है :—

(अ) वार्षिक आय एवं पंजीकरण राशि (सामान्य)

क्र. सं.	आवेदक का आय वर्ग	वार्षिक आय	पंजीकरण राशि
1.	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	3,00,000 तक	7,000
2.	अल्प आय वर्ग	3,00,001 से 6,00,000 तक	15,000
3.	मध्यम आय वर्ग "अ"	6,00,001 से 12,00,000 तक	50,000
4.	मध्यम आय वर्ग "ब"	12,00,001 से 18,00,000 तक	80,000
5.	उच्च आय वर्ग	18,00,001 एवं अधिक	1,20,000

अल्प आय वर्ग से उच्च आय वर्ग तक के अवैतनिक श्रेणी के शहरी क्षेत्र के आवेदकों द्वारा आवेदन फार्म के साथ दिये जाने वाले आय के शपथ पत्र के स्थान पर आयकर विवरणिका एवं ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों से आय हेतु मूल

निवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाकर उनके स्वामित्व की उपलब्ध भूमि से प्राप्त होने वाली आय को आधार माना गया है।

(ब) पंजीकृत आवेदकों को आय वर्ग परिवर्तन की सुविधा

आदेश क्रमांक: मुसप्र/बो.मी.-238/आय वर्ग परिवर्तन/2019/683 दिनांक 18.09.2019 के द्वारा पंजीकृत आवेदकों को अपनी वर्तमान आय अनुसार आयवर्ग में परिवर्तन करने की सुविधा दी गई है। इस हेतु सभी उप आवासन आयुक्तों को अधिकृत किया गया है।

(स) मुख्यमंत्री जन आवास योजना हेतु वार्षिक आय का निर्धारण

आवासन मण्डल द्वारा जारी आदेश क्रमांक मुसप्र/2018/713 दिनांक 10.09.2018 के अनुसार मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत भविष्य में प्रारम्भ की जाने वाली आवासीय योजना के पंजीकरण हेतु आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के आवेदकों को आयवर्गानुसार दो श्रेणी में यथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग—प्रथम (वार्षिक आय सीमा रु 1,50,000 तक) तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग—द्वितीय (वार्षिक आय सीमा रु 1,50,001 से 3,00,000 तक) में विभक्त किया गया है।

(द) स्ववित्त पोषित योजना के आवेदकों हेतु पंजीकरण राशि

आदेश क्रमांक मुसप्र/2009/481 दिनांक 29.06.2009 द्वारा स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत पंजीकरण राशि आवास की लागत की 10 प्रतिशत लिये जाने का प्रावधान है तथा आदेश क्रमांक प.149/मुसप्र/नवीन पंजी. योजना/2012/3068 दिनांक 02.04.2012 द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों हेतु निर्धारित पंजीकरण राशि की 50 प्रतिशत राशि जमा कराने की सुविधा है। इसके अतिरिक्त आदेश क्रमांक मुसप्र/794 दिनांक 17.05.07 द्वारा वर्तमान सैनिकों के समान ही भूतपूर्व सैनिकों/ विरांगनाओं को निर्धारित पंजीकरण राशि का 1/10 भाग जमा कराने की सुविधा है।

3.4 बहुमंजिले आवासों हेतु पंजीकृत आवेदकों के मूल आय वर्ग परिवर्तन के प्रावधान

बड़े शहरों में भूमि की सीमित उपलब्धता के मध्यनजर बहुमंजिले आवासों के निर्माण किये जाने से आदेश क्रमांक मुसप्र/2009/481 दिनांक 29.06.2009 के द्वारा निम्नानुसार प्रावधान निर्धारित किये गये:—

- बहुमंजिले आवासों के पंजीकरण हेतु आवेदक के मूल आयवर्ग से दो आयवर्ग नीचे
अथवा दो आयवर्ग ऊपर के आवास हेतु पंजीकरण करवाये जा सकेंगे।
- पात्रता आयवर्ग से ऊपर के आवासों के पंजीकरण नकद भुगतान पद्धति पर भी मान्य होंगे।

- आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अल्प आयवर्ग के आवासों हेतु मध्यम आयवर्ग (ब) व उच्च आयवर्ग के पात्र आवेदक आवेदन नहीं कर सकेंगे तथा पात्रता आयवर्ग से नीचे की श्रेणी में आवेदन करने पर मूल पात्रता के आवेदक को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
- पंजीकरण राशि आवास के आयवर्ग अनुसार ली जायेगी।

3.5 पंजीकरण राशि पर निम्न दर से ब्याज देय है :-

लागत सिद्धान्त-2010 के अनुसार पंजीकरण राशि एवं पूर्व ग्रहण राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक अथवा आवंटन पत्र जारी होने की तिथि को लागू ब्याज देय होगा। स्वित पोषित योजना के आवेदकों को ब्याज देय नहीं होगा।

3.6 पंजीकरण राशि की वापसी

पंजीकरण की तिथि के डेढ़ वर्ष के बाद किन्तु पूर्वग्रहण राशि माँगपत्र जारी करने से पूर्व रिफण्ड की माँग करने पर पंजीकरण राशि निर्धारित ब्याज सहित वापिस ली जा सकेगी। आरक्षण पत्र जारी होने के बाद आरक्षण राशि जमा नहीं करवाने अथवा आवास आवंटन के बाद राशि जमा नहीं करवाने अथवा आवास नहीं लेने के कारण पंजीकरण निरस्त किये जाने की अवस्था में पंजीकरण राशि में 20 प्रतिशत कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज के भुगतान कर दी जाती है।

दिनांक 01.09.2020 से प्रारम्भ की गयी योजनाओं एवं आगे प्रारम्भ की जाने वाली योजनाओं में सफल आवेदकों द्वारा कब्जा राशि जमा कराने से पूर्व यदि आवेदक जमा राशि का रिफण्ड चाहता है तो आदेश क्रमांक वसूली/2020-21/469 दिनांक 29.09.2020 एवं रेरा से रजिस्ट्रर्ड पंजीकरण योजनाओं में आदेश क्रमांक मुसप्र/2022/807 दिनांक 27.12.2022 के तहत निम्नानुसार कटौती की जायेगी :—

क्र. स.	प्रारम्भ की जाने वाली योजनायें	श्रेणी (आय वर्ग)	कटौती की जाने वाली राशि
1	दिनांक 01.09.2020 से प्रारम्भ एवं आगे प्रारम्भ की जाने वाली योजनायें	EWS/LIG	अनुमानित लागत का अधिकतम 5 प्रतिशत तक (मय जीएसटी)
2	दिनांक 01.09.2020 से प्रारम्भ एवं आगे प्रारम्भ की जाने वाली योजनायें	MIG-A/ MIG-B/ HIG	अनुमानित लागत का अधिकतम 10 प्रतिशत तक (मय जीएसटी)

3.7 पंजीकरण का हस्तांतरण

(अ) पंजीकृत आवेदक द्वारा अपने निकट सम्बन्धियों के नाम हस्तांतरण, मूल आवंटी की मृत्यु के उपरान्त वैधानिक उत्तराधिकारी के नाम हस्तांतरण, किराया क्रय पद्धति से नगद भुगतान में पंजीकरण हस्तांतरण एवं मण्डल से पंजीयन (रजिस्ट्री) के उपरान्त अन्य क्रेता द्वारा मण्डल के रिकॉर्ड में अपना नाम परिवर्तन इत्यादि हेतु प्रशासनिक शुल्क आवासन मण्डल के आदेश क्रमांक—मुसप्र / 2013 / 1642 दिनांक 20.01.2014 द्वारा निम्नानुसार निर्धारित / संशोधित किया गया है :—

- मूल आवंटी के नाम के साथ निकट सम्बन्धी के नाम जोड़ने के सभी आय वर्ग के प्रकरणों में रु. 2000/- प्रति प्रकरण प्रक्रिया शुल्क वसूलनीय होगा।
- मूल आवंटी की मृत्यु होने पर उसके वैधानिक उत्तराधिकारियों के नाम प्रतिस्थापित करने पर सभी आय वर्गों के प्रकरणों में रु. 2000/- प्रति प्रकरण प्रक्रिया शुल्क वसूलनीय होगा।
- किराया क्रय पद्धति से नकद भुगतान पद्धति के पंजीकरण/आवंटन को निकट सम्बन्धियों के नाम हस्तांतरण शुल्क में आंशिक संशोधन करते हुये निम्नानुसार शुल्क वसूलनीय होगा :—

आ.दृ.क. आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग—अ	मध्यम आय वर्ग—ब	उच्च आय वर्ग
500/-रु.	500/-रु.	1000/-रु.	2500/-रु.	5000/-रु.

- प्रथम पंजीयन के उपरान्त अनुवर्ती पंजीयन करवाकर बोर्ड के रिकॉर्ड में नाम परिवर्तन कराने पर पश्चातवर्ती पंजीयन के आधार पर प्रशासनिक शुल्क में आंशिक संशोधन करते हुये निम्नानुसार शुल्क वसूलनीय होगा :—

आ.दृ.क. आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग—अ	मध्यम आय वर्ग—ब	उच्च आय वर्ग
5000/-रु.	5000/-रु.	10000/-रु.	15000/-रु.	20,000/-रु.

- विधिक प्रभार—मण्डल की आवासीय योजनाओं के विभिन्न आवंटियों द्वारा दायर विभिन्न कोर्ट केसेज में मण्डल द्वारा वहन किये जा रहे व्यय के मद्देनजर प्रत्येक आवास, भूखण्ड, प्लिन्थ, वाणिज्यिक भूखण्ड, संरथानिक भूखण्ड के आवंटन पत्रों में निम्नानुसार विधिक शुल्क वसूलनीय होगा :—

आ.दृ.क. आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग—अ	मध्यम आय वर्ग—ब	उच्च आय वर्ग
200 /—रु.	300 /—रु.	500 /—रु.	1000 /—रु.	2,000 /—रु.

संस्थानिक आवंटन	वाणिज्यिक निर्मित दुकान	वाणिज्यिक भूखण्ड 100 वर्गमीटर तक	वाणिज्यिक भूखण्ड 100 वर्ग मी. से अधिक
10,000 /—रु.	1,000 /—रु.	1,000 /—रु.	5,000 /—रु.

(ब) मृत्यु उपरान्त पंजीकरण/आवंटन हस्तान्तरण :— पंजीकृत आवेदक/आवंटी की मृत्यु के उपरान्त उसके वैधानिक उत्तराधिकारी के नाम पंजीकरण/आवंटन के हस्तान्तरण हेतु आदेश क्रमांक मुसप्र./92/2312 दिनांक 1.12.1992 के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही किये जाने का प्रावधान निहित है :—

- ऐसे पंजीकृत आवेदक/आवंटी जिन्होंने आवेदन पत्र में प्राथमिकता के आधार पर उनकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में पंजीकरण/आवंटन का हस्तान्तरण करने हेतु किसी व्यक्ति को मनोनीत किया हुआ है तो ऐसे प्रकरणों में मनोनयन के आधार पर आवेदक/आवंटी की मृत्यु के पश्चात् उसके पंजीकरण/आवंटन का हस्तान्तरण नियमानुसार औपचारिकता पूर्ण करने पर किया जाएगा।
- जिन प्रकरणों में आवेदक/आवंटी द्वारा उनकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में पंजीकरण/आवंटन के हस्तान्तरण हेतु किसी का मनोनयन नहीं किया गया है, उनमें आवेदक/आवंटी की मृत्यु के पश्चात् पंजीकरण/आवंटन का हस्तान्तरण केवल आवेदक के पति/पत्नि या पति—पत्नि के माता—पिता, भाई—बहिन, पुत्र—पुत्री, पुत्रवधु—दामाद को ही नियमानुसार औपचारिकता पूर्ण करने पर किया जाएगा।
- ऐसे पंजीकृत आवेदक/आवंटी जिन्होंने आवेदन पत्र में उनकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में पंजीकरण/आवंटन का हस्तान्तरण करने के लिये किसी का मनोनयन किया हुआ है किन्तु उसकी मृत्यु के उपरान्त मनोनीत उत्तराधिकारियों सहित अन्य प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों द्वारा पंजीकरण/आवंटन का हस्तान्तरण किसी अन्य उत्तराधिकारी के नाम चाहा जा रहा है तो ऐसी स्थिति में मनोनीत उत्तराधिकारी द्वारा अपने अधिकारों का त्याग कर नियमानुसार वांछित प्रपत्र में उस उत्तराधिकारी के नाम पंजीकरण/आवंटन का हस्तान्तरण करने हेतु अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने पर भी किया जा सकेगा। किन्तु प्रत्येक स्थिति में पंजीकरण का हस्तान्तरण केवल पंजीकृत आवेदक/आवंटी के पति—पत्नि, पति/पत्नि के माता पिता, भाई बहिन, पुत्र—पुत्री, पुत्रवधु—दामाद को ही नियमानुसार औपचारिकता पूर्ण करने पर किया जा सकेगा।

- पंजीकरण/आवंटन/हस्तान्तरण हेतु उप आवासन आयुक्त सक्षम अधिकारी होंगे। यदि किन्हीं मामलों में वैधानिक कठिनाई एवं विशेष परिस्थितियां हो तो ऐसे मामले विधि प्रकोष्ठ के माध्यम से मुख्यालय की अनुमति हेतु प्रेषित किये जायेंगे।

3.8 निःशक्तजन (दिव्यांग) श्रेणी के आवेदकों को बहुमंजिलीय योजनाओं में आवास आवंटन प्रक्रिया में संशोधन :-

बहुमंजिलीय आवासीय योजनाओं में निर्मित फ्लैट्स में निःशक्तजन आवेदकों को भूतल पर ही आवास आवंटन किये जाने का प्रावधान आदेश क्रमांक प./विकलांग/आवास आवंटन/मुसप्र/ 2010/644 दिनांक 07.06.2010 द्वारा जारी किया गया। स्टिल्ट पर पार्किंग व्यवस्था होने की स्थिति में पूर्व आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए आदेश क्रमांक प./विकलांग/आवास आवंटन/मुसप्र/2014/1143 दिनांक 25.11.2014 से पृथक् से निर्धारित आरक्षण के अनुरूप प्रथमतः लॉटरी आयोजित की जाकर प्रथम तल पर फ्लैट्स को आवंटन किया जायेगा एवं इसके उपरान्त शेष बचे फ्लैट्स की लॉटरी द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार शेष आवेदकों को फ्लैट्स को आवंटन किया जायेगा।

3.9 सामान्य एवं विशिष्ट पंजीकरण योजना के आवासों हेतु पूर्व ग्रहण राशि जमा कराने के प्रावधान

इन योजनाओं में आदेश क्रमांक 243 दिनांक 23.05.2011 के अनुसार आवास आवंटन से पूर्व आवेदकों को अपने आय वर्ग के अनुसार आवास आरक्षित करने हेतु पूर्वग्रहण राशि तीन किश्तों में जमा करानी होती है। प्रथम किश्त, पूर्वग्रहण राशि—पत्र जारी होने की तारीख से एक माह के अन्दर एवं दूसरी किश्त उसी पत्र के जारी होने की तारीख के 4 माह के अन्दर तथा तीसरी किश्त का भुगतान उसी पत्र के जारी होने की तारीख से 7 माह के अन्दर या आवास आवंटन के समय जो भी पहले हो, जमा करानी पड़ती है। आदेश क्रमांक मु.स.प्र/2022/807 दिनांक 27.12.2022 के अनुसार पूर्वग्रहण राशि के प्रावधान निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आय वर्ग	पूर्वग्रहण राशि किश्त			
		प्रथम	द्वितीय	तृतीय	योग
1.	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	5,000	5,000	5,000	15,000
2.	अल्प आय वर्ग	10,000	10,000	10,000	30,000
3.	मध्यम आय वर्ग “अ”	40,000	30,000	30,000	1,00,000
4.	मध्यम आय वर्ग “ब”	70,000	70,000	60,000	2,00,000
5.	उच्च आय वर्ग	1,00,000	1,00,000	1,00,000	3,00,000

राज0 आवासन मंडल की रेरा के अन्तर्गत पंजीकृत योजनाओं/ नई पंजीकरण योजनाओं में किराया क्रय पद्धति व नगद भुगतान पद्धति (स्ववित्त पोषित योजना, विशिष्ट पंजीकरण योजना एवं सामान्य पंजीकरण योजना) में रेरा अधिनियम 2016 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार मंडल में प्रचलित सम्पत्ति निस्तारण एवं वित्तिय नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन किये जाने एवं जाने एवं रेरा प्रावधानों के अनुसार आवेदक द्वारा पंजीकरण निरस्त/ वापसी की अवस्था में पंजीकरण राशि (जो लागत के अधिकतम 10 प्रतिशत हो) जब्त की जा सकती है का प्रावधान मंडल में लागू करने हेतु प्रस्ताव मंडल की 248वीं बोर्ड बैठक दिनांक 22.11.2022 में बिन्दु संख्या 248.33 रखा गया। निर्णयानुसार आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग व अल्प आय वर्ग हेतु पंजीकरण/ पूर्वग्रहण राशि तालिका—अ के अनुसार एवं मध्यम आय वर्ग—अ व ब तथा उच्च आय वर्ग के लिये पंजीकरण हेतु तालिका—ब के अनुसार पंजीकरण/ पूर्वग्रहण राशि लिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

तालिका— अ

क्र. स.	आय वर्ग	पंजीकरण राशि	पूर्वग्रहण राशि किश्त			योग
1	आ०द०से कमजोर आय वर्ग	7000	5000	5000	5000	22000
2	अल्प आय वर्ग	15000	10000	10000	10000	45000

तालिका— ब

क्र. स.	आय वर्ग	पंजीकरण राशि	पूर्वग्रहण राशि की किश्तें=अनुमानिक लागत का 10 प्रतिशत—पंजीकरण राशि, शेष राशि का प्रतिशत		
			प्रथम	द्वितीय	तृतीय
1	मध्यम आय वर्ग—अ	50,000	35%	30%	30%
2	मध्यम आय वर्ग—ब	80,000	35%	30%	30%
3	उच्च आय वर्ग	1,20,000	35%	30%	30%

- 3.10 स्ववित्त पोषित योजना के आवासों हेतु आरक्षण राशि जमा कराने के प्रावधान:— स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत मध्यम आय वर्ग “अ”, मध्यम आय वर्ग “ब” एवं उच्च आय वर्ग श्रेणी आवासों के निर्माण हेतु जो आवेदक अपनी स्वयं की पूंजी लगाकर मण्डल से शीघ्र आवास प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे आवेदकों के लिये भूमि की उपलब्धता के अनुसार आवासीय योजनाएँ बनाई जाकर पंजीकरण किये जाते हैं। इन योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित होने वाले आवासों की लागत आदेशमुसप्र/ 2009 / 481 दिनांक 29.06.2009 में निहित प्रावधान

अनुसार आवेदकों से 10 प्रतिशत राशि पंजीकरण के समय एवं शेष 90 प्रतिशत राशि योजना के निर्माण का कार्यादेश जारी करने के पश्चात् आरक्षण पत्र जारी करते हुए निम्नानुसार मांगी जाती है :—

क्र. सं.	आवासों का प्रकार	पंजीकरण राशि	आरक्षण पत्र के पश्चात् प्राप्त की जानी वाली राशि		
			किस्त	समयावधि	राशि
1.	स्वतंत्र आवास	10.00 %	प्रथम	1 माह	22.5 %
			द्वितीय	4 माह	22.5 %
			तृतीय	7 माह	22.5 %
			चतुर्थ	10 माह	22.5 %
2.	बहुमंजिले आवास	10.00 %	प्रथम	1 माह	15.00 %
			द्वितीय	4 माह	15.00 %
			तृतीय	7 माह	15.00 %
			चतुर्थ	10 माह	15.00 %
			पंचम्	13 माह	10.00 %
			षष्ठम्	16 माह	10.00 %
			सप्तम्	19 माह	10.00 %

इस योजना में निर्माण कार्य प्रारम्भ करने हेतु कार्यादेश जारी होते ही किश्तों का मांग पत्र (आरक्षण पत्र) जारी किया जायेगा। स्वतंत्र आवास के लिए निर्माण अवधि (प्रोजेक्ट पीरियड) 18 माह तथा फ्लैट हेतु निर्माण अवधि 30 माह निर्धारित है। निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने पर उपरोक्तानुसार निर्माण अवधि के पश्चात् आवेदक की जमा राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से आवंटन पत्र जारी करने तक ब्याज देय होगा।

निर्माण कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात् आवेदक द्वारा वांछित राशि जमा नहीं कराने / पंजीकरण वापस लेने के फलस्वरूप पंजीकरण निरस्त होने की स्थिति में निर्माण कार्य की प्रगति रोकना संभव नहीं है। अतः स्ववित्त पोषित योजना के पंजीकरण निरस्तीकरण के संबंध में निम्न प्रावधान निर्धारित हैं :—

- पूर्व पंजीकृत आवेदकों द्वारा स्ववित्त पोषित योजना का विकल्प देने के पश्चात् पंजीकरण निरस्तीकरण स्थिति में आवेदक का मूल पंजीकरण भी निरस्त किया जायेगा।
- पंजीकरण निरस्तीकरण की स्थिति में आवेदक की जमा राशि में से निम्नानुसार राशि की कटौती की जायेगी :—
 - वरीयता निर्धारण से पूर्व कोई कटौती नहीं की जायेगी लेकिन जमा राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।

- (ii) वरीयता निर्धारण के पश्चात् पंजीकरण राशि में 5 प्रतिशत की कटौती की जायेगी तथा पंजीकरण राशि पर ब्याज देय नहीं होगा। पंजीकरण के 18 माह तक अगर मण्डल आवासों का निर्माण प्रारम्भ नहीं करता है तो सम्पूर्ण राशि मय ब्याज लौटायी जायेगी।
- (iii) आरक्षण पत्र जारी होने के पश्चात् पंजीकरण राशि की 20 प्रतिशत राशि की कटौती की जायेगी तथा जमा राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।
- (iv) आरक्षण पत्र जारी होने के पश्चात् किश्त जमा कराने की तिथि के बाद समस्त देय राशि की 20 प्रतिशत राशि कटौती की जायेगी तथा जमा राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।
- (v) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं भूतपूर्व / कार्यरत सैनिक एवं उनकी वीरांगनाओं द्वारा जमा कराई गई राशि को ही पंजीकरण राशि माना जायेगा एवं तदनुसार प्रभावी नियमों के अन्तर्गत कटौती कर शेष राशि रिफण्ड की जावे। उक्त प्रावधान आदेश क्रमांक मुसप्र/2021/717 दिनांक 27.10.2021 द्वारा किये गये हैं।

उपरोक्त प्रावधानों में किसी भी अवस्था में अधिकतम कटौती पंजीकरण राशि तक सीमित होगी।

आवासन मण्डल में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत नवीन योजनाओं में पंजीकरण ऑन लाईन प्रारम्भ किया गया है। स्ववित्त पोषित योजना जिसमें पंजीकरण राशि मय प्रोसेसिंग राशि 5.00 लाख रु. से अधिक है, उस स्थिति में 5.00 लाख रु. तक की राशि ऑनलाईन जमा करवाने एवं शेष राशि आरक्षण पत्रानुसार प्रथम किश्त मे जोड़कर जमा कराने का प्रावधान आदेश क्रमांक मुसप्र/2015/1681 दिनांक 30.03.2015 से किया गया।

3.11 आवास आवंटन प्रणाली

वेब बेस्ड प्रणाली द्वारा आवास आवंटन :—राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा वेब बेस्ड प्रणाली द्वारा वरीयता एवं आवास आवंटन की लॉटरी निकाली जा रही है। आवासों की लॉटरी के लिये राजकॉम्प (RISL) द्वारा RHBMS परियोजना के अन्तर्गत सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है, जिसे राजस्थान स्टेट डेटा सेंटर (RSDC) पर संधारित किया जा रहा है। लॉटरी आवंटन की सूचना विभागीय वैबसाईट urban.rajasthan.gov.in/rhb पर लॉटरी निकलने के तत्काल बाद पीडीएफ (Pdf) फार्मेट में अपलोड कर दी जाती है। आवासों का आवंटन “डिस्पोजल ऑफ प्रोपर्टी रेग्यूलेशन्स-1970”, “पंजीकरण और आवंटन की संशोधित प्रक्रिया 1981” एवं इस सम्बन्ध में जारी संशोधनों एवं परिपत्रों के तहत किया जाता है। पंजीकृत आवेदकों की वरीयता का निर्धारण पंजीकरण वर्ष, आय वर्ग, भुगतान पद्धति के विकल्प तथा आरक्षित वर्ग अनुसार किया जाता है। आवासों का निर्माण शुरू होने पर वरीयतानुसार आवेदकों को आवास

हेतु पूर्व ग्रहण राशि पत्र जारी कर पूर्व ग्रहण राशि एवं स्ववित्त पोषित योजना के आवेदकों को आरक्षण पत्र जारी कर आरक्षण राशि की मांग की जाती है।

3.12 वर्गावास आरक्षण का प्रावधान

विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं को देखते हुए निर्मित आवासों के आवंटन में आरक्षण का प्रावधान आदेश क्रमांक अ.मु.अ.(पीएणडएम) / रा.आ.म. / 2012 / 303 दिनांक 04.10.2012 द्वारा निम्नानुसार प्रभावी किया गया है :—

क्र. सं.	वर्ग	आवेदक की श्रेणी	आरक्षित कोटा
1.	जी-1	वैतनिक श्रेणी—प्रथम (केन्द्र सरकार के कर्मचारी तथा केंद्रीय एवं राज्य सरकार के बोर्ड/निगम के कर्मचारी/प्राईवेट सैक्टर में कार्यरत कर्मचारी) वैतनिक श्रेणी—द्वितीय (राज्य सरकार के कर्मचारी, अधिकारी)	18.00 प्रतिशत 10.00 प्रतिशत
2.	जी-2	सामान्य श्रेणी प्रोफेशनल श्रेणी केवल प्रोफेशनल्स एडवोकेट, चार्टर्ड एकाउन्टेंट एवं प्राईवेट डॉक्टर्स	29.00 प्रतिशत 05 प्रतिशत
3.	जी-3	आवासन मण्डल कार्मिक (बोर्ड कर्मचारी)	01 प्रतिशत
4	जी-4	अनुसूचित जाति	16 प्रतिशत
5.	जी-5	अनुसूचित जन जाति	12 प्रतिशत
6.	जी-6	वर्तमान एवं भूतपूर्व विधायक/सांसद/अधिस्वीकृत पत्रकार	1.5 प्रतिशत
7.	जी-7	स्वतंत्रता सैनानी	0.5 प्रतिशत
8.	जी-8	भू. सैनिक एवं सैनिकों की विधवाएं	03 प्रतिशत
9.	जी-9	विकलांग (अंधता/शारीरिक/मूक बधिर)	01 प्रतिशत 01 प्रतिशत 01 प्रतिशत
10.	जी-10	वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिक एवं ऐश्वियाड़/ओलम्पिक पदक प्राप्त खिलाड़ी	01 प्रतिशत
		योग	100.00 प्रतिशत

3.13 पंजीकरण में आवेदक के निकट सम्बन्धी का नाम जोड़ने बाबत

किसी भी पंजीकृत आवेदक द्वारा आवेदन करने पर उसके पंजीकरण में उसकी इच्छानुसार आवेदक के पुत्र, पुत्री, पुत्रवधु, दामाद, माता—पिता, भाई—बहन, पति—पत्नी ही सम्मिलित किये जा सकेंगे। ये नाम आवास की रजिस्ट्री होने

तक कभी भी जोड़े जा सकते हैं। इससे आवेदक को आवास हेतु वित्तीय संस्थाओं से पर्याप्त ऋण आसानी से प्राप्त हो सकेंगे तथा आवेदक को आवास प्राप्त करने के लिए धन की व्यवस्था करने में सुविधा होगी।

3.14 भुगतान पद्धति में परिवर्तन के सम्बन्ध में

मण्डल में नियमानुसार किराया क्रय पद्धति में पंजीकृत आवेदकों को पंजीकरण नकद भुगतान पद्धति में परिवर्तित कराने की सुविधा है, किन्तु विपरीत पद्धति में परिवर्तन पूर्णतया प्रतिबंधित है।

3.15 किश्तों पर देय ब्याज दर

आदेश क्रमांक एफ.2(3)लागत/1030/561 दिनांक 09.03.2006 एवं यथा संशोधित आदेश क्रमांक 586 दिनांक 11.03.2010 से आवासन मण्डल द्वारा विभिन्न आयवर्गों के आवंटित आवासों के आवंटियों से लागत में प्रभारित की जा रही एवं किराया क्रय पद्धति के अन्तर्गत आवंटित आवासों के आवंटियों से सितम्बर 2019 तक वसूली जाने वाली ब्याज दर निम्नानुसार निर्धारित है :-

क्र. सं.	आय वर्ग	ब्याज दर प्रतिशत	मासिक किश्तों की अवधि
1.	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	9.00%	240 माह
2.	अल्प आय वर्ग	12.00%	240 माह
3.	मध्यम आय वर्ग (अ)	12.75%	156 माह
4.	मध्यम आय वर्ग (ब)	13.25%	156 माह
5.	उच्च आय वर्ग	13.75%	156 माह

आदेश क्रमांक एफ.2(3)लागत/1030/561 दिनांक 09.03.2006 के अनुसार विभिन्न आय वर्गों के आवंटित आवासों पर परियोजना अवधि पर लिये जाने वाले ब्याज तथा किराया क्रय पद्धति में आवंटित आवासों के आवंटियों से वसूल किये जा रहे ब्याज की दर आदेश क्रमांक एफ.2(3)लागत/1017/1097 दिनांक 23.12.2015 द्वारा दिनांक 01.10.2015 के बाद प्रारम्भ होने वाली नवीन पंजीकरण योजनाओं के लिए निम्नानुसार संशोधित की गई :-

क्र. सं.	आय वर्ग	पूर्व में प्रभावी ब्याज दर	संशोधित ब्याज दर
1.	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	9.00%	8.00%
2.	अल्प आय वर्ग	12.00%	9.00%
3.	मध्यम आय वर्ग (अ)	12.75%	10.00%
4.	मध्यम आय वर्ग (ब)	13.25%	11.00%
5.	उच्च आय वर्ग	13.75%	12.00%

आदेश क्रमांक एफ.2(3)लागत / 1019 / 1187 दिनांक 10.10.2019 द्वारा अधिशेष आवासों की निर्माण लागत पर तथा किराया क्रय पद्धति पर आवंटित आवासों के आवंटियों से अक्टूबर 2019 से वसूलनीय ब्याज दर में निम्नानुसार संशोधन किया गया :—

क्र. सं.	आय वर्ग	ब्याज दर
1.	आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर आय वर्ग	6.50%
2.	अल्प आय वर्ग	7.00%
3.	मध्यम आय वर्ग (अ)	8.00%
4.	मध्यम आय वर्ग (ब)	9.00%
5.	उच्च आय वर्ग	9.50%
6.	व्यावसायिक	10.00%
7.	संस्थानिक	10.00%

4. गुणवत्ता नियंत्रण

गुणवत्ता के निर्धारित मापदण्डों को सुनिश्चित करने के लिए आवासन मण्डल मुख्यालय पर पृथक् से एक उप आवासन आयुक्त स्तर के अधिकारी कार्यरत हैं, जिनके अधीन दो आवासीय अभियंता जयपुर में तथा एक आवासीय अभियंता जोधपुर में मय अन्य तकनीकी अधिकारी/कर्मचारी के साथ पदस्थापित हैं जो स्तवंत्र रूप से अपने स्तर पर भी निर्माण सामग्री के नमूने एकत्रित कर पृथक् से स्थापित प्रयोगशाला में स्वतंत्र तरीके से परीक्षण करते हैं।

गुणवत्ता नियंत्रण हेतु वृत्त कार्यालयों/ खण्ड कार्यालयों के अधीन नियमित रूप से निर्माण सामग्री के परीक्षण हेतु प्रयोगशालाएँ स्थापित हैं। इसके अतिरिक्त मण्डल द्वारा विभिन्न भवन निर्माण सामग्री के नमूनों का परीक्षण सरकारी अभियान्त्रिकी महाविद्यालयों, भारत सरकार द्वारा स्थापित NABL स्वीकृत प्रयोगशालाओं से भी करवाया जाता है।

आदेश क्रमांक मुआ—मु/राआम/993 दिनांक 04.11.2015 द्वारा समस्त वृत्तों के क्षेत्राधिकार में प्रगतिरत विभिन्न प्रकृति की समस्त प्रगतिरत निर्माण परियोजनाओं का तृतीय पक्ष से स्वतंत्र निरीक्षण करवाने का प्रावधान किया जाकर संबंधित अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता को निरीक्षक नियुक्ति हेतु अधिकृत किया गया। स्वतंत्र जांचकर्ताओं द्वारा अपने स्तर से निरीक्षणाधीन निर्माण कार्यों के आवश्यक सेम्पल लिये जाकर इनकी जांच NABL अनुमोदित प्रयोगशाला में करवाने के उपरान्त जांच परिणाम भी अपनी रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किये जाते हैं, निर्धारित मापदण्डों के अनुसार कार्य न होने पर नियमानुसार उचित कार्यवाही की जाती है।

निर्माणाधीन आवासों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं प्रभावी रूप से निगरानी करने हेतु मण्डल द्वारा एक मोबाइल एप्प “आरएचबी सजग” प्रारम्भ किया गया

है जिसमें प्रतिमाह सभी खण्ड कार्यालयों द्वारा गुणवत्ता रिपोर्ट थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन रिपोर्ट एवं अन्य अधिकारियों द्वारा समय समय पर दिये गये निर्देश एवं उनकी अनुपालना विवरण व कार्यों की प्रगति संबंधी रिपोर्ट अपलोड की जा रही है। जिसकी उच्चाधिकारियों द्वारा प्रभावी रूप से समीक्षा की जा रही है।

5. **आवासन मण्डल की आवासीय योजनाओं में नागरिक सुविधाओं का समावेश**
आवासन मण्डल द्वारा विकसित सभी योजनाओं में आवश्यक नागरिक सुविधाएँ जैसे सड़कें, विद्युत, जल वितरण, पार्क व खुले मैदान, व्यावसायिक केन्द्र, सीवरेज व्यवस्था, रोड़ लाईट व्यवस्था, वृक्षारोपण, नालियों की व्यवस्था इत्यादि उपलब्ध कराई जाती है। मण्डल की आवासीय कॉलोनियों में अस्पताल, बैंक, डाकघर, स्कूल, कॉलेज आदि के भूमि आरक्षित कर इन संस्थाओं को मण्डल के नियमानुसार भूमि उपलब्ध करायी जाती है। बोर्ड द्वारा विकसित की गयी योजनाओं में सभी सुविधाएं प्रदान करने के बाद इन सुविधाओं के रख-रखाव एवं सफाई व्यवस्था हेतु कॉलोनियाँ स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित कर दी जाती है। आवासीय योजना की सुपुर्दग्गी के समय संबंधित स्थानीय निकाय एवं मण्डल की आपसी सहमति से इस हेतु उचित राशि का भुगतान संबंधित निकाय को मण्डल द्वारा किया जाता है।

6. प्रचार प्रसार

जन सम्पर्क प्रकोष्ठ द्वारा आवासन मण्डल की विभिन्न उपलब्धियों एवं भावी योजनाओं आदि से सम्बन्धित नवीनतम जानकारी प्रचार के विभिन्न माध्यमों यथा दूरदर्शन, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों एवं विभागीय वैबसाईट के माध्यम से जन साधारण को उपलब्ध करवायी जाती है।

7. राशि संग्रहण केन्द्रों की स्थापना

- (अ) खातों के रख-रखाव में सुगमता हेतु प्रत्येक वृत्त कार्यालय पर कम्प्यूटर स्थापित कर दिये गये हैं जिससे प्रत्येक दिन राशि संग्रहण केन्द्र पर एकत्रित की गई राशि का लेखा-जोखा कम्प्यूटर से तैयार कर लिया जाता है। इससे सभी केन्द्रों पर एक दिन में एकत्रित की गई राशि की जानकारी उसी दिन हो जाती है।

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

आवासन मण्डल के राशि संग्रहण केन्द्रों की सूची

क्र.सं.	शहर	काउन्टर नं.	केन्द्र का पता
1	जयपुर	9	उप आवासन आयुक्त, कार्यालय वृत प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, सैक्टर-5, प्रताप नगर, सांगानेर।
		8	थड़ी मार्केट, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर।
		10	राजस्थान आवासन मण्डल, (मुख्यालय परिसर), ज्योति नगर।
		5	सैक्टर-9 पानी की टंकी के पास, मालवीय नगर।
2	कोटा	1	उप आवासान आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, नगर विकास न्यास कार्यालय के पिछे, कोटा।
3	जोधपुर	1	उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, कार्यालय वृत—प्रथम, सैक्टर-11, चौपासनी योजना, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर।
		2	आवासीय अभियन्ता, कार्यालय खण्ड द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, सैक्टर-4 कुड़ी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर।
4	अलवर	1	उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, कार्यालय प्रताप नगर, सी.ई.बी.योजना बस स्टैण्ड के पिछे, अलवर।
5	बीकानेर	1	उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, कार्यालय मुक्ता प्रसाद नगर, बीकानेर।

आवासन मण्डल द्वारा राज्य के विभिन्न शहर/कस्बों में राशि संग्रहण हेतु अधिकृत बैंकों की सूची :-

क्र.सं.	वृत का नाम	शहर/कस्बा/जिला	अधिकृत बैंक
1	मण्डल मुख्यालय (ई-आक्षेन हेतु)	जयपुर	एच.डी.एफ.सी.बैंक
2	वृत-प्रथम, जयपुर	प्रताप नगर, जयपुर	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक
3	वृत-द्वितीय, जयपुर	जयपुर	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया
		अजमेर	एच.डी.एफ.सी. बैंक बैंक ऑफ बडौदा,
		नसीराबाद (अजमेर)	बैंक ऑफ बडौदा,
		सीकर	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक
		चुरू	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
		झुंझुनू	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक
		किशनगढ़	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया
		ब्यावर	एच.डी.एफ.सी. बैंक
4	वृत-तृतीय, जयपुर	जयपुर	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, आई.डी.बी.आई. बैंक एच.डी.एफ.सी.बैंक (ई-आक्षेन हेतु)
		दौसा	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया एच.डी.एफ.सी.बैंक
		सवाईमाधोपुर	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक
		टोंक	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक
		कोटपूतली (जयपुर)	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
5	वृत प्रथम/द्वितीय, जोधपुर	जोधपुर	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
		पाली	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया
		सुमेरपुर (पाली)	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
		सिरोही	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक
		पिण्डवाड़ा (सिरोही)	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
		आबुरोड़ (सिरोही)	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक
		बालोतरा (सिरोही)	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया
		फलोदी (जोधपुर)	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक
		बाडमेर	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
		जैसलमेर	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया

क्र.सं.	वृत का नाम	शहर/कस्बा/जिला	अधिकृत बैंक
6	कोटा	कोटा	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
		बारां	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
		छीपाबडौद (बारां)	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया
		अटरु (बारां)	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया
		छबड़ा (बारां)	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया
		बूंदी	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक
		भवानीमंडी झालावाड़)	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया
		रामगंजमडी (कोटा)	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया
		झालावाड़	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया आई.सी.आई.सी.आई. बैंक
		अकलेरा (झालावाड़)	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया
		चौमेला (झालावाड़)	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक
		अन्ता	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक
		लाखेरी	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक
7	उदयपुर	उदयपुर	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
		राजसमन्द	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
		प्रतापगढ़	बैंक ऑफ बडौदा
		चित्तौड़गढ़	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया आई.सी.आई.सी.आई. बैंक
		निम्बाहेडा (चित्तौड़गढ़)	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक बैंक ऑफ बडौदा
		गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)	बैंक ऑफ बडौदा
		भीलवाड़ा	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया आई.सी.आई.सी.आई. बैंक ऐक्सिस बैंक
		बांसवाड़ा	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
		सागवाड़ा (डूंगरपुर)	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक
		परतापुर (बांसवाड़ा)	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक
		डूंगरपुर	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया आई.सी.आई.सी.आई. बैंक
		भीण्डर (उदयपुर)	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक
		सलूम्बर (उदयपुर)	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक

क्र.सं.	वृत्त का नाम	शहर/कस्बा/जिला	अधिकृत बैंक
		रायला	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक
		नाथद्वारा	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक
8	अलवर	अलवर	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
		भिवाड़ी (अलवर)	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
		धौलपुर	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया
		भरतपुर	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
9	बीकानेर	बीकानेर	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक
		हनुमानगढ़	एच.डी.एफ.सी.बैंक
		सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक
		श्रीगंगानगर	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
		नागौर	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक

8. समस्याओं का समयबद्ध निराकरण

आम जनता की समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु मुख्यालय पर नागरिक सेवा केन्द्र की स्थापना की गई है, इसके अतिरिक्त सभी वृत्त कार्यालयों में भी शिकायतों के निस्तारण हेतु पृथक् से काउन्टर स्थापित किये गये हैं इनमें प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध तरीके से निस्तारण किया जाता है। इसके अतिरिक्त सुनवाई के अधिकार तहत आदेश क्रमांक प1(1)कार्मिक/विविध/2009/जनसुनवाई/2132 दिनांक 18.09.2009 की पालना में मुख्यालय पर माननीय अध्यक्ष महोदय एवं आवासन आयुक्त महोदय द्वारा सुनवाई की जाती है जबकि समस्त वृत्त कार्यालयों पर उप आवासन आयुक्त द्वारा एवं स्वतंत्र खण्ड कार्यालयों पर सम्बन्धित आवासीय अभियन्ताओं द्वारा सुनवाई की जाती है। आवेदक/ आवंटी अपनी समस्या को राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर भी दर्ज कराने का भी प्रावधान है। जन सुनवाई के लिए स्थान एवं समय का निम्नानुसार निर्धारण किया गया है :—

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	जन सुनवाई का स्थान	जन सुनवाई हेतु निर्धारित दिन/समय
1.	अध्यक्ष	आवासन मण्डल (मुख्यालय)	प्रत्येक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर बाद 3 बजे से 5 बजे तक
2.	आवासन आयुक्त	आवासन मण्डल (मुख्यालय)	प्रतिदिन दोपहर बाद 3 बजे से 4.30 बजे तक
3.	उप आवासन आयुक्त	सम्बन्धित वृत्त कार्यालय	सोमवार, मंगलवार, बुधवार दोपहर बाद 3 बजे से 4 बजे तक
4.	तकनीकी सहायक, उप आवासन आयुक्त	सम्बन्धित वृत्त कार्यालय	गुरुवार एवं शुक्रवार दोपहर बाद 3 बजे से 4 बजे तक

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	जन सुनवाई का स्थान	जन सुनवाई हेतु निर्धारित दिन / समय
5.	आवासीय अभियंता (स्वतंत्र खण्ड कार्यालय)	संबंधित खण्ड—कार्यालय	सोमवार, मंगलवार, बुधवार दोपहर बाद 3 बजे से 4 बजे तक
6.	तक. सहा. आवा. अभियंता (स्वतंत्र खण्ड कार्यालय)	संबंधित खण्ड—कार्यालय	गुरुवार एवं शुक्रवार दोपहर बाद 3 बजे से 4 बजे तक

9. **कम्प्यूटरीकरण** :— राजस्थान आवासन मण्डल में निम्नांकित कार्यों का सम्पादन कम्प्यूटर के माध्यम से किया जा रहा है :

अ वित्त एवं लेखा कार्य

- 1 वार्षिक बजट
- 2 वेतन बिल, कटोती विवरण, वेतन स्थिरीकरण, बकाया भुगतान विवरण
- 3 मासिक खाते (मुख्यालय)
- 4 सामान्य भविष्य निधि लेखा
- 5 पेंशन सम्बन्धित कार्य
- 6 आयकर सम्बन्धित कार्य
- 7 आवंटियों से राशि संग्रहण का कार्य
- 8 आवंटी लेखा विवरण

ब आवासन कार्य

नवीन आवासीय योजनाओं का ऑनलाईन पंजीकरण –

1. योजना / श्रेणीवार आवासों की वरीयता लॉटरी
2. आवास आवंटन लॉटरी
3. आवंटन पत्र
4. आवंटी की सूचनाओं सहित योजना का डेटा बेस जो कि ऑनलाईन उपलब्ध है।
5. ई-सम्पर्क के माध्यम से प्राप्त समस्त शिकायतों का निवारण
6. ई-ट्यूर के माध्यम से उच्च अधिकारियों द्वारा किये जा रहे Inspection की मॉनिटरिंग
7. SPPP पोर्टल के माध्यम से निविदाओं के प्रकाशन की सूचना।
8. ई-प्रोक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन टेन्डर प्राप्त करना व खोलना
9. जनकल्याण पोर्टल के माध्यम से आमजन को ज्यादा—ज्यादा से सूचना उपलब्ध करवाना।
10. RTI पोर्टल के माध्यम से सूचना जल्द ही उपलब्ध करवाई जाने की कार्यवाही करना

- स संस्थापन कार्य
- द योजनाओं के नक्शे एवं योजना सम्बन्धी कार्य
- य नवीन आवासीय योजनाओं का ऑनलाईन पंजीकरण

10. भूमि अवाप्ति :-

मण्डल में वर्तमान में पंजीकृत आवेदकों को आवास उपलब्ध करवाने एवं भविष्य में आवासों की संभावित मांग को ध्यान में रखते हुए विभिन्न शहरों में भूमि अवाप्ति एवं आवंटन हेतु प्रस्ताव तैयार किए जाते हैं। वर्तमान में 407.951 हैक्टेयर भूमि के 8 प्रकरणों में धारा— 27 की अधिसूचना जारी हो चुकी है परन्तु धारा—4(1) की अधिसूचना जारी नहीं हुई है (तालिका IV.a) 4786.41 हैक्टेयर भूमि के 18 प्रकरणों में धारा— 27 अथवा धारा—4(1) तहत अधिसूचना जारी होना शेष है (तालिका IV.b)। इसके अतिरिक्त विशेषाधिकारी स्तर पर 17.59 हैक्टेयर (तालिका IV.c) भूमि अवाप्ति के प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

11. भौतिक प्रगति

11.1 भौतिक प्रगति : वर्ष 2022–23*

क्र. सं.	गतिविधियां	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	नये मकान प्रारम्भ करना	3519	2845
2.	मकानों को पूर्ण करना	4339	363
3.	मकानों का आवंटन	3681	2065
4.	मकानों का कब्जा देना	6174	3321

*(माह नवम्बर 2022 तक)

11.2 आदिनांक तक भौतिक प्रगति :

आवासन मण्डल की स्थापना से अब तक नये आवास प्रारम्भ/पूर्ण करने, आवंटन तथा कब्जा देने की वर्गवार स्थिति निम्न प्रकार है :—


क्र. सं.	आय वर्ग	नये आवास प्रारम्भ	आवास पूर्ण	आवास आवेदित	आवासोंके कब्जे
1.	आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर आय वर्ग	85371	82163	82167	77878
2.	अल्प आय वर्ग	72901	69987	69349	64922
3.	मध्यम आय वर्ग—अ	42870	42359	42465	40781
4.	मध्यम आय वर्ग—ब	35908	35836	35614	35255
5.	उच्च आय वर्ग	22632	22227	22051	21693
	योग	259682	252572	251646	240529

*(माह नवम्बर 2022 तक)

12. वित्तीय तथा भौतिक प्रगति के ग्राफ

12.1 निर्माण कार्यों पर व्यय


बोर्ड की स्थापना से लेकर अब तक निर्माण कार्यों पर कुल राशि रु. 8948 करोड़ व्यय की गयी है। वर्ष 2022–23 के दौरान निर्माण कार्यों पर 1115.42 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध रु. 293.18 करोड़ व्यय किये गये।



माह नवम्बर 2022 तक


12. 2 राजस्व प्राप्तियाँ

बोर्ड की स्थापना से लेकर अब तक राशि रु. 13472 करोड़ की राजस्व प्राप्ति हुई। वर्ष 2022–23 में राजस्व प्राप्तियों के लक्ष्य रु. 1452.86 करोड़ के विरुद्ध रु. 431.24 करोड़ प्राप्त हुये।




माह नवम्बर 2022 तक

12.3 वर्ष 2022–23 के दौरान आवास की भौतिक प्रगति




माह नवम्बर 2022 तक

12.4 गत पांच पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान मण्डल की मुख्य गतिविधियों की भौतिक प्रगति




12.5 मण्डल की मुख्य गतिविधियों का ग्राफ



माह नवम्बर 2022 तक

12.6 मण्डल द्वारा आय वर्गानुसार आवास निर्माण प्रारम्भ करने का प्रतिशतवार विवरण



माह नवम्बर 2022 तक

13.अ पारदर्शिता बढ़ाने हेतु एवं आवंटी उन्मुख महत्वपूर्ण निर्णय :-

- **आवासों की लागत में कमी** :- राज्य सरकार के निर्देशानुसार मण्डल द्वारा सभी आय वर्गों के आवासों की लागत निर्धारण सिद्धान्तों में कमी हेतु गठित समिति की अनुशंसा अनुसार आदेश क्रमांक प.2(3)लागत / 1017 / 1097 दिनांक 23.12.2015 द्वारा लागत सिद्धान्तों व प्रक्रिया में संशोधन किया गया है। जिसके फलस्वरूप आवासों की लागत में लगभग 10 प्रतिशत तक कमी हुई है।
- **ई डब्ल्यू एस/एल आई जी आवासों की लागत में कमी** :- ई डब्ल्यू एस/एल आई जी आवासों की लागत में कमी हेतु भूमि एवं विकास दर में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग हेतु मध्यम आय वर्ग “ब” व उच्च आय वर्ग से क्रॉस सब्सिडी को बढ़ाकर क्रमशः 5 से 10 एवं 10 से 20 प्रतिशत कर दिया गया है। आवासन मण्डल द्वारा आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग तथा अल्प आय वर्ग के आवेदकों को किराया क्रय पद्धति पर आवंटित आवासों के लिए आवास का कब्जा सुपुर्द करने तक जमा कराई जाने वाली राशि को 15 प्रतिशत कर दिया गया है साथ ही इन दोनों वर्गों के लिए आवास की किश्तें चुकाने की अवधि को 15 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष कर दिया गया है।
- **पहचान के प्रमाण (KYC)** :- आवास आवंटन हेतु पूर्व पंजीकृत आवेदकों के लिये पहचान हेतु वांछित दस्तावेज अनिवार्य है। विभिन्न बैंक एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा उपभोक्ता की पहचान के लिये लागू के.वाई.सी. (KYC) नियमों को मण्डल में भी लागू किया जा चुका है। इसके अन्तर्गत सभी आवंटियों/आवेदकों को पहचान/पते के सबूत एवं नवीनतम फोटोग्राफ देने की अनिवार्यता कर दी गई है।
- **पंजीकरण प्रपत्र का सरलीकरण** :- आवासों/फ्लैट्स के पंजीकरण हेतु पंजीकरण प्रपत्र को सरलीकृत कर दिया गया है इसके अन्तर्गत लॉटरी के पश्चात् योग्य आवेदकों से ही आय प्रमाणपत्र, पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र तथा शपथ पत्र आदि प्रपत्र लिये जाते हैं। पूर्व में ये सभी प्रपत्र नई योजना में पंजीकरण हेतु भाग लेने वाले सभी आवेदकों से लिये जाते थे।
- आवासन मण्डल की योजनाओं हेतु आवेदकों की अस्थायी एंव स्थाई सूचि, वरीयता/आवास आवंटन लॉटरी के पश्चात् सफल आवेदकों/आवंटियों की सूची को मण्डल की वेबसाईट पर प्रदर्शित कर दिया जाता है।
- **आवास के कब्जा पत्र के साथ ही अदेय प्रमाण पत्र** :- आवंटियों की सुविधा हेतु मण्डल द्वारा नगद भुगतान पद्धति, स्ववित्त पोषित योजना तथा नीलामी से निस्तारित सभी सम्पत्तियों के अदेय प्रमाण पत्र कब्जा पत्र के साथ ही जारी किया जाता है।
- **मण्डल द्वारा पूर्ण निर्मित आवास** :- आवासीय योजनाओं में प्लिंथ लेवल/ढाँचागत आवास निर्मित किये जाने से रहवास दर कम होने को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान

में आवासन मण्डल द्वारा विकसित की जा रही योजनाओं में पूर्ण निर्मित आवास ही उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

- **बहुमंजिलीय आवासीय योजनाओं में रेजीडेंट वेलफेर एसोशियसन का गठन :—** बहुमंजिलीय आवासीय योजनाओं में कब्जा देने के उपरान्त रेजीडेंट वेलफेर सोसायटी का गठन करवाया जाता है जिससे फ्लैट्स की सामान्य सुविधाओं का रखरखाव सोसाइटी के माध्यम से सुचारू रूप से किया जा सके।
- **वर्षा जल संरक्षण हेतु प्रयास :—** प्रदेश की भीषण जल समस्या को दृष्टिगत रखते हुये आवासन मण्डल की बहुमंजिलीय आवासीय योजनाओं, वाणिज्यिक केन्द्रों, सामुदायिक भवनों, कार्यालयों एवं अन्य भवनों में “वर्षा जल संरक्षण संरचना” विकसित की जा रही है।
- **बिल्डिंग स्पेसिफिकेशन का स्टैन्डर्डर्डाईजेशन :—** उचित मानदण्ड, उच्च गुणवत्ता एवं निर्माण में एकरूपता रखने के उद्देश्य से बिल्डिंग स्पेसिफिकेशन का स्टैन्डर्डर्डाईजेशन करते हुए बुकलेट जारी की गई है।
- **आगन्तुक सुझाव पुस्तिका :—** आम व्यक्ति, आवंटी तथा निर्माण विशेषज्ञ निर्माणाधीन कार्यों का अवलोकन करने हेतु स्वतंत्र हैं। कार्य के सम्बन्ध में अपने सुझावों एवं विचारों को रखने हेतु सुझाव पुस्तिका प्रत्येक निर्माण स्थल पर उपलब्ध कराई गई है। उचित एवं व्यावहारिक पाये गये सुझावों को निर्माणाधीन एवं भावी योजनाओं में यथा सम्भव समावेश करने का प्रयास किया जा रहा है।
- **सामुदायिक केन्द्रों के संचालन हेतु नियमावली का पुनः सरलीकरण :—** विभिन्न शहरों में मण्डल की आवासीय योजनाओं में निर्मित सामुदायिक केन्द्रों के संचालन हेतु सम पारदर्शी प्रक्रिया/नियमावली का सरलीकरण किया गया है।
- **रु. 5.00 लाख से अधिक के उपापन कार्य ई—प्रोक पोर्टल माध्यम से सम्पादित :—** आवासन मण्डल के संशोधित आदेश क्रमांक मुअ—मु/राआम/2018/10 दिनांक 22.01.2018 द्वारा मण्डल की निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने की दृष्टि से ई—टेन्डरिंग पद्धति से निविदा आमन्त्रण की पूर्व निर्धारित सीमा रु 10.00 लाख एवं इससे अधिक को संशोधित कर एतदद्वारा रु 5.00 लाख एवं इससे अधिक किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 22.01.2018 से प्रभावी है। संबंधित निविदाएँ राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) के E-Procurement Portal के माध्यम से की जा रही है तथा राज्य सरकार के आदेशानुसार मण्डल द्वारा रु 1.00 लाख से अधिक की निविदा की सूचना भी राज्य सरकार के पोर्टल SPPP पर अपलोड की जा रही है।
- **स्वित पोषित योजना के तहत आवासों के निर्माण बाबत जारी की जाने वाली पंजीकरण पुस्तिका में वर्णित लागत में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने पर आवंटी द्वारा यदि आवास निरस्त कराया जाता है तो सम्पूर्ण जमा राशि बिना कटौती 6 प्रतिशत ब्याज जोड़ते हुए आवंटी को लौटाये जाने का प्रावधान किया गया है।**

- आवासन मंडल की आवासीय योजना में उपलब्ध 4000.00 र्गमीटर से अधिक की सम्पूर्ण भूमि (आवासीय, व्यावसायिक, संस्थानिक) का विवरण मंडल की वेबसाईट तथा गूगल मेप पर अपलोड कर दिया गया है। इसे आवासन मंडल की वेबसाईट पर उपलब्ध Resurgent Rajasthan के Icon पर क्लिक कर देखा जा सकता है।
- **पूर्ण एकीकृत कम्प्यूटराईजेशन** :- राजस्थान आवासन मण्डल की समस्त गतिविधियों के व्यापक कम्प्यूटराईजेशन हेतु राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लि. (RISL) के साथ आवासन मण्डल द्वारा रु 948.64 लाख का मेमोरेण्डम ऑफ अण्डरस्टेंडिंग (MOU) हस्ताक्षरित किया गया। इसके अन्तर्गत आर.आई.एस.एल द्वारा Rajasthan Housing Board Monitoring system (RHBMS) परियोजना के तहत M/S IL&FS Pvt. Ltd. को राशि रु 714.11 लाख का कार्यादेश जारी किया गया। वर्तमान में नई आवासीय योजनाओं के पंजीकरण का कार्य तथा जयपुर, जोधपुर स्थित सभी वृत्त कार्यालयों, वृत्त बीकानेर, अलवर, स्थित कार्यालयों में राशि संग्रहण का कार्य ऑनलाईन कर दिया गया है, शेष वृत्त कार्यालयों में यह कार्य प्रगति पर है। जयपुर स्थित आवासीय योजनाओं यथा इन्दिरा गांधी नगर, प्रताप नगर व मानसरोवर की योजनाओं के आवंटियों के खातों का संकलन, अदेय प्रमाण पत्र तथा प्रदेश में वरीयता एवं आवास आवंटन लॉटरी करने के कार्यों का कम्प्यूटराईजेशन किया जा चुका है। वित्त एवं बजट सम्बन्धित कार्य, तथा सम्पत्तियों के लेखों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है प्रक्रिया के पूर्ण होने से मण्डल के लगभग 2 लाख से अधिक आवंटी प्रत्यक्ष/ परोक्ष रूप से लाभान्वित होंगे।

सम्पत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए आमजन दूर से ही नीलामी में भाग से ले सके, आवासन मण्डल द्वारा ई-बिड सबमिशन एवं ई-ऑक्शन के माध्यम से आवासों/वाणिज्यिक सम्पत्तियों का बेचान किया जा रहा है।

(अ) अन्य राज्यों के आवासन मण्डल के अधिकारियों से चर्चा कर कार्य संरचना पारदर्शी बनाने के क्रम में मण्डल लेखे बनाने का कार्य हरियाणा हाउसिंब बोर्ड की तर्ज पर समस्त स्थानों पर एकरूपता लाने हेतु टेली अकाउन्टिंग सिस्टम लागू किया गया है।

(ब) इसके अतिरिक्त मण्डल की कुछ सेवाओं को ई मित्र से भी इन्टिग्रेटेड किया जा चुका है।

13.ब आवासन मण्डल द्वारा राज्य सरकार के प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना में किये गये महत्वपूर्ण कार्य, अभिनव प्रयोग एवं नवाचार :-

- **बुधवार नीलामी उत्सव** – ई-ऑक्शन की व्यापक सफलता के बाद अधिशेष आवासों को बेचने के लिए दिनांक 04.12.2019 से प्रत्येक बुधवार को “बुधवार

नीलामी उत्सव” आयोजित किये गये जो कोविड-19 लॉकडाउन तक अनवरत जारी रहे। इस उत्सव में कुल 1982 आवासीय एवं 131 व्यावसायिक सम्पत्तियों के निस्तारण से रु 410.61 करोड़ रूपये की प्राप्ति हुई।

- **बुधवार नीलामी उत्सव ई-सबमिशन द्वारा –** कोविड-19 महामारी के इस दौर में आमजन दूर से ही बिना किसी व्यक्तिगत सम्पर्क के नीलामी में भाग ले सके, इस हेतु बुधवार नीलामी उत्सव के तहत ई-बिड सबमिशन के माध्यम से निर्धारित छूट पर 156 मासिक किश्तों में आवास क्रय करने की योजना दिनांक 10.06.2020 से “10 प्रतिशत दीजिए गृह प्रवेश कीजिए” के नारे के साथ प्रारम्भ की गई जो आदिनांक अनवरत जारी है। अल्प समय में दिनांक 10.06.2020 से दिनांक 08.07.2020 तक 1213 सम्पत्तियों के निस्तारण किये जाने को भी अन्तर्राष्ट्रीय कीर्तिमान के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, लंदन द्वारा मान्यता प्रदान की गयी जिसमें संस्था द्वारा आवासन आयुक्त को “गोल्ड एडिशन 2020” की श्रेणी में प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। दिनांक 31.12.2022 तक की नीलामी में 14500 से अधिक आवासीय सम्पत्तियों का निस्तारण किया गया जिनका बोली मूल्य रु 2600 करोड़ है।
- **अपनी दुकान अपना व्यवसाय –** माह अक्टूबर 2020 में “अपनी दुकान अपना व्यवसाय” योजना के तहत 7 अक्टूबर 2020 से ई-बिड सबमिशन के माध्यम से 27 वर्ग मी. तक की कुल 1319 व्यावसायिक भूखण्डों/ निर्मित दुकानों का निस्तारण किया गया जिसका बोली मूल्य रु 157.24 करोड़ है। इसके अतिरिक्त आदिनांक 27 वर्ग मी. से अधिक की व्यावसायिक भूखण्डों/ दुकानों की कुल 130 सम्पत्तियों का निस्तारण किया गया जिसका बोली मूल्य रु 65 करोड़ है। निर्मित दुकानों पर 25 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की गयी।
- **प्रीमियम सम्पत्ति –** मंडल द्वारा पहली बार प्रीमियम सम्पत्तियों के रूप में खुली नीलामी के माध्यम से बेचना शुरू किया गया। 668 प्रीमियम सम्पत्तियों के नीलामी से मंडल को रु 1500 करोड़ की प्राप्ति अर्जित की गयी है।
- आवासन मंडल की राजस्थान में विभिन्न आवासीय योजनाओं में कई कारणों से अनिस्तारित आवासों/ फ्लैटों की आरक्षित दरों में राज्य सरकार से स्वीकृति उपरान्त 0-25 प्रतिशत एवं 0-50 प्रतिशत तक की छूट दी जाकर दिनांक 30 सितम्बर 2019 से आवासों का सफलतापूर्वक निस्तारण ई-ऑक्शन के माध्यम से आयोजित किया गया। तत्पश्चात् समय-समय पर नीलामी प्रक्रिया में सम-सामयिक परिवर्तन कर कोविड महामारी के बावजूद नीलामी कार्यक्रम आयोजित किये जाते रहे हैं। आदिनांक 40 माह की अल्पावधि में 14,500 तथा 3000 व्यावसायिक सम्पत्तियों सहित कुल 17,500 सम्पत्तियों का निस्तारण कर अधिशेष आवासों, व्यावसायिक सम्पत्तियों का विक्रय, संस्थानिक आवंटन, लीज/

किश्तों / ब्याज आदि के माध्यम से 7 हजार 5 सौ करोड़ रुपये से अधिक का रिकॉर्ड टर्नओवर अर्जित किया गया।

- राज्य सरकार की एमनेस्टी योजना के अन्तर्गत बकाया मासिक किश्तों एवं लीज मनी पर अधिरोपित शास्ति / ब्याज में छूट :— राज्य सरकार की एमनेस्टी योजना के तहत वर्ष 2022–23 के दौरान माह दिसम्बर 2022 तक आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग, अल्प आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग 'अ' एवं 'ब' तथा उच्च आय वर्ग के 3019 आवंटी एक मुश्त बकाया मासिक किश्त/लीज राशि जमा कराने से लाभान्वित हुए। योजनान्तर्गत वर्ष 2022–23 के दौरान माह दिसम्बर 2022 तक 25.79 करोड़ रु. की मासिक किश्तों/ ब्याज/ शास्ति पर शत प्रतिशत छूट प्रदान की गई।
- **मुख्यमंत्री शिक्षक आवास योजना** एवं **मुख्यमंत्री प्रहरी आवास योजना** माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर आवासन मण्डल के प्रताप नगर योजना में राज्य के शिक्षकों एवं प्रहरियों हेतु 20,925 वर्ग मी. पर क्रमशः 288–288 (कुल 576) बहुमंजिले आवासों (बी+एस+12) जिसमें प्रत्येक आवास का बिल्टअप ऐरिया 706 वर्ग फीट है मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजना रूपये 15.70 लाख प्रत्येक फ्लेट की लागत पर नियोजित किये गये हैं। माननीय स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग मंत्री द्वारा दिनांक 08.09.2022 को इस योजना का लोकार्पण किया जाकर 418 आवंटियों को कब्जा दिया जा चुका है।
- **नवीन आवासीय योजनाओं का शुभारम्भ** — CMJAY के तहत जयपुर शहर की विभिन्न योजनाओं में 4,802 बहुमंजिलीय आवासों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है, जिसमें से लगभग 2500 आवासों का निर्माण कार्य पूर्णता पर है। मुख्यमंत्री जन आवास योजनान्तर्गत भिवाड़ी में 712, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर में 3358, इंदिरा गांधी जगतपुरा, जयपुर में 732 आवासों हेतु योजना का शुभारम्भ किया गया, प्राप्त पंजीकरणों का वरियता निर्धारण माह जनवरी 2022 में किया गया, योजनाओं में निर्माण हेतु कार्यादेश जारी कर कार्य प्रगति पर है।

आवासन मण्डल द्वारा वर्ष 2021–22 में राज्य के विभिन्न शहरों यथा वाटिका, महला–जयपुर, निवाई–टॉक, नसीराबाद, किशनगढ़–अजमेर, बड़ली–जोधपुर, आबूरोड़–सिरोही, उदयपुर शहर, भीड़र–उदयपुर, बांसवाड़ा एवं भीलवाड़ा में 3,568 आवासों का निर्माण प्रस्तावित किया गया एवं प्राप्त पंजीकरणों के अनुरूप दिनांक 30.04.2021 तक 3003 आवासों के निर्माण हेतु रु. 12328.76 लाख के कार्यादश जारी किये जाकर 2967 आवासों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया सम्पूर्ण आवासों का निर्माण अक्टूबर, 2022 तक पूर्ण किया जाकर माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलो से दिनांक 21 अक्टूबर 2022 को लोकार्पण किया जा चुका है।

मण्डल कार्मिकों हेतु 15 वर्ष पश्चात राज्य के 5 शहरों यथा जोधपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा, आबू रोड एवं भिवाड़ी में 356 स्वतंत्र आवासों हेतु विशिष्ट पंजीकरण

योजना वर्ष 2021 का शुभारम्भ किया गया, योजना हेतु दिनांक 31.12.2021 तक पंजीकरण प्राप्त किये गये हैं। जिसमें दिनांक 31.12.2021 तक आवेदन प्राप्त किये गये, वरियता निर्धारण किया जाकर कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त भिवाड़ी में 4, भीलवाड़ा में 52, बड़ली-जोधपुर में 27 आवासों हेतु मंडल कार्मिकों हेतु विशिष्ट पंजीकरण योजना वर्ष 2022 का शुभारम्भ दिनांक 20.10.22 से 19.11.22 तक किया गया।

- प्रताप नगर योजना, जयपुर में वृहद् कोचिंग हब का विकास – आवासन मण्डल की प्रतापनगर सांगानेर योजना के हल्दी घाटी मार्ग स्थित सैकटर 16 में पन्नाधाय सर्किल के पास 65,000 वर्गमीटर भूमि पर वृहद् कोचिंग हब विकसित किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 22.08.2020 को शिलान्यास किया गया है। प्रथम चरण में चारदीवारी एवं आन्तरिक विकास कार्यों के अतिरिक्त 5 सात मंजिलें संस्थानिक ब्लॉकों का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त तीन तलों में 90 शोरुमों का निर्माण किया गया है।

द्वितीय चरण में नियोजित 3 संस्थानिक ब्लॉकों का निर्माण प्रारम्भ किया गया है। प्रशासनिक भवन का निर्माण प्रक्रियाधीन है। निर्मित 90 शोरुमों में से कुल 57 शोरुमों का नीलामी से निस्तारण किया जा चुका है जिससे रु. 45 करोड़ का राजस्व प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त परिसर में नियोजित दो आवासीय भूखण्डों का ई-ऑक्शन द्वारा निस्तारण किया गया जिससे राशि रु. 25 करोड़ का राजस्व प्राप्त होगा।

05 संस्थानिक ब्लॉकों में सृजित 140 सम्पत्तियों की आवंटन प्रक्रिया में, प्रथम चरण में 37 सम्पत्तियों का निस्तारण किया गया है। इस से राशि रु.70 करोड़ का राजस्व प्राप्त होगा। शेष 103 सम्पत्तियों से राशि रु.175 करोड़ का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। इन 103 सम्पत्तियों के आवंटन हेतु पंजीकरण प्रक्रिया दिनांक 31.01.2023 तक जारी है।

योजना में कुल राशि रु 135 करोड़ व्यय किया जा चुका है। द्वितीय चरण के पूर्ण होने की संभावित तिथि सितम्बर-2023 है।

- “एआईएस रेजीडेन्सी” आवासीय योजना— स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत सैकटर-17 प्रताप नगर, सांगानेर जयपुर स्थित बहुमंजिले आवासीय योजना हेतु आरक्षित 17,860 वर्गमीटर के भूखण्ड पर “अखिल भारतीय सेवा (एआईएस) रेजीडेन्सी” के तहत उच्च आय वर्ग के बहुमंजिले 180 फ्लैट्स (B1+B2+G+12) नियोजित किये जाकर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। योजना के आवेदकों की वेब बेस्ड आवास आवंटन लॉटरी दिनांक 29.06.2021 को आयोजित की गई है। मात्र 50 मुख्यमंत्री द्वारा योजना का शिलान्यास दिनांक 11.08.2021 को किया गया। योजना के प्रथम चरण में छत ढलाई का 100 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा फेज-प्रथम में 80 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। योजना में अधिकारियों के रुझान को दृष्टिगत

रखते हुये मण्डल द्वारा सेक्टर 17 में ही “एआईएस रेजीडेन्सी (फेज-2)” नियोजित की गई, जिसमे कुल 114 फ्लैट्स (B1+B2+G+12) का निर्माण कार्य प्रगति पर है। योजना के आवेदकों की वेब बेस्डे आवास आवंटन लॉटरी दिनांक 12.05.2022 व 18. 07.2022 को आयोजित की गई है। एआईएस रेजीडेन्सी (फेज-2) में 5 ब्लॉक की बेसमेन्ट । और ॥ की छत ढलाई का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा लगभग रु. 25 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

- “एस. एस. रेजीडेन्सी”- एस.एस. रेजिडेंसी आवासीय योजना सैक्टर-19 प्रतापनगर सांगानेर जयपुर में 12537.05 वर्गमीटर में प्रस्तावित की गई है जिस पर लगभग 127 करोड़ का व्यय अनुमानित है। यह योजना अगस्त 2024 तक पूर्ण होना प्रस्तावित है। इस योजना में उच्च आयवर्ग-प्रथम के 24 फ्लैट्स, उच्च आयवर्ग-द्वितीय के 60 फ्लैट्स एवं उच्च आयवर्ग-तृतीय के 91 फ्लैट्स का नियोजन किया गया है। योजना में उच्च आयवर्ग-प्रथम के 21 फ्लैट्स, उच्च आयवर्ग-द्वितीय के 54 फ्लैट्स एवं उच्च आयवर्ग-तृतीय के 50 फ्लैट्स का आवंटन लॉटरी दिनांक 23.12.2022 को किया जा चुका है शेष 50 फ्लैट्स का पुनः पंजीयन की कार्यवाही की जावेगी।

आवासों की Tentative लागत उच्च आयवर्ग-प्रथम की 109.00 लाख, उच्च आयवर्ग-द्वितीय की 79.00 लाख एवं उच्च आयवर्ग-तृतीय की 59.00 लाख का निर्धारण किया गया है, कार्यादेश अनुसार उक्त योजना 21.11.2022 से 24.08.2024 तक नियत है एवं उक्त परियोजना के निर्माण पर खर्च 88.59 करोड़ प्रस्तावित है। उक्त कार्य 7 ब्लॉक में विभाजित कर कराया जा रहा है प्रत्येक ब्लॉक में Excavation का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं फ्लैटों की रापट, कॉस्टिंग हो चुकी है।

- **विधायकों हेतु आवास** – माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार द्वारा 27.07. 2019 को विधानसभा मे विधायक नगर (पश्चिम) मे विधायको के लिए बहुमंजिले फ्लेट्स बनाने की घोषणा की गई एवं जयपुर विकास प्राधिकरण को नोडल एजेन्सी बनाया गया। दिनांक 06.06.2020 को आयोजित मंत्रिमण्डलीय उप समिति की बैठक में हुये निर्णयानुसार इस कार्य हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण के स्थान पर राजस्थान आवासन मण्डल को नोडल एजेन्सी नियुक्त किया गया। पूर्व निर्भित 54 आवासों का माननीय विधायकगण से खाली करवाने के उपरांत ध्वस्तीकरण का कार्य मण्डल द्वारा किया गया। परियोजना के नियोजन का अनुमोदन मंत्रिमण्डलीय उप समिति द्वारा किये जाने, निविदा प्रक्रिया पूर्ण करते हुए परियोजना का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 11.08.2021 को किया गया। परियोजना का कार्य प्रारम्भ करने एवं पूर्ण करने की दिनांक क्रमशः 06.05.2021 एवं 05.11.2023 नियत है। परियोजना स्थल पर निर्माण कार्य तीव्र गति से प्रगति पर है एवं राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य अगस्त-2023 तक निर्धारित किया गया है।

विधायक नगर (पश्चिम) की 24160 वर्ग मीटर भूमि पर 160 बहुमंजिले (2बी+जी+8) 4-बीएचके फ्लेट्स (3200 वर्गफीट बिल्टअप एरिया) का निर्माण समस्त सुविधाओं जैसे सेन्ट्रल पार्क, अतिथियों के ठहरने हेतु 26 कमरों के अतिरिक्त पार्टी हॉल, स्विमिंग पूल, कॉफी शॉप, जिम, योगा हॉल, मिनी थियेटर एवं रेस्टोरेन्ट सहित क्लब हाउस, प्रत्येक ब्लॉक में भूतल पर मीटिंग, कॉनफ्रेन्स हॉल, स्वागत कक्ष, सुरक्षा ऑफिस एवं ड्राईवर आदि के ठहरने की व्यवस्था का निर्माण किया जा रहा है। परिसर में निम्न अत्याधुनिक सुविधाएँ भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं:-

पेरीफेरियल इन्टुडर एलटर्स सिस्टम, अंडर व्हीकल स्केनर सिस्टमबेगेज स्केनर एवं मेटल डिटेक्टर, स्मार्ट पार्किंग सिस्टम, फसाड एल.ई.डी. लाईटिंग, इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन्स, केम्पस वाई-फाई, ए.टी.एम., मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर एवं रख रखाव कार्यालय, दो जी.एस.एस. से बिजली आपूर्ति, बिसलपुर पाईपलाईन से जलापूर्ति परियोजना का कार्य द्रुत गति से चल रहा है एवं लगभग 250 करोड़ का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया।

- **कॉन्स्टीट्यूशनल क्लब जयपुर** – माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2021–22 की बजट घोषणा में माननीय सदस्यों, राजस्थान विधानसभा हेतु कॉन्स्टीट्यूशन क्लब, नई दिल्ली की तर्ज पर कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान बनाये जाने की घोषणा की गई थी। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा क्लब के निर्माण हेतु विधायक नगर (पूर्व) की भूमि में से 4948.92 वर्ग मीटर भूमि संशोधित साईट प्लान द्वारा दिनांक 27.10.2021 को आरक्षित की गई है। आवासन मण्डल की कमेटी ने कॉन्स्टीट्यूशन क्लब, नई दिल्ली का दौरा कर, क्लब के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की गई। कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का डिजाईन/परिकल्पना का प्रस्तुतीकरण मण्डल द्वारा दिनांक 02.11.2021 को माननीय अध्यक्ष, राजस्थान विधानसभा की अध्यक्षता में मंत्रिमण्डलीय उप समिति के समक्ष किया गया। मंत्रिमण्डलीय उप समिति द्वारा सर्वसम्मति से मण्डल द्वारा तैयार डिजाईन/परिकल्पना का अनुमोदन किया गया। 4948.92 वर्गमीटर के भूखण्ड पर राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा माननीय सदस्यों हेतु समर्त आधुनिक सुविधाओं जैसे रेस्टोरेन्ट, कॉफी हाउस, स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम, मीटिंग एंड कॉन्फ्रेन्सहॉल, जिम, सैलून, बैडमिन्टन एंड टेनिस कोर्ट, बिलियर्ड्स् व टेबल टेनिस, इन्डोर गेम्स सहित ठहरने हेतु कमरों आदि का प्रावधान लगभग 1,95,000 वर्गफीट क्षेत्रफल में किया गया है।

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावानुसार कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि 90.00 करोड़ राज्य सरकार द्वारा दिनांक 24.11.2021 को जारी की गई है। मण्डल की परियोजना समिति की 168वीं बैठक दिनांक 12.04.2022 में कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ

राजस्थान के नियोजन का अनुमोदन किया गया है। मैसर्स एन.जी. गडिया को कार्यादेश दिनांक 04.02.2022 को जारी किया गया, कार्य प्रारम्भ करने एवं पूर्ण करने की तिथि क्रमशः 13.02.2022 एवं 12.08.2023 निर्धारित है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा परियोजना के निर्माण कार्य का शिलान्यास दिनांक 09.02.2022 को मौके पर किया गया। बेसमेन्ट की छत कार्य पूर्ण कर प्रथम, द्वितीय तल एवं तृतीय तल की छत का कार्य भी पूर्ण कर लिया गया है। प्लास्टर, फर्श, बिजली एवं पानी आदि का कार्य प्रगति पर है। निर्माण कार्य पर राशि 30 करोड़ रुपये व्यय की जा चुकी है। कॉन्स्ट्रक्टर्स विकास विभाग द्वारा आवासन मण्डल के साथ ही अगस्त-2023 तक पूर्ण करने की कार्य योजना मण्डल द्वारा तैयार की गई है।

- **विपणन शाखा (Marketing Cell) का गठन** :— आदेश क्रमांक मुसप्र/2019/966 दिनांक 26.11.2019 के द्वारा आवासन मण्डल की योजनाओं के प्रचार-प्रसार एवं दीर्घकाल से अनिस्तारित सम्पत्ति के निस्तारण के विकल्प एवं समाधान हेतु विपणन शाखा (Marketing Cell) का गठन किया गया है।
- **उद्यानिकी शाखा (Horticulture Wing) का गठन** — आदेश क्रमांक प.1(1)कार्मिक/तक/ बोमी/239.17/2019/2250 दिनांक 03.12.2019 के द्वारा मुख्य अभियन्ता (मु0) के अध्यधीन उद्यानिकी शाखा का गठन किया गया है। अन्य शहरी निकायों यथा विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यास तथा स्थानीय निकायों की तर्ज पर आवासन मण्डल में भी उद्यानिकी शाखा की स्थापना की गई है। वर्तमान में एक आवासीय अभियन्ता तथा वरिष्ठ उद्यानविज्ञ प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है।
- **आवासन मण्डल की भूमि से अतिक्रमण हटाने तथा दोषी आवंटियों से राशि वसूली का विधिक अधिकार** :— किराया क्रय पद्धति पर आवंटित आवासों का लगातार उपयोग करने के बावजूद भी किश्तों व अन्य देय राशियों का लंबे समय से भुगतान नहीं किया जा रहा है, ऐसे दोषी आवंटियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने एवं आवासन मण्डल की भूमि पर अतिक्रमण हटाने का विधिक अधिकार आवासन मण्डल अधिनियम 1970 में राज्य सरकार द्वारा आवश्यक संशोधन के उपरान्त प्रदान किया गया है। राज्य के विभिन्न शहरों में अतिक्रमियों पर कड़ी कार्यवाही करते हुये माह दिसम्बर 2021 तक लगभग 1,04,000 वर्ग.मी. से अधिक भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराई गयी जिसका अनुमानित बाजार मूल्य रु. 800 करोड़ है। सैकटर 23 प्रताप नगर सांगानेर जयपुर में दिनांक 22.12.2022 को 23500 वर्ग मी. भूमि अतिक्रमण मुक्त करवायी गयी जिसका बाजार मूल्य लगभग 150 करोड़ आंकी गयी है।
- **प्रवर्तन शाखा (Enforcement Wing) का गठन** — अतिक्रमियों के विरुद्ध प्रभावी व समयबद्ध कार्यवाही के लिए अन्य शहरी निकायों यथा विकास प्राधिकरण, नगर

विकास न्यासों तथा स्थानीय निकायों की भाँति मंडल की स्वयं की प्रवर्तन शाखा की स्थापना प्रक्रियाधीन है।

- **प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021** – 2 अक्टूबर 2021 से प्रारम्भ हुए “प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021” के तहत राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप 19 सेवाओं को सम्मिलित किया गया है एवं तदनुरूप आवेदन प्राप्त हो रहे हैं एवं उनका त्वरित निस्तारण किया जा रहा है। इस हेतु सभी वृत्त / स्वतंत्र खण्ड कार्यालयों में पृथक् से हैल्प डैस्क स्थापित किये गये हैं। दिनांक 31.12.2022 तक कुल 17600 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए जिसमें से 16636 प्रकरणों का निस्तारण किया गया है व शेष निस्तारण की प्रक्रिया में हैं।

14.आवासन मण्डल द्वारा शुरू की गयी जनकल्याणकारी योजनाएँ

- **महात्मा गांधी दस्तकार नगर योजना** – आवासन मण्डल द्वारा ग्राम नायला, जयपुर में आवंटित राजकीय भूमि पर नियोजित दस्तकार नगर योजना में 750 आवासीय इकाई मय कार्यशाला का निर्माण रु. 81.03 करोड़ का व्यय कर कराया गया था। 90 आवासीय इकाइयों का लॉटरी द्वारा आवंटन किया गया। दस्तकारों के कल्याणार्थ दिनांक 02 अक्टूबर 2019 से योजना में आवासों की लागत रु. 21 लाख से घटाकर रु. 14.99 लाख की जाकर पुनः पंजीकरण प्रारम्भ की गई थी जिसमें 44 आवास आवंटित किये गये थे।

योजना में आकर्षण बढ़ाने के मध्यनजर मसाला चौक की तर्ज पर एक चौपाटी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु Open Air Theatre, Food Court, Exhibition Area का समावेश किया जाकर वीकेंड होम के रूप में पंजीकरण योजना जनता के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। जिसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 22.08.2020 को योजना के 597 आवासों को वीकेंड होम के तौर पर शुभारम्भ किया जा था। दिनांक 01.09.2020 से 15.10.2020 की अवधि में 166 पंजीकरण प्राप्त हुए थे। जिनमें से 156 योग्य आवेदकों को दिनांक 07.12.2020 को लॉटरी द्वारा आवंटन किया गये थे। जिसमें से अधिकांश आवंटियों द्वारा पंजीकरण निरस्त करा लिया गया था।

शेष आवासों के निस्तारण हेतु मंडल प्रशासन द्वारा लिये गये निर्णयानुसार 566 आवासों का निस्तारण बुधवार नीलामी “ई बिड सबमिशन” द्वारा दिनांक 22.07.2021 से आवासों की पूर्व में तय किये गये विक्रय मूल्य 14.99 लाख रु व कोरोना काल में व्यय की गई राशि 40000/- प्रति आवास पर समायोजित करते हुए आवास की लागत 15.39 लाख निर्धारित की गई थी, पर 25 प्रतिशत की छूट प्रदान करते हुए प्रारम्भ किया गया। वर्तमान में कुल 707 आवासों का आवंटन किया जाकर कुल 546 आवासों का कब्जा दिया जा चुका है।

- मानसरोवर योजना में “सिटी पार्क” का विकास – ऐशिया की सबसे बड़ी आवासीय मानसरोवर जयपुर में सबसे बड़े पार्क “सिटी पार्क” को विकसित करने की महत्वाकांक्षी परियोजना लगभग 52 एकड़ भूमि पर नियोजित किया जाकर प्रथम चरण का कार्य लगभग पूर्ण है। जिसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 22.08.2020 को किया गया था। योजना में लगभग 40,000 वर्ग मी. भूमि पर “फाउन्टेन स्क्वायर” नियोजित किया जाकर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। योजना की कुल लागत रु 110.00 करोड़ संभावित है। योजना के विकास का कार्य अप्रैल 2020 से प्रारम्भ किया गया था तथा सिटी पार्क के प्रथम चरण का कार्य अगस्त 2022 तक पूर्ण किया जाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय महोदय द्वारा लोकार्पण दिनांक 21.10.2022 को किया जा चुका है एवं द्वितीय चरण का कार्य अगस्त 2023 तक पूर्ण किया जाना अपेक्षित है। योजना में 62.00 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है।
- **चौपाटी:**— जयपुर में प्रतापनगर, मानसरोवर एवं दस्तकार नगर नायला योजनाओं में रामनिवास बाग के “मसाला चौक” की तर्ज पर “जयपुर चौपाटी” विकसित करने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। प्रताप नगर व मानसरोवर चौपाटी का जनोपयोग हेतु लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 01.11.2021 को किया गया है। उक्त दोनों चौपाटी को जयपुरवासियों द्वारा खूब सराहा जा रहा है। जयपुर चौपाटियों में प्रारम्भिक पाँच माह की अवधि में कुल 6,10,670 आगन्तुकों का सर्वाधिक संख्या में आवक का अनुपम कीर्तिमान स्थापित किया गया जिसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, लंदन द्वारा मान्यता प्रदान की गयी। इसके अतिरिक्त चौपासनी योजना जोधपुर तथा कोटा में भी चौपाटी का निर्माण कार्य भी प्रगतिशील है।
- **एन.आर.आई. स्काई पार्क आवासीय योजना:** — सैकटर 24, प्रताप नगर जयपुर में 16,235.84 वर्ग मीटर भूमि पर कुल 166 सुपर लक्जरी विभिन्न साइज के फ्लैट्स नियोजित किये गये हैं योजना में आवेदन की अन्तिम तिथि 31.12.2022 निर्धारित की गयी थी। इस योजना में 30.12.2022 तक 101 आवेदकों के आवेदन ऑनलाईन प्राप्त हुए। अनेक आवेदकों द्वारा मलमास के दृष्टिगत योजना में आवेदन की अवधि बढ़ाये जाने की मांग की है, अतः इस आधार पर पूर्व के आवेदकों जिनके द्वारा पंजीकरण राशि दिनांक 15.01.23 तक जमा करवा दी जायेगी को आवंटन में उनकी प्राथमिकता सुरक्षित रखते हुए अन्तिम रूप से इस योजना में आवेदन की तिथि 31.01.23 तक बढ़ायी गयी है। योजना की लागत रु. 95 करोड़ है तथा दिसम्बर 2025 तक योजना पूर्ण की जा सकेगी
- **गुणवत्ता नियंत्रण हेतु “सजग” मोबाईल ऐप विकसित किया जाना** – माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार आवासन मण्डल द्वारा बनाये जा रहे आवासों के निर्माण की गुणवत्ता एवं सम्पूर्ण कार्य की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने हेतु एक

मोबाईल एप “सजग” विकसित किया गया है जिसके माध्यम से सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं की समस्त गतिविधियों को एक ही जगह एक साथ देखा जा सकता है। “सजग ऐप” का विधिवत् विमोचन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 22.08.2020 को किया गया था। समस्त निर्माणाधीन परियोजनाओं हेतु एप का उपयोग प्रारम्भ किया जा चुका है। इस एप में परियोजना से सम्बन्धित भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के साथ-साथ कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चितता से सम्बन्धित कार्यवाही एप पर हर माह नियमित रूप से अद्यतन किया जा रहा है। अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण, प्रदत्त निर्देश, निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता परीक्षण, स्वतंत्र तृतीय पक्ष निरीक्षण रिपोर्ट, कार्य में आ रही बाधा आदि भी सजग एप पर अपलोड की जा रही है।

- “आरएचबी ग्रीन” मोबाईल ऐप एवं वेबसाईट – आवासन मंडल द्वारा विकसित किये गये मोबाईल एप RHB Green एवं इसी नाम से विकसित की गयी वेबसाईट के माध्यम से गत वर्ष की भौति सिटी पार्क मानसरोवर, में वर्ष 2021 में भी जनभागीदारी से वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किये गये। साथ ही प्रदेश की विभिन्न योजनाओं में राज्य सरकार के सघन वृक्षारोपण करने के निर्देशानुसार मानसून की अवधि में सफलतापूर्वक वृक्षारोपण कराया गया।
- “आरएचबी आवास” मोबाईल ऐप – आवासन मंडल द्वारा राज्य के सभी जिलों के नगर निकाय क्षेत्रों में आवास मांग के आंकलन हेतु एक मोबाईल एप “आरएचबी आवास” विकसित किया गया है जिसका माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 02.10.2021 को शुभारम्भ किया गया। सर्वे का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है जो 31.03.2023 तक अनवरत जारी रहेगा। सर्वे के परिणामों के अनुरूप नयी आवासीय योजनाओं का सृजन किया जा सकेगा। 31 दिसम्बर 2022 तक 8,721 प्रविष्ठियां अंकित की गई हैं।
- ओपन एयर जिम की स्थापना – आवासन मंडल की हस्तान्तरित एवं अहस्तान्तरित आवासीय योजनाओं में विकसित किये गये पार्कों में माननीय मुख्यमंत्री की पहल के तहत 125 ओपन एयर जिम स्थापित किये गये हैं। आवासन मंडल के कार्यालयों में भी जिम स्थापित किये गये हैं।
- नये बाजार / शॉपिंग सेंटर विकसित करना:
- राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हैल्थ साइंसेस, सैक्टर 18, प्रताप नगर जयपुर के समीप स्थित भूमि पर आयुष मार्केट में 54 व्यावसायिक भूखण्ड नियोजित किये गये जिसमें समस्त भूखण्डों का निस्तारण ई-ऑक्शन द्वारा किया गया है।
- सैक्टर 28 जयपुर में राणा सांगा मार्ग पर स्थित भूमि पर राणा सांगा मार्केट में 160 व्यावसायिक भूखण्ड नियोजित किये जाकर विकसित किये गये हैं। 37 भूखण्डों की नीलामी की जा चुकी है।

- सैक्टर 16, प्रताप नगर हल्दीघाटी मार्ग पर 65,000 वर्गमीटर में विकसित किये जा रहे कोचिंग हब परिसर के अग्र भाग में एक कोचिंग हब आर्केड का नियोजन किया गया है, जिसमें 03 तलों में 90 दुकानों (4.5 x 9.0 मी0) का निर्माण किया गया है। कुल 57 निर्मित शोरूमों एवं दो आवासीय तथा 2 मिश्रित उपयोग के कुल 4 भूखण्डों का ई आवश्यन द्वारा निस्तारण कर रु 94.35 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ।
- सैक्टर 14—ई मानसरोवर में शिप्रा पथ पर स्थित भूमि पर आरएचबी आतिश मार्केट में 89 व्यावसायिक भूखण्ड एवं 03 कियोस्क नियोजित किये जाकर व्यावसायिक केन्द्र विकसित किया गया है जिसमें समस्त भूखण्डों का निस्तारण ई—ऑक्शन द्वारा किया गया है।
- सैक्टर—14 मानसरोवर में शिप्रा पथ पर स्थित भूमि पर विकसित किये गये श्री झूलेलाल तिब्बती मार्केट में रियायती दर पर तिब्बती शरणार्थियों को 266 दुकानों का आवंटन किया गया। जिसके पश्चात शेष रही 59 दुकानों की खुली बिक्री योजना के तहत भरपूर आवेदन प्राप्त हुए एवं लॉटरी से इन दुकानों का आवंटन किया गया। फूड कोर्ट की 6 दुकानों का ई—ऑक्शन द्वारा विक्रय किया गया। मृतप्राय मार्केट का जीर्णद्वार पूर्ण कर मात्र 10 नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री श्री शांति धारीवाल द्वारा दिनांक 17.11.2021 को भव्य उद्घाटन किया गया।
कोरोना महामारी काल के दौरान आवासन मण्डल द्वारा किये गये निर्णय/नवाचार
- संस्थानिक एवं व्यावसायिक सम्पत्तियों के नवीन आवंटन में लीज राशि की गणना भू उपयोग अनुसार आरक्षित दर के स्थान पर आवासीय आरक्षित दर से किया गया। राज्य सरकार के निर्देशानुसार एक मुश्त लीज राशि जमा कराये जाने की शर्त पर पुराने आवंटित प्रकरणों में भी शिथिलता प्रदान की गई। अतिरिक्त भू—पट्टी आवंटन दर प्रचलित आवासीय आरक्षित दर की वसूली अतिरिक्त भू—पट्टी को मिलाकर पूरे भूखण्ड पर भवन निर्माण विनियिम के अनुरूप निर्माण अनुमेय होने का निर्णय लिया गया।
- कोरोना की द्वितीय लहर में 2 लाख फ्री फेस मास्क निःशुल्क वितरित किये गये। मण्डल के कार्मिकों एवं उनके परिजनों हेतु टीकाकरण शिविर का आयोजन कर कुल 1255 टीके लगाये गये। कोरोना काल में समस्त नीलामी ऑनलाइन माध्यम से की गई जिसमें आमजन को कार्यालय में आने की आवश्यकता नहीं रही।
- सभी आवास क्रेताओं, जिनकी आवंटन पत्रानुसार मांग राशि जमा कराने की अन्तिम तिथि 15.03.2020 के पश्चात् नियत थी, को राहत प्रदान करते हुये मांग राशि बिना किसी अतिरिक्त ब्याज एवं शास्ति के जमा करवाये जाने की सुविधा प्रदान की गयी।
- 01.07.2019 के पश्चात् खुली बिक्री एवं बुधवार नीलामी से निस्तारित आवासों की आवंटी द्वारा एक मुश्त राशि जमा न कराये जा पाने की स्थिति में प्रकरणवार

अध्यक्ष आवासन मंडल के स्तर पर वर्तमान 156 मासिक किश्त पर आधारित योजना का लाभ दिये जाने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार के निर्देशानुसार नीलामी के प्रकरणों में नीलामी से पूर्व 2.0 प्रतिशत अमानत राशि, नीलामी के 03 दिवस की अवधि में 15.0 प्रतिशत सम्पत्ति मूल्य की राशि, 240 दिवस की अवधि में 35.0 प्रतिशत एवं शेष 50 प्रतिशत राशि 360 दिवस में जमा कराये जाने का प्रावधान किया गया। सम्पूर्ण नीलामी राशि मांग पत्र जारी होने के 15 दिवस में जमा कराने पर सफल बोलीदाता को 2.0 प्रतिशत की छूट देय होगी।

- आवासीय एवं व्यवसायिक सम्पत्ति हेतु न्यूनतम बिड मूल्य (एम.बी.पी.) पूर्व वर्ष 2019–20 की भाँति वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 के दौरान 07.11.2021 तक स्थिर रखा गया है। दिनांक 08.11.2021 के पश्चात् संशोधित की गई वर्ष 2021–22 हेतु 30.06.2022 तक प्रभावी भूमि एवं विकास दर के अनुरूप आरक्षित मूल्य एवं एम.बी.पी. का निर्धारण किया गया।

15. आवासन मण्डल की महत्वपूर्ण योजनाएँ :-

15.1 मानसरोवर, जयपुर

जयपुर शहर में आवास हेतु वर्ष 1979 के पंजीकृत आवेदकों के लिए मानसरोवर योजना विकसित की गयी थी। इस योजना में अब तक विभिन्न श्रेणी के 28024 आवासों का निर्माण प्रारम्भ किया गया था जिसमें से आवासों का निर्माण पूर्ण कर 27870 आवास आवंटियों को हस्तांतरित किये जा चुके हैं।

- **रामकृष्ण अपार्टमेन्ट** :— शिप्रा पथ मानसरोवर में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत मध्यम आय वर्ग “ब” के कुल 180 फ्लैट्स (स्टिल्ट+9) का निर्माण कर 180 फ्लैट्स का आवंटन कर 178 फ्लैट्स के कब्जे दिये जा चुके हैं।
- **द्वारका अपार्टमेन्ट** :— पूर्व पंजीकृत आवेदकों हेतु द्वारका पथ मानसरोवर में मध्यम आय वर्ग “ब” के 324 फ्लैट्स (स्टिल्ट+9) का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया था जिसमें से कुल 304 फ्लैट्स का आवंटन कर 290 फ्लैट्स के कब्जे दिये जा चुके हैं।
- **अरावली एन्कलेव** :— पूर्व पंजीकृत आवेदकों हेतु स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत न्यू सांगानेर रोड, सेक्टर-8 में उच्च आय वर्ग के 104 फ्लैट्स (बेसमेन्ट+स्टिल्ट+13) फ्लैट्स का निर्माण कार्य प्रगति पूर्ण हो चुका है तथा 104 फ्लैट्स का आवंटन किया जाकर 93 फ्लैट्स का कब्जा संबंधित आवंटियों को दिया जा चुका है।
- **द्वारका रेजीडेंसी** :— स्ववित्त पोषित योजना 2012 एवं 2014 के अन्तर्गत द्वारका पथ पर 189 बहुमंजिले (B+S+12) आवास नियोजित किये जाकर 96 आवासों का निर्माण कार्य मार्च 2015 में प्रारम्भ किया गया, इन आवासों का निर्माण पूर्ण कर 93 फ्लैट्स का आवंटन कर 85 फ्लैट्स का भौतिक कब्जा दिया जा चुका है। शेष 93 आवासों के निर्माण कार्य अगस्त 2019 से प्रारम्भ कर पूर्ण कर दिया गया

है जिसमें से 93 फ्लैट्स का आवंटन कर 75 फ्लैट्स का कब्जा दिया जा चुका है।

- **द्वारका टविन्स** :- द्वारका पथ पर पूर्व पंजीकृत लम्बित आवेदकों हेतु 72 उच्च आय वर्ग (B+S+9) के बहुमंजिले आवास नियोजित किये जाकर निर्माण कार्य पूर्णकर 72 फ्लैट्स का आवंटन कर 69 फ्लैट्स का भौतिक कब्जा दिया जा चुका है।
- **आरएचबी आतिश मार्केट** :- माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 20.12.2019 को व्यावसायिक प्रयोजन हेतु "आरएचबी आतिश मार्केट" का शुभारम्भ किया गया। योजना में कुल 89 वाणिज्यिक भूखण्ड एवं 3 कियोस्क नियोजित किये गये हैं। योजना में विकास कार्य पूर्ण कर लिया गया है। नीलामी द्वारा 89 भूखण्डों तथा 03 कियोस्कों का निस्तारण किया जाकर 56 भूखण्डों का कब्जा आवंटियों को सौंपा गया है।
- **जयपुर चौपाटी** :-द्वारका उद्यान के समीप द्वारकादास मार्ग पर जयपुर चौपाटी का निर्माण कार्य पूर्ण कर निर्मित 22 दुकानों का 05 वर्ष हेतु लीज पर आवंटन कर आवंटन पत्र आवंटियों को सम्भला दिया गया है। चौपाटी का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 01.11.2021 को किया जाकर आमजन हेतु खोल दिया गया है।

15.2 इंदिरा गांधी नगर योजना, जगतपुरा, जयपुर

वृत्त-तृतीय, जयपुर के अधीन इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर में अब तक आवास/फ्लैटों का कार्य प्रारम्भ कर 9002 आवास/फ्लैट पूर्ण किये जा चुके हैं, जिनमें से 9313 आवासों/फ्लैटों का आवंटन कर 8681 आवासों/फ्लैटों का कब्जा दिया जा चुका है।

मध्यम आय वर्ग "ब" श्रेणी की आवासीय योजनाएं:

- **कंचनजंघा अपार्टमेंट** :-स्ववित्त पोषित योजना-2012 (भाग द्वितीय) के तहत महानदी मार्ग 80 फीट सड़क पर, सैकटर-8 में पृथक से चारदीवारी में मध्यम आय वर्ग "ब" (बी+एस+9) के 6 ब्लॉक्स में 2 भूखण्डों पर कुल 360 फ्लैट्स निर्मित किये गये एवं 295 फ्लैट्स का कब्जा आवंटियों को दिया जा चुका है। निर्मित फ्लैट में 3 बी.एच.के.का प्रावधान है, जिसका निर्मित क्षेत्रफल लगभग 1245 वर्गफीट है एवं योजना में तलधर, स्टिल्ट तथा खुले क्षेत्र में पार्किंग हेतु समुचित स्थान उपलब्ध है। अपार्टमेंट में प्रत्येक ब्लॉक में दो लिफ्ट की सुविधा उपलब्ध है। लिफ्ट एवं कॉमन स्पेस में 24 घंटे बिजली आपूर्ति हेतु पावर बैंक-अप कार्यरत है। पानी हेतु पृथक से टैंक निर्मित है। साथ ही अग्निशमन संयंत्र स्थापित एवं संचालित है।

मध्यम आय वर्ग “अ” श्रेणी की आवासीय योजनाएँ:

- **शिवालिक अपार्टमेंट** :— चम्बल मार्ग 60 फीट सड़क पर, सैकटर-4 में विभिन्न चरणों में 3 भूखण्डों पर ब्लॉक बी, सी, डी के रूप में मध्यम आय वर्ग “अ” (जी+3) के कुल 216 फ्लैट्स निर्मित किये गये एवं 214 फ्लैट्स का कब्जा आवंटियों को दिया जा चुका है। निर्मित फ्लैट में 2 बी.एच.के. का प्रावधान है, जिसका निर्मित क्षेत्रफल लगभग 715 वर्ग फीट है एवं योजना में पार्किंग हेतु समुचित स्थान उपलब्ध है।
- **नीलकंठ अपार्टमेंट** :— चम्बल मार्ग 60 फीट सड़क पर, सैकटर-5 में विभिन्न चरणों में 3 भूखण्डों पर ब्लॉक ए, बी, सी के रूप में मध्यम आय वर्ग “अ” (जी+3) के कुल 144 फ्लैट्स निर्मित किये गये एवं 140 फ्लैट्स का कब्जा आवंटियों को दिया जा चुका है। निर्मित फ्लैट में 2 बी.एच.के. का प्रावधान है, जिसका निर्मित क्षेत्रफल लगभग 715 वर्गफीट है एवं योजना में पार्किंग हेतु समुचित स्थान उपलब्ध है।
- **गुरुशिखर अपार्टमेंट** :— चम्बल मार्ग 60 फीट सड़क पर, सैकटर-6 में मध्यम आय वर्ग “अ” (जी+3) के कुल 80 फ्लैट्स निर्मित किये गये एवं 79 फ्लैट्स का कब्जा आवंटियों को दिया जा चुका है। निर्मित फ्लैट में 2 बी.एच.के. का प्रावधान है, जिसका निर्मित क्षेत्रफल लगभग 715 वर्गफीट है एवं योजना में पार्किंग हेतु समुचित स्थान उपलब्ध है।
- **विन्ध्यांचल अपार्टमेंट** :— महानदी मार्ग 80 फीट सड़क पर, सैकटर-7 में मध्यम आय वर्ग “अ” (जी+3) के कुल 112 फ्लैट्स निर्मित किये गये एवं 111 फ्लैट्स का कब्जा आवंटियों को दिया जा चुका है। निर्मित फ्लैट में 2 बी.एच.के. का प्रावधान है, जिसका निर्मित क्षेत्रफल लगभग 715 वर्गफीट है एवं योजना में पार्किंग हेतु समुचित स्थान उपलब्ध है।
- **रत्नागिरी अपार्टमेंट** :— महानदीमार्ग 80 फीट सड़क पर, सैकटर-7 में मध्यम आय वर्ग “अ” (जी+3) के कुल 160 फ्लैट्स निर्मित किये गये एवं 158 फ्लैट्स का कब्जा आवंटियों को दिया जा चुका है। निर्मित फ्लैट में 2 बी.एच.के. का प्रावधान है, जिसका निर्मित क्षेत्रफल लगभग 715 वर्गफीट है एवं योजना में पार्किंग हेतु समुचित स्थान उपलब्ध है।
- **अरावली अपार्टमेंट** :— सरस्वती मार्ग 80 फीट सड़क पर, सैकटर-9 में विभिन्न चरणों में मध्यम आय वर्ग “अ” (जी+3) के कुल 192 फ्लैट्स निर्मित किये गये एवं 189 फ्लैट्स का कब्जा आवंटियों को दिया जा चुका है। निर्मित फ्लैट में 2 बी.एच.के. का प्रावधान है, जिसका निर्मित क्षेत्रफल लगभग 694 वर्गफीट है एवं योजना में पार्किंग हेतु समुचित स्थान उपलब्ध है।
- **नीलगिरी अपार्टमेंट** :— सरस्वती मार्ग 80 फीट सड़क पर, सैकटर-10 में मध्यम आय वर्ग “अ” (जी+3) के कुल 208 फ्लैट्स निर्मित किये गये एवं 206 फ्लैट्स का कब्जा आवंटियों को दिया जा चुका है। निर्मित फ्लैट में 2 बी.एच.

के. का प्रावधान है, जिसका निर्मित क्षेत्रफल लगभग 715 वर्गफीट है एवं योजना में पार्किंग हेतु समुचित स्थान उपलब्ध है।

अल्प आय वर्ग श्रेणी की आवासीय योजनाएँ:

- सरस्वती मार्ग 80 फीट सड़क पर, सैकटर-9 में अल्पआय वर्ग (जी+3) के कुल 144 फ्लैट्स निर्मित किये गये हैं जिनमें से 113 फ्लैट्स का कब्जा दिया जा चुका है। परिसर में विकास कार्य लगभग पूर्ण है। निर्मित फ्लैट में 2 बी.एच.के. का प्रावधान है, जिसका निर्मित क्षेत्रफल लगभग 476 वर्गफीट है एवं योजना में पार्किंग हेतु समुचित स्थान उपलब्ध है।
- ध्वलगिरी अपार्टमेंट :—सरस्वती मार्ग 80 फीट सड़क पर, सैकटर-10 में अल्पआय वर्ग (जी+3) के कुल 136 फ्लैट्स निर्मित किये गये एवं 133 फ्लैट्स का कब्जा आवंटियों को दिया जा चुका है। निर्मित फ्लैट में 2 बी.एच.के. का प्रावधान है, जिसका निर्मित क्षेत्रफल लगभग 476 वर्गफीट है एवं योजना में पार्किंग हेतु समुचित स्थान उपलब्ध है।
- उदयगिरी अपार्टमेंट :—पार्वती मार्ग 80 फीट सड़क पर, सैकटर-12 में अल्प आय वर्ग (जी+3) के कुल 304 फ्लैट्स निर्मित किये गये एवं 301 फ्लैट्स का कब्जा आवंटियों को दिया जा चुका है। निर्मित फ्लैट में 2 बी.एच.के. का प्रावधान है, जिसका निर्मित क्षेत्रफल लगभग 476 वर्ग फीट है एवं योजना में पार्किंग हेतु समुचित स्थान उपलब्ध है।
- मुख्यमंत्री जन आवास योजना :— योजना में सैकटर 07 के भूखण्ड संख्या जी0एच0—3 एवं जी0एच0—4 पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत बहुपंजिली आवासीय योजना का नियोजन किया गया है, जिसका शुभारम्भ माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 22.08.2020 को किया गया। योजना का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 18.12.2020 को सम्पन्न किया गया। जी0एच0—3 में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 340, जी0एच0—4 में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 104 तथा अल्प आय वर्ग के 288 फ्लैट निर्मित किये जाने का कार्यादेश जारी किये जाकर माह फरवरी 2021 से निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, योजना पूर्ण होने की अवधि 21 माह है। योजना की आवास आवंटन लॉटरी आयोजित की जा चुकी है।
- निवाई आवासीय योजना :— योजना का शुभारम्भ माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 22.08.2020 को किया गया। योजनान्तर्गत प्रथम फेज में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 25 अल्प आय वर्ग के 92 मध्यम आय वर्ग “अ” के 45 एवं द्वितीय फेज में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 38 अल्प आय वर्ग के 165 मध्यम आय वर्ग “अ” के 39 मध्यम आय वर्ग “ब” के 12 तथा उच्च आय वर्ग के

30 स्वतंत्र आवासों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। प्रथम एवं द्वितीय चरण के आवासों का आवंटन किया जा चुका है।

15.3 प्रताप नगर, सांगानेर /महला/वाटिका (जयपुर)

प्रताप नगर सांगानेर/महला (जयपुर) में अब तक 42499 आवासों/फ्लैट्स का निर्माण प्रारम्भ कर 37760 आवास/फ्लैट पूर्ण किये गये हैं। इनमें से 34076 का भौतिक कब्जा आवंटियों को सौंपा जा चुका है एवं वर्तमान में प्रताप नगर सांगानेर योजना में विभिन्न आय वर्ग के 4739 फ्लैट्स का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

- **राज आंगन** :— अप्रवासी भारतीय/अप्रवासी राजस्थानियों के लिए एक विशिष्ट गृह योजना सैक्टर-24 में मण्डल द्वारा वर्ष 2000 में आरम्भ की गई थी जिसमें 303 विभिन्न श्रेणी के आवासों की टाउनशिप विकसित की गयी। यह योजना 57 हैक्टेयर्स में फैली हुई है। इस योजना के चारों तरफ 18 मीटर चौड़ी घनी हरित पट्टी विकसित की गयी। योजनान्तर्गत 303 आवास नियोजित किये गये थे जिसमें से 301 पंजीकरण के विरुद्ध 293 आवासों का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर 293 आवास पूर्ण किये जाकर 291 आवासों का कब्जा आवंटियों को सौंपा जा चुका है।
- **‘प्रताप एन्कलेव’ योजना** : राज आंगन परियोजना में राज्य के स्थानीय आवेदकों के रुझान को देखते हुए उच्च आय वर्ग के आवेदकों के लिए स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत 240 विशिष्ट मापदण्डों के आधुनिक ड्यूप्लेक्स आवासों की एक अन्य योजना ‘तक्षक’ का शुभारम्भ सैक्टर-25 में 16 फरवरी, 2005 को किया गया था, जिसका नाम परिवर्तित कर ‘प्रताप एन्कलेव’ योजना कर दिया गया है। इस योजना में कुल 216 आवेदकों द्वारा पंजीकरण करवाया गया है। इनमें से प्रथम चरण व द्वितीय चरण में कुल 216 ड्यूप्लेक्स आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कर 216 आवासों का कब्जा आवंटियों को सौंपा जा चुका है। योजना में निर्मित सभी आवास उच्च आय वर्ग डुप्लेक्स श्रेणी के बनाये गये हैं।
- **प्रताप अपार्टमेंट** : समूह बहुमंजिली आवासीय योजना (S+10) सांगानेर में वीरांगना विहार योजना सहित लम्बित पंजीकृत आवेदकों हेतु सैक्टर-29 में स्ववित्त पोषित/पंजीकरण योजनान्तर्गत अल्प आय वर्ग के 660, मध्यम आय वर्ग ‘अ’ के 300, मध्यम आय वर्ग ‘ब’ के 220 एवं उच्च आय वर्ग के 200 फ्लैट्स कुल 1380 फ्लैट्स का निर्माण किया गया है। इनमें से 1380 फ्लैट्स का निर्माण कार्य पूर्ण कर 1308 फ्लैट्स का आवंटन किया जा चुका है। इसी योजना में वीरांगनाओं को अल्प आय वर्ग के 144 एवं मध्यम आय वर्ग अ के 63 कुल 207 फ्लैट्स का आवंटन किया जा चुका है। इस योजना में 964 फ्लैट्स का कब्जा आवंटियों को सौंपा जा चुका है।

- **मेवाड़ अपार्टमेंट** : समूह बहुमंजिली आवासीय योजना (S+9) जयपुर के प्रतापनगर के सैक्टर-15 में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत उच्च आय वर्ग के 352 फ्लैट्स का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर 342 फ्लैट्स को आवंटित कर 317 फ्लैट्स का कब्जा दे दिया गया है।
- **कृष्णा अपार्टमेन्ट** : सैक्टर-28 में आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर आय वर्ग के लिये 1024 (G+3) के आवास नियोजित किये गये हैं। सभी आवासों का निर्माण पूर्ण कर 1022 का आवंटन कर दिया गया है एवं 979 फ्लैट्स का कब्जा आवंटियों को सौपा जा चुका है।
- **चिनाब अपार्टमेन्ट** : सैक्टर-28 में समूह आवासीय योजना में मध्यम आय वर्ग (अ) के (G+3) मंजिल 880 फ्लैट्स का कार्य पूर्ण कर 836 का आवंटन कर दिया गया है एवं 699 फ्लैट्स का कब्जा आवंटियों को सौपा जा चुका है।
- **अलकनन्दा अपार्टमेन्ट** : समूह आवासीय योजना के अन्तर्गत अल्प आय वर्ग के प्रतीक्षारत समान्य पंजीकृत योजना के आवेदकों हेतु सैक्टर-9, प्रताप गनर में (G+3) मंजिले 272 फ्लैट्स का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इनमें से 267 फ्लैट्स का कब्जा आवंटियों को दिया जा चुका है।
- **रावी अपार्टमेन्ट** : सैक्टर-28 में समूह आवासीय योजना के अन्तर्गत अल्प आय वर्ग के सामान्य पंजीकरण योजना के प्रतीक्षारत आवेदकों हेतु 272 (G+3) फ्लैट्स का निर्माण कार्य किया गया था। इनमें से 272 फ्लैट्स का आवंटन कर 261 फ्लैट्स का कब्जा आवंटियों को दिया जा चुका है।
- **सतलुज अपार्टमेन्ट** : सैक्टर 28 में अल्प आय वर्ग के लिये 416 (G+3) फ्लैट्स नियोजित किये गये हैं, सभी फ्लैट्स का निर्माण कार्य पूर्ण कर 388 फ्लैट्स का आवंटन किया जा चुका है। इनमें से 323 फ्लैट्स का कब्जा दिया जा चुका है।
- **व्यास अपार्टमेन्ट** :-सैक्टर-11 में मध्यम आय वर्ग ‘ब’(G+2) के 108, मध्यम आय वर्ग—ब (B+S+10) के 160 एवं उच्च आय वर्ग (G+2) के 96 फ्लैट्स कुल 364 फ्लैट्स का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर 364 फ्लैट्स पूर्ण किये जा चुके हैं। इनमें से मध्यम आय वर्ग—ब (G+2) के 108 फ्लैट्स आवंटित कर 107 फ्लैट्स एवं मध्यम आय वर्ग—ब (B+S+10) के 252 फ्लैट आवंटित कर 250 फ्लैट्स का कब्जा दिया जा चुका हैं। उच्च आय वर्ग (G+2) के 96 फ्लैट्स का कार्य पूर्ण हो चुका है। इनमें से 91 फ्लैट्स का आवंटन कर 89 फ्लैट्स का कब्जा दिया जा चुका है।
- **बनास अपार्टमेन्ट, सैक्टर-26** में स्ववित्त पोषित योजना के तहत (S+10) उच्च आय वर्ग के 80 फ्लैट्स का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया गया है। इनमें से 79 फ्लैट्स का आवंटन कर 79 फ्लैट्स का कब्जा दिया जा चुका है।

- सरयू अपार्टमेन्ट, सैकटर-26 में स्ववित्त पोषित योजना के तहत (S+10) उच्च आय वर्ग के 80 फ्लैट्स का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया गया है। इनमें से 79 फ्लैट्स का आवंटन कर 79 फ्लैट का कब्जा दिया जा चुका है।
- गंगा अपार्टमेन्ट, सैकटर-26 जोन 263 में स्ववित्त पोषित योजना के तहत (B+S+10) उच्च आय वर्ग के 80 फ्लैट्स का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। जिसमें से 73 फ्लैट्स का आवंटन कर 73 फ्लैट का कब्जा दिया जा चुका है।
- सरस्वती अपार्टमेन्ट:- सैकटर-18 में मुख्य कुम्भा मार्ग पर मध्यम आय वर्ग-ब के (S+6) के 240 फ्लैट्स नियोजित हैं, इनमें से 240 फ्लैट्स का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। इनमें से 218 फ्लैट्स का कब्जा दिया जा चुका है।
- गोमती अपार्टमेन्ट:- सैकटर-18 में मध्यम आय वर्ग-अ के (S+11) के 440 फ्लैट्स का नियोजन कर पंजीकरण आमंत्रित कर कुल 396 फ्लैट्स का निर्माण किया गया है, जिसमें से 396 फ्लैट पूर्ण कर 387 फ्लैट्स का कब्जा दिया जा चुका है।
- झेलम अपार्टमेन्ट:- सैकटर-28 में मध्यम आय वर्ग -अ के 160 (G+3) फ्लैट्स व मध्यम आय वर्ग -ब के 192 कुल 352 फ्लैट्स (G+3) का नियोजन किया गया था, जिसमें से मध्यम आय वर्ग-अ के 160 फ्लैट्स व मध्यम आय वर्ग-ब के 192 फ्लैट्स का निर्माण पूर्ण कर मध्यम आय वर्ग-अ के 124 फ्लैट्स व मध्यम आय वर्ग-ब के 185 फ्लैट्स का भौतिक कब्जा आवंटियों को दिया जा चुका है शेष के कब्जे दिये जाने की प्रक्रिया जारी है।
- गोदावरी अपार्टमेन्ट:- सैकटर-29 में आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर आय वर्ग (G+3) के 416, अल्प आय वर्ग के (G+3) के 368 व मध्यम आय वर्ग -अ के (G+3) 160, कुल 944 फ्लैट्स का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। कमज़ोर आय वर्ग के 387 फ्लैट्स, अल्प आय वर्ग के 335 फ्लैट्स व मध्यम आय वर्ग-अ के 154 फ्लैट्स का भौतिक कब्जा आवंटियों को सम्भलवाया जा चुका है, शेष फ्लैट्स का भौतिक कब्जा दिये जाने की प्रक्रिया जारी है।
- नर्मदा अपार्टमेन्ट:- प्रताप नगर आवासीय योजना के सैकटर-8 में चेतक मार्ग पर स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत मध्यम आय वर्ग-ब (B+S+11) के 88 फ्लैट्स का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। 87 फ्लैट्स का आवंटन कर 87 फ्लैट्स का कब्जा दिया जा चुका है।
- साबरमती अपार्टमेन्ट:- प्रताप नगर आवासीय योजना के सैकटर-17 में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत मध्यम आय वर्ग-अ (S+9) के 72 फ्लैट्स का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 72 फ्लैट्स का आवंटन कर 68 फ्लैट्स कब्जा दिया जा चुका है।
- द्वारकापुरी आवासीय योजना:- प्रताप नगर आवासीय योजना के सैकटर-26 में वर्ष 2005 एवं 2007 में अल्प आय वर्ग के लिये विशिष्ट पंजीकरण योजना द्वारकापुरी

(जी+7) के 2976 फ्लैट्स नियोजित किये गये थे। जिसमें से 2976 फ्लैट्स का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर 2976 फ्लैट्स का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 1980 फ्लैट्स का आवंटन कर 1789 फ्लैट्स का कब्जा दिया जा चुका है।

- **वाटिका आवासीय योजना** :— राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा ग्राम वाटिका में विशिष्ट पंजीकरण योजना के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर आय वर्ग के 337 आवास, अल्प आय वर्ग के 287 आवास, मध्यम आय वर्ग—अ के 165 आवास हेतु दिनांक 01.09.2020 से पंजीकरण योजना प्रारम्भ की गयी। उक्त योजना का निर्माण कार्य पूर्ण कर आवंटन लॉटरी दिनांक 24.03.2022, 25.08.2022 एवं 23.12.2022 द्वारा आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर आय वर्ग के 324 आवास, अल्प आय वर्ग के 286 आवास, मध्यम आय वर्ग—अ के 165 आवास कुल 775 आवास आवंटित कर दिये गये हैं। जिसमें से कुल 770 आवासों के आवंटन पत्र दिनांक 30.12.2022 को जारी कर दिये गये हैं।
- **मुख्यमन्त्री जन आवास योजना** :— राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा सैक्टर-3, जोन-32 में आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर आय वर्ग के 504 फ्लैट्स, अल्प आय वर्ग के 208 फ्लैट एवं सैक्टर-28 (जी+11) में आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर आय वर्ग के 480 फ्लैट्स, अल्प आय वर्ग के 576 फ्लैट्स हेतु दिनांक 01.09.2020 से पंजीकरण योजना प्रारम्भ की गयी। प्राप्त पंजीकरणों का वरियता निर्धारण किया जाकर योजनान्तर्गत सभी फ्लैट्स का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है व निर्माण प्रगति पर है। आवंटन लॉटरी दिनांक 23.11.2022 द्वारा सैक्टर-3, जोन-32 में आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर आय वर्ग के 489 फ्लैट्स, अल्प आय वर्ग के 198 फ्लैट, एवं सैक्टर-28 (जी+11) में आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर आय वर्ग के 452 फ्लैट्स, अल्प आय वर्ग के 516 फ्लैट्स का आवंटन कर दिया गया है, फ्लैट्स का निर्माण पूर्णता के निकट है।
- **मुख्यमन्त्री शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजना** :— माननीय मुख्यमन्त्री जी की पहल पर आवासन मण्डल के प्रताप नगर योजना में राज्य के शिक्षकों एवं प्रहरियों हेतु 20,925 वर्ग मी. पर क्रमशः 288—288 (कुल 576) बहुमंजिले आवासों (बी+एस+12) जिसमें प्रत्येक आवास का बिल्टअप एरिया 706 वर्ग फीट है मुख्यमन्त्री शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजना रूपये 15.70 लाख प्रत्येक फ्लैट की लागत पर नियोजित किये गये हैं। माननीय स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग मंत्री द्वारा दिनांक 08.09.2022 को इस योजना का लोकार्पण किया जाकर 418 आवंटियों को कब्जा दिया जा चुका है।
- **जयपुर चौपाटी** :— प्रताप नगर आवासीय योजना के सैक्टर-23 में जयपुर चौपाटी का निर्माण कार्य पूर्ण कर निर्मित 28 दुकानों का लीज पर आवंटन कर आवंटन पत्र आवंटियों को सम्भला दिया गया है। चौपाटी का लोकार्पण माननीय मुख्यमन्त्री द्वारा दिनांक 01.11.2021 को किया जाकर आमजन हेतु खोल दिया गया है।

• **ऑल इण्डिया सर्विसेज रेजीडेन्सी** :- स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत सैकटर-17 प्रताप नगर, सांगानेर जयपुर स्थित बहुमंजिले आवासीय योजना हेतु आरक्षित 17,860 वर्गमीटर के भूखण्ड पर “अखिल भारतीय सेवा (एआईएस) रेजीडेन्सी” के तहत उच्च आय वर्ग के बहुमंजिले 180 फ्लैट्स (B1+B2+G+12) नियोजित किये जाकर निर्माण कार्य प्रारम्भर कर दिया गया है। योजना के आवेदकों की वेब बेस्ड आवास आवंटन लॉटरी दिनांक 29.06.2021 को आयोजित की गई है। मा० मुख्यमंत्री द्वारा योजना का शिलान्यास दिनांक 11.08.2021 को किया गया। योजना के प्रथम चरण में छत ढलाई का 100 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा फेज-प्रथम में 80 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। योजना में अधिकारियों के रुझान को दृष्टिगत रखते हुये मण्डल द्वारा सेक्टर 17 में ही “एआईएस रेजीडेन्सी (फेज-2)” नियोजित की गई, जिसमे कुल 114 फ्लैट्स (B1+B2+G+12) का निर्माण कार्य प्रगति पर है। योजना के आवेदकों की वेब बेस्ड आवास आवंटन लॉटरी दिनांक 12.05.2022 व 18.07.2022 को आयोजित की गई है। एआईएस रेजीडेन्सी (फेज-2) में 5 ब्लॉक की बेसमेन्ट । और ॥ की छत ढलाई का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा लगभग रु. 25 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

• **महला आवासीय योजना**:- जयपुर वृत प्रथम के अधीन आवासन मण्डल द्वारा प्रारम्भ की गई महला आवासीय योजना का क्षेत्रफल लगभग 70.44 हैक्टेयर (279. 00 बीघा) है। इस योजना में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 112 फ्लैट, अल्प आय वर्ग के 1344 फ्लैट एवं मध्यम आय वर्ग-अ के 128 फ्लैट कुल 1584 फ्लैट (G+3) टाईप के फ्लैट्स का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। कमजोर आय वर्ग के 11 फ्लैट्स, अल्प आय वर्ग के 72 फ्लैट्स व मध्यम आय वर्ग-अ के 11 फ्लैट्स कुल 94 फ्लैट्स का भौतिक कब्जा आवंटियों को सम्भलवाया जा चुका है। महला आवासीय योजना में स्वतन्त्र आवासा हेतु पंजीकरण योजना में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 271 आवास, अल्प आय वर्ग के 329 आवास, मध्यम आय वर्ग-अ के 136 आवासों हेतु दिनांक 01.09.2020 से पंजीकरण योजना प्रारम्भ की गयी। प्राप्त पंजीकरणों के अनुरूप आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 78 आवासों, अल्प आय वर्ग के 82 आवासों, मध्यम आय वर्ग-अ के 34 आवासों हेतु योजना प्रारम्भ की गई। उक्त योजना में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 61 आवास, अल्प आय वर्ग के 66 आवास, मध्यम आय वर्ग-अ के 24 आवासों का आवंटन लॉटरी द्वारा किया जा चुका है।

15.4 जोधपुर

• **चौपासनी आवासीय योजना** :- चौपासनी योजना में कुल विभिन्न श्रेणीयों के 13103 स्वतन्त्र आवासों एवं 692 बहुमंजिले आवासों का निर्माण कर 13099

स्वतन्त्र आवासों एवं 617 बहुमंजिले पलेट का भौतिक कब्जा आवंटियों को सुपुर्द कर दिया गया है। अधिशेष पलेटों का निस्तारण बुधवार नीलामी उत्सव के तहत किया जा रहा है। वर्तमान में “जोधपुर चौपाटी” का निर्माण कराया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत 22 दुकानों 10 कियोस्क का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

- **कुड़ी भगतासनी योजना** :— जोधपुर कुड़ी भगतासनी आवासीय योजना में अब तक 15805 आवासों/पलैट्स का निर्माण प्रारम्भ कर कुल 15805 आवासों/पलैट्स का निर्माण पूर्ण किया गया तथा 15437 आवासों/पलैट्स का आवंटन आवेदकों का कर दिया गया है तथा कुल 13405 आवासों/पलैट्स का भौतिक कब्जा आवेदकों को सुपुर्द कर दिया गया है।
- **विवेक विहार योजना, जोधपुर** :— विवेक विहार योजना, जोधपुर में अब तक 1936 पलैट्स का निर्माण प्रारम्भ कर कुल 1936 पलैट्स का निर्माण पूर्ण किया गया तथा 1813 पलैट्स का आवंटन आवेदकों का कर दिया गया है तथा कुल 936 पलैट्स का भौतिक कब्जा आवेदकों को सुपुर्द कर दिया गया है।
- **महात्मा गाँधी सम्बल आवासीय योजना बड़ली** — वर्ष 2008 में राज्य सरकार के निर्देशानुसार तत्कालीन नगर विकास न्यास जोधपुर द्वारा ग्राम बड़ली में 1100 बीघा भूमि राजस्थान आवासन मण्डल को आवंटित की गयी। उक्त आवंटित भूमि में से 990 बीघा भूमि का कब्जा दिनांक 25.06.2009 को राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा प्राप्त किया जाकर डीमार्केशन पश्चात् 833.49 बीघा भूमि योजना हेतु उपलब्ध है। माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार द्वारा बड़ली आवासीय योजना के प्रथम चरण में माह फरवरी 2020 में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 335 एवं अल्पआय वर्ग के 153 कुल 488 आवासों हेतु महात्मा गाँधी संबल आवासीय योजना का शुभारम्भ करने के क्रम में पंजीकरण 24.02.2020 से 30.06.2020 तक प्राप्त किये गए थे। योजना के प्रथम चरण का शिलान्यास एवं द्वितीय चरण में मध्यम आय वर्ग (अ) के 152 आवासों हेतु योजना का शुभारम्भ दिनांक 22.08.2020 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया गया। द्वितीय चरण हेतु पंजीकरण 01.09.2020 से 15.10.2020 तक प्राप्त किये गये तथा दिनांक 11.12.2020 को लॉटरी द्वारा 152 सफल आवेदकों की वरीयता निर्धारण किया गया। योजना में निर्माण कार्य का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 18.12.2020 को सम्पन्न किया गया। योजना में आवास निर्माण हेतु 960.73 लाख रु की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाकर 640 आवासों का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर 626 आवासों का आवंटन लॉटरी द्वारा सम्बन्धित आवेदकों को कर दिया गया है।
- **केरू आवासीय योजना जोधपुर** :— जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की ग्राम केरू (जोधपुर) के खसरा न. 812 में से कुल 1500 बीघा भूमि राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर को आवंटित की गई है जिसके लिये जोधपुर विकास प्राधिकरण को लगभग 150.00 करोड़ रु. का भुगतान किया जाकर भूमि का कब्जा प्राप्त

कर लिया गया है। उक्त भूमि पर योजना विकसित करने हेतु प्लानिंग की जा रही है। तत्पश्चात पंजीकरण योजना प्रारम्भ की जानी प्रस्तावित है।

- **आबूरोड़ आवासीय योजना** :— आबूरोड़ में आकरा भाटा एवं मानपुर में आवासीय योजनाओं का निर्माण किया गया है। आकराभट्टा आबूरोड़ में विभिन्न आय वर्गों के कुल 629 मकानों का निर्माण कर 609 आवासों का भौतिक कब्जा सुपुर्द कर दिया गया है। मानपुर आवासीय योजना, आबूरोड़ में 1075 आवासों का निर्माण किया जाकर 991 आवासों का निर्माण पूर्ण कर 916 आवासों का भौतिक कब्जा सुपुर्द कर दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा 2021–22 की पालना में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 73 व अल्प आय वर्ग के 19 स्वतंत्र आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है, लागत निर्धारण कर आवंटन पत्र जारी कर दिये गये हैं। मण्डल कर्मचारियों हेतु विशिष्ट पंजीकरण योजना के अन्तर्गत उच्च आय वर्ग के 31, मध्यम आय वर्ग—ब के 7 तथा मध्यम आय वर्ग—अ के 17 कुल 55 आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- **जैसलमेर आवासीय योजना** :— कुल विभिन्न श्रेणीयों के 422 स्वतन्त्र आवासों एवं 84 बहुमंजिले आवासों का निर्माण कर 416 स्वतन्त्र आवासों एवं 65 बहुमंजिले फ्लैट का भौतिक कब्जा आवंटियों को सुपुर्द कर दिया गया है।
- **फलोदी आवासीय योजना** :— फलोदी आवासीय योजना में वर्ष 2004 में 112 बीघा भूमि का आवंटन किया गया इस तरह वर्ष 2009 में 50 बीघा भूमि का आवंटन किया गया हैं इस भूमि पर कुल 1172 मकानों का निर्माण कार्य पूर्ण कर 1146 आवासों के भौतिक कब्जे सुपुर्द कर दिये गये हैं।

15.5 भिवाड़ी (अलवर)

भिवाड़ी शहर में अब तक 6905 आवासों/फ्लैट्स का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा कर 6193 आवासों को पूर्ण कर दिया गया है, जिसमें से 6173 आवासों/फ्लैट्स का आवंटन कर 6056 आवासों/फ्लैट्स का भौतिक कब्जा दिया जा चुका है।

15.6 उदयपुर वृत्त के अन्तर्गत विभिन्न योजनाएँ

- उदयपुर शहर में कुल 10005 आवासों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा कर 10005 आवासों को पूर्ण कर दिया गया है तथा 10002 आवासों का आवंटन कर 9858 आवासों का भौतिक कब्जा आवंटियों को सुपुर्द किया जा चुका है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा 2021–22 की पालना में उदयपुर शहर की दक्षिण विस्तार योजना में अल्प आय वर्ग के 112 (G+3) फ्लैट्स, सविना द्वितीय योजना में अल्प आय वर्ग के 24 (G+3) फ्लैट्स एवं भिण्डर योजना में अल्प आय वर्ग के 38 एवं मध्यम आय वर्ग—ब के 2 आवासों के निर्माण कार्य पूर्ण हो चूका है एवं आवंटन पत्र जारी कर कब्जे देने की कार्यवाही जारी है। दक्षिण विस्तार

योजना में ही अल्प आय वर्ग के 56 (G+3) फ्लेट्स का निर्माण कार्य हॉल ही में प्रारम्भ कर दिया गया है।

- **भीलवाड़ा खण्ड** के अन्तर्गत में कुल 8680 आवासों का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर 8680 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया एवं 8612 आवासों का आवंटन कर 7948 आवासों का भौतिक कब्जा आवंटियों को सुपूर्द किया जा चुका है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा 2021–22 की पालना में भीलवाड़ा शहर की पटेल नगर विस्तार योजना फेज द्वितीय में आ.दृ.से कमजोर आय वर्ग के 142 एवं अल्प आय वर्ग के 28 आवासों एवं शाहपुरा आवासीय योजना में आ.दृ.से कमजोर आय वर्ग के 148 एवं अल्प आय वर्ग के 24 आवासों के निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं आवंटन पत्र जारी कर कब्जे देने की कार्यवाही जारी है। पटेल नगर विस्तार आवासीय योजना में ही उच्च आय वर्ग—48, मध्यम आय वर्ग—ब—30 एवं मध्यम आय वर्ग—अ—08 मण्डल कार्मिकों हेतु आवासों का निर्माण कार्य जारी है।
- **चित्तौड़गढ़ खण्ड** के अन्तर्गत कुल 4087 आवासों का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर 4087 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया एवं 4064 आवासों का आवंटन कर 4040 आवासों का भौतिक कब्जा आवंटियों को सुपूर्द किया जा चुका है।
- **बांसवाड़ा शहर** में कुल 2919 आवासों का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर 2915 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया एवं 2912 आवासों का आवंटन कर 2866 आवासों का भौतिक कब्जा आवंटियों को सुपूर्द किया जा चुका है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा 2021–22 की पालना में बांसवाड़ा शहर की शास्त्री नगर योजना में विभिन्न आय वर्गों के 60 आवासों के निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया गया है। आवंटन पत्र जारी कर कब्जे देने की कार्यवाही जारी है।
- **झूंगरपुर शहर** में कुल 2282 आवासों का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर 2282 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया एवं 2275 आवासों का आवंटन कर 2275 आवासों का भौतिक कब्जा आवंटियों को सुपूर्द किया जा चुका है।

15.7 कोटा

कोटा वृत्त के अधीन चार जिलों कोटा, बूंदी, झालावाड़ तथा बारां में विभिन्न स्थानों पर मण्डल द्वारा आवासीय कॉलोनियों का निर्माण किया गया है। इन कॉलोनियों में विभिन्न आय वर्ग के कुल 30801 आवासों का निर्माण प्रारम्भ किया जा कर कुल 30787 आवासों का निर्माण पूर्ण किया गया है।

कोटा शहर में मण्डल द्वारा अब तक 23586 आवासों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा कर 23581 आवासों का निर्माण पूर्ण किया गया जिसमें से 23568 आवासों का आवंटन किया जाकर 23499 आवासों का कब्जा दिया जा चुका है।

कोटा वृत्त के अधीन महत्वपूर्ण योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है—

- **कुन्हाड़ी आवासीय योजना कोटा** :- कुन्हाड़ी योजना में अब तक विभिन्न आय वर्ग के 429 आवासों का निर्माण किया जाकर 426 आवासों का कब्जा दिया जा चुका है, एवं एक आवास का कब्जा दिये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है। वर्तमान में कुन्हाड़ी योजनान्तर्गत आवासन मण्डल द्वारा “कोटा चौपाटी” का निर्माण कराया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत 17 दुकानों 4 कियोस्क का निर्माण कार्य प्रगति पर है। द्वारकापुरी योजना में भी अल्प आय वर्ग के 120 (G3) फ्लैट्स का निर्माण किया जाकर 118 आवंटियों को कब्जे दिये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त ग्रुप हाऊसिंग के MIG-B (S+6) 24 फ्लैट्स का निर्माण किया गया है, जिसमें अब तक 15 फ्लैट्स के कब्जे दिये जा चुके हैं तथा अधिशेष 09 फ्लैट्स इ-सबमिशन में 0 से 25 प्रतिशत छूट में निस्तारण प्रक्रियाधीन है।
- **स्वामी विवेकानन्द नगर योजना कोटा** :- इस योजना में अब तक विभिन्न आय वर्ग के 2719 आवासों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाकर 2688 आवासों के कब्जे दिये जा चुके हैं। योजना में विभिन्न विकास कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त योजना में कोटा शहर के प्रतिक्षारत पंजीकृत आवेदकों के लिए उच्च आय वर्ग के 12, मध्यम आय वर्ग के ‘ब’ के 31 आवासों (कुल 43 आवास) का निर्माण कार्य तथा आवासन मण्डल के कर्मचारियों हेतु उच्च आय वर्ग के 23, मध्यम आय वर्ग के ‘ब’ के 26 तथा मध्यम आय वर्ग के “अ” के 15 (कुल 64 आवास) का निर्माण कार्य किया गया।
- **झालावाड़ आवासीय योजना** :- झालावाड़ शहर में मण्डल द्वारा 02 आवासीय योजना इन्दिरा नगर एवं जेल रोड के अन्तर्गत मण्डल द्वारा विभिन्न आय वर्ग के 530 आवासों का निर्माण किया गया है तथा 515 आवासों के कब्जे दिये जा चुके हैं। ई-सबमिशन के तहत निस्तारित एक आवास का कब्जे दिये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है तथा 11 आवास इ-सबमिशन के तहत निस्तारण हेतु चल रहे हैं।
- **रामगंज मंडी आवासीय योजना** :- रामगंजमंडी कस्बा जिला कोटा में मण्डल द्वारा विभिन्न आय वर्ग के 675 आवासों का निर्माण किया गया है एवं 675 आवासों का आवंटन कर 521 आवासों के कब्जे दिये जा चुके हैं। इ-सबमिशन के तहत 05 आवासों के कब्जे दिये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है तथा 24 आवास इ-सबमिशन के तहत निस्तारण हेतु चल रहे हैं।
- **सुनेल आवासीय योजना** :- सुनेल कस्बा जिला झालावाड़ में मण्डल द्वारा विभिन्न आय वर्ग के 413 आवासों एवं आवासीय भूखण्डों का निर्माण किया गया है एवं 410 आवासों का आवंटन कर 383 आवासों एवं आवासीय भूखण्डों के कब्जे दिये जा चुके हैं। ई-सबमिशन के तहत 01 आवासों के कब्जे दिये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है तथा 27 आवास एवं आवासीय भूखण्ड इ-सबमिशन के तहत निस्तारण हेतु चल रहे हैं।

- **अकलेरा आवासीय योजना** :— अकलेरा कस्बा जिला झालावाड़ में मंडल द्वारा विभिन्न आय वर्ग के 372 आवासों का निर्माण किया गया है एवं 372 आवासों का आवंटन कर 347 आवासों के कब्जे दिये जा चुके हैं। इ—सबमिशन के तहत 16 आवासों के कब्जे दिये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है तथा 08 आवास इ—सबमिशन के तहत निस्तारण हेतु चल रहे हैं।
- **चौमहला आवासीय योजना** :— चौमहला कस्बा जिला झालावाड़ में मंडल द्वारा विभिन्न आय वर्ग के 232 आवासों का निर्माण किया गया है एवं 232 आवासों का आवंटन कर 21 आवासों के कब्जे दिये जा चुके हैं। इ—सबमिशन के तहत 05 आवासों के कब्जे दिये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है तथा 206 आवास इ—सबमिशन के तहत निस्तारण हेतु चल रहे हैं।
- **लाखेरी आवासीय योजना** :— लाखेरी कस्बा जिला बून्दी में मंडल द्वारा विभिन्न आय वर्ग के 401 आवासों का निर्माण किया गया है एवं 401 आवासों का आवंटन कर 398 आवासों के कब्जे दिये जा चुके हैं। इ—सबमिशन के तहत 03 आवासों के कब्जे दिये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है।
- **नैनवा आवासीय योजना** :— नैनवा कस्बा जिला बून्दी में मंडल द्वारा विभिन्न आय वर्ग के 398 आवासों का निर्माण किया गया है एवं 393 आवासों का आवंटन कर 358 आवासों के कब्जे दिये जा चुके हैं। इ—सबमिशन के तहत 02 आवासों के कब्जे दिये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है तथा 13 आवास इ—सबमिशन के तहत निस्तारण हेतु चल रहे हैं।
- **न्यू आवासीय योजना बाराँ** :— बाराँ शहर की न्यू आवासीय योजना में मंडल द्वारा विभिन्न आय वर्ग के 524 आवासों का निर्माण किया गया है एवं 524 आवासों का आवंटन कर 358 आवासों के कब्जे दिये जा चुके हैं। इ—सबमिशन के तहत 11 आवासों के कब्जे दिये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है तथा 154 आवास इ—सबमिशन के तहत निस्तारण हेतु चल रहे हैं।
- **छबड़ा आवासीय योजना** :— छबड़ा कस्बा जिला बाराँ में मंडल द्वारा विभिन्न आय वर्ग के 651 आवासों का निर्माण किया गया है एवं 579 आवासों का आवंटन कर 286 आवासों के कब्जे दिये जा चुके हैं। इ—सबमिशन के तहत 24 आवासों के कब्जे दिये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है तथा 341 आवास इ—सबमिशन के तहत निस्तारण हेतु चल रहे हैं।
- **मांगरोल आवासीय योजना** :— मांगरोल कस्बा जिला बाराँ में मंडल द्वारा विभिन्न आय वर्ग के 244 आवासों का निर्माण किया गया है एवं 198 आवासों का आवंटन कर 02 आवासों के कब्जे दिये जा चुके हैं। इ—सबमिशन के तहत 03 आवासों के कब्जे दिये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है तथा 239 आवास इ—सबमिशन के तहत निस्तारण हेतु चल रहे हैं।

- **15.8 बीकानेर**

बीकानेर शहर में आवासन मण्डल की अधीन पवनपुरी, मुक्ताप्रसाद नगर दो आवासीय योजनाएँ हैं जिन्हें वर्ष 18–19 में नगर निगम को हस्तांतरित कर दिया गया है। उपरोक्त योजनाओं में कुल 6465 आवासों का निर्माण प्रारम्भ कर 6445 आवासों का निर्माण पूर्ण कर 6444 आंवटन किया जा चुका है तथा 6429 आवासों का भौतिक कब्जा भी दिया जा चुका है। बीकानेर शहर में शिवबाड़ी आवासीय योजना हेतु 571.67 हैक्टेयर भूमि अवाप्तिधीन है, जिसका अवार्ड जारी किया जा चुका है। अवार्ड के रूप में भूमि के बदले भूमि खातेदारों को देने हेतु LNC के 101 प्रस्ताव अनुमोदित किये जा चुके हैं। शेष प्रस्ताव LNC हेतु तैयार किये जा रहे हैं। योजना क्षेत्र की सड़कों के निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।

16 अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी – 2009

राज्य सरकार द्वारा राज्य में अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी—2009 वर्ष 2009 में लागू की गई थी। आवासन मण्डल द्वारा वर्ष 2009–10 से अब तक इस योजना में की गई प्रगति का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.सं.	वर्ष	निर्माण प्रारम्भ कराये गये आवासों की संख्या
1	2009–10	8651
2	2010–11	2949
3	2011–12	3872
4	2012–13	8251
5	2013–14	6237
6	2014–15	5787
7	2015–16	3089
8	2016–17	16
9	2017–18	0
10	2018–19	0
11	2019–20	2
12	2020–21	3483
13	2021–22	2527
14	2022–23 (माह नवम्बर 2022)	2629
कुल योग		47493

17 Real Estate Regulatory Authority (RERA)

केन्द्र सरकार के महत्वाकांक्षी RERA Act के तहत राज्य द्वारा लागू (RERA Rule) की अनुपालना में मण्डल द्वारा भी अपने आवंटियों को पारदर्शिता एंव गुणवत्ता पूर्ण आवास निश्चित समय पर उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2022–23 के दौरान 31 दिसम्बर 2022 तक

कुल 12 नयी परियोजनाएँ रेरा अधिनियम में पंजीकृत करवायी जाकर आवासन मंडल की अब तक कुल 72 परियोजनाएँ रेरा अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हो चुकी हैं। विवरण निम्नानुसार हैं:

LIST OF THE RHB PROJECT/SCHEMES REGISTERED UNDER RERA

S. No.	Name of Project/Schemes	Location	Division	Registration No.	Registration Date	Estimated Finish Date/Actual Date of Completion	Status Completed/Ongoing
1	ARAWALI ENCLAVE HIG (B+S+13) New Sgnr, Mansarovar, Jaipur	Jaipur	Div-IX	RAJ/P/2018/626	06.02.2018	16.08.2021	Completed
2	LIG-144 no. flat in sector 9, Indira Gandhi Nagar, Jaipur	Jaipur	Div-XIII	RAJ/P/2018/627	06.02.2018	31.03.2021	Completed
3	MIG-A (G+3) at sector10, Indira Gandhi Nagar, Jaipur	Jaipur	Div-XIII	RAJ/P/2018/628	06.02.2018	27.05.2019	Completed
4	Dastkar Nagar, Nayla, DIV-I, Jaipur	Jaipur	Div-I	RAJ/P/2018/722	16.05.2018	31.03.2019	Completed
5	MIG-A (G+3) 160 flats at Sector-07, IG. Nagar, Jaipur	Jaipur	Div-II	RAJ/P/2018/723	16.05.2018	03.11.2018	Completed
6	Dwarka Twins HIG (B+S+9), Vikramaditya Marg, Mansarovar, Jaipur	Jaipur	Div-VI	RAJ/P/2018/724	16.05.2018	16.08.2018	Completed
7	EWS (G+3) & LIG (G+3) at sector-4, Bari Road, Dholpur	Dholpur	Bharatpur	RAJ/P/2018/730	21.05.2018	28.09.2019	Completed
8	EWS, LIG & MIG-I at Sector 5 Bari Road, Dholpur	Dholpur	Bharatpur	RAJ/P/2018/731	21.05.2018	27.01.2020	Completed
9	Dwarka Residency PH1 (B+S+12), Vikramaditya Marg, Mansarovar, Jaipur	Jaipur	Div- VI	RAJ/P/2018/732	21.05.2018	21.12.2018	Completed
10	Const. of MIGB (S+6) 24 flats at kunhari Kota, DIV-KOTA	Kota	RE-Kota	RAJ/P/2018/739	01.06.2018	28.02.2017	Completed
11	HIG-80 (S+10) Block-2 Zone-263 Sector-26 Pratap Nagar, Jaipur	Jaipur	Div-XII	RAJ/P/2018/743	04.06.2018	08.02.2018	Completed
12	DWARKA APARTMENT (S+9) Zone III, IV,V, Mansarovar, Jaipur	Jaipur	Div-IX	RAJ/P/2018/746	04.06.2018	21.08.2018	Completed
13	Udhyam Apartment (HIG Flats), Sec 21 E Chopasni, Jodhpur	Jodhpur	Div-I	RAJ/P/2018/756	13.06.2018	09.07.2018	Completed

S. No.	Name of Project/Schemes	Location	Division	Registration No.	Registration Date	Estimated Finish Date/Actual Date of Completion	Status Completed/Ongoing
14	Marwar Apartment (HIG and MIG-B Flats) PH-I Sec. 14 E, Jodhpur	Jodhpur	Div-I	RAJ/P/2018/757	13.06.2018	24.07.2018	Completed
15	MIG-B 72 (B+S+9) Flats, Zone-E, Sec 08, IG Nagar, Jaipur	Jaipur	Div-XI	RAJ/P/2018/760	13.06.2018	01.12.2017	Completed
16	Const. Of 77 No. tenements at NEB Ext., Alwar	Alwar	Alwar	RAJ/P/2018/762	15.06.2018	16.08.2018	Completed
17	EWS, LIG & MIG-A (656nos G+3) Flats at Aravali Vihar, Bhiwadi	Bhiwadi	Alwar	RAJ/P/2018/763	15.06.2018	05.01.2019	Completed
18	EWS-96 (G+3) & LIG-32 (G+3) Flats at MP. Nagar, Bikaner	Bikaner	Bikaner	RAJ/P/2018/764	15.06.2018	31.12.2019	Completed
19	LIG 192(G+3) EWS 384 (G+3) Magra Scheme, Barmer	Barmer	Barmer	RAJ/P/2018/765	15.06.2018	15.03.2022	Completed
20	EWS, LIG AND MIG-A Flats (G+2) at Khan Bhankri Scheme, Dausa	Dausa	Dausa	RAJ/P/2018/766	15.06.2018	10.12.2017	Completed
21	Udhyan Apartment MIG-B (B+S+9) Sec. 21 E, Jodhpur	Jodhpur	Div-I	RAJ/P/2018/773	22.06.2018	30.08.2018	Completed
22	Mahala Residential Scheme, Ajmer Road Jaipur	Jaipur	Div-X	RAJ/P/2018/785	29.06.2018	23.12.2020	Completed
23	Dwarkapuri, Sec 26,Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur	Jaipur	Div-X	RAJ/P/2018/793	06.07.2018	30.09.2020	Completed
24	MIG-A 176 (G+3) SFS & SRS pali road ph-II KBS Jodhpur	Jodhpur	Div-IV	RAJ/P/2018/817	03.08.2018	16.08.2019	Completed
25	EWS-1408(G+3) AT SEC-12, PH-II, PALI ROAD, KBS, Jodhpur	Jodhpur	Div-III	RAJ/P/2018/818	03.08.2018	21.10.2019	Completed
26	LIG 800(G+3) at Sector 14, Ph-II, Pali Road, KBS, Jodhpur,	Jodhpur	Div-II	RAJ/P/2019/911	15.03.2019	18.09.2019	Completed
27	CHS Lakeri Ph-I & II, Bundi, DIV-Kota	Bundi	Kota	RAJ/P/2019/969	23.04.2019	04.10.2017	Completed
28	Chief Minister Teachers and Constable Residential Scheme, Pratap Nagar, Jaipur	Jaipur	Div-X	RAJ/P/2019/1161	20.12.2019	Completion Certificate to be submitted	
29	RHB AATISH MARKET, Mansarovar, Jaipur	Jaipur	Div-IX	RAJ/P/2020/1178	16.01.2020	23.07.2020	Completed
30	Dwarka Residency	Jaipur	Div-IX	RAJ/P/2020/1186	24.01.2020	15.09.2021	Completed

S. No.	Name of Project/Schemes	Location	Division	Registration No.	Registration Date	Estimated Finish Date/Actual Date of Completion	Status Completed/Ongoing
	Phase-II, Mansarovar, Jaipur						
31	EWS-335 & LIG-153 Houses at Barli Scheme, Jodhpur (under MGSY)	Jodhpur	Div-IV	RAJ/P/2020/1203	18.02.2020	23.02.2025	Ongoing
32	Ayush Market, Pratap Nagar, Jaipur	Jaipur	Div-IV	RAJ/P/2020/1206	21.02.2020	21.06.2021	Completed
33	Mukhya Mantri Jan Awas Sector-28 Pratap Nagar, Jaipur	Jaipur	Div-III	RAJ/P/2020/1207	21.02.2020	19.02.2025	Ongoing
34	Mahala Residential Scheme, Phase-II, Ajmer Road, Jaipur	Jaipur	Div-X	RAJ/P/2020/1298	05-08-20	08.06.2027	Ongoing
35	MIG-A 152 Houses at Barli Scheme, Jodhpur (under MGSY)	Jodhpur	Div-II	RAJ/P/2020/1299	07-08-20	30.09.2026	Ongoing
36	Group Housing Scheme (GH-4), Sector-7, Indra Gandhi Nagar, Jaipur	Jaipur	Div-I	RAJ/P/2020/1300	07-08-20	31.12.2025	Ongoing
37	Mukhya Mantri Jan Awas Yojana Sector-3, Zone-32, Pratap Nagar, Jaipur	Jaipur	Div-IV	RAJ/P/2020/1301	07-08-20	31.12.2027	Ongoing
38	Const of EWS-142nos. & LIG-28nos. Houses at Patel Nagar EXT.II, Bhilwara	Bhilwara	Bhilwara	RAJ/P/2020/1302	07-08-20	31.12.2025	Ongoing
39	Group Housing Scheme (GH-3), Sector-7, Indra Gandhi Nagar, Jaipur	Jaipur	Div-II	RAJ/P/2020/1303	07-08-20	31.12.2025	Ongoing
40	Const. of EWS-148 nos& LIG-24 nos. Houses at Shahpura, Bhilwara	Bhilwara	Bhilwara	RAJ/P/2020/1304	07-08-20	31.12.2025	Ongoing
41	Rana Sanga Market, Jaipur	Jaipur	Div-III	RAJ/P/2020/1305	07-08-20	31.12.2026	Ongoing
42	Const. of LIG-38, MIG-B-25 houses at Atal Nagar, Bhinder	Bhinder	Udaipur	RAJ/P/2020/1306	07-08-20	31.12.2025	Ongoing
43	Mukhya Mantri Jan Awas Sector-28 Pratap Nagar, Jaipur	Jaipur	Div-III	RAJ/P/2020/1307	07-08-20	31.12.2027	Ongoing
44	Vatika Awasiya Yojna, Jaipur	Jaipur	Div-XII	RAJ/P/2020/1308	07-08-20	31.12.2025	Ongoing

S. No.	Name of Project/Schemes	Location	Division	Registration No.	Registration Date	Estimated Finish Date/Actual Date of Completion	Status Completed/Ongoing
45	Niwai Awasiya Yojana, Phase-II, Niwai, Tonk	Tonk	Div-XIII	RAJ/P/2020/1309	07-08-20	31.12.2026	Ongoing
46	EWS 140 & LIG 25 Houses At Khoda Ganesh Road, Ph-IV, Kishangarh	Kishangarh	Ajmer	RAJ/P/2020/1310	07-08-20	31.12.2025	Ongoing
47	All India Services Residency, Pratap Nagar, Jaipur	Jaipur	Div-V	RAJ/P/2020/1338	25.09.2020	31.12.2026	Ongoing
48	Convenient shops at Ramkrishnapuram , Kotputli	Kotputli	Jaipur, Div-I	RAJ/P/2020/1367	21.10.2020	31.12.2025	Ongoing
49	Niwai Avasiya Yojana, Phase-I niwai , Tonk,	Tonk	Jaipur-XIII	RAJ/P/2020/1369	23.10.2020	31.12.2026	Ongoing
50	Mukhya Mantri Jan Awas, Aravali Vihar, Bhiwadi	Bhiwadi	Bhiwadi	RAJ/P/2021/1431	20.01.2021	31.03.2025	Ongoing
51	Commercial Belt 'B', Convenient Shop-G-V.T. Road, Mansarovar, Jaipur	Jaipur	Div-VI	RAJ/P/2021/1581	14.07.2021	30.06.2026	Ongoing
52	Mukhya Mantri Jan Awas Yojana, Sec-8, Chetak Magar, Pratap Nagar, Jaipur	Jaipur	Div-IV	RAJ/P/2021/1589	17.07.2021	30.09.2026	Ongoing
53	Manpura Awasiya Yojana, Sector-4, Manpur, Abu road, Pali	Abu Road	Pali	RAJ/P/2021/1598	24.07.2021	30.09.2026	Ongoing
54	Const. of HIG 09 Nos. Houses for B.E. at Aravali Vihar, Bhiwadi	Bhiwadi	Bhiwadi	RAJ/P/2021/1599	24.07.2021	31.12.2024	Ongoing
55	HIG 25, MIG II-42 & MIG I-45 Barli Awasiya Yojana, Sector-6, Jodhpur	Jodhpur	Div-IV	RAJ/P/2021/1600	28.07.2021	30.09.2026	Ongoing
56	Studio Apartment, Sector-08, Pratap Nagar, Jaipur	Jaipur	Div-V	RAJ/P/2021/1610	11.08.2021	31.12.2025	Ongoing
57	Development & Construction upto PL of commercial Plots at Sec-1, M.N. Extn. Kota	Kota	Kota	RAJ/P/2022/1807	21.01.2022	15.07.2020	Completed
58	Commercial Belt 'B', Phase-A, at V.T. Road, Mansarovar, Jaipur	Jaipur	Jaipur-VI	RAJ/P/2022/1816	25.01.2022	31.12.2028	Ongoing
59	Commercial Centre At Sec-5 Kuri Bhagtasni Scheme-	Jodhpur	Jodhpur-III	RAJ/P/2022/1845	13.02.2022	28.05.2021	Completed

S. No.	Name of Project/Schemes	Location	Division	Registration No.	Registration Date	Estimated Finish Date/Actual Date of Completion	Status Completed/Ongoing
	Jodhpur						
60	Commercial Belt 'B', Phase-D, at V.T. Road, Mansarovar, Jaipur	Jaipur	Jaipur-VI	RAJ/P/2022/1897	17.03.2022	31.12.2028	Ongoing
61	All India Services Residency, Phase-II, Sec-17, Pratap Nagar, Jaipur	Jaipur	Div-V	RAJ/P/2022/1942	20.04.2022	31.12.2030	Ongoing
62	Commercial Belt 'B' Phase-C, at V.T. Road, Mansarovar, Jaipur	Jaipur	Jaipur-VI	RAJ/P/2022/1969	06.05.2022	31.12.2028	Ongoing
63	Coaching Hub, Phase I, Sector 16, Pratap Nagar, Sanganer Jaipur	Jaipur	Coaching Hub	RAJ/P/2022/1991	25.05.2022	10.03.2026	Ongoing
64	Coaching Hub Phase II, Sector 16, Pratap Nagar, Sanganer, jaipur	Jaipur	Coaching Hub	RAJ/P/2022/1992	25.05.2022	31.05.2026	Ongoing
65	State Services Residency, Sector 19, Pratap Nagar, Sanganer , Jaipur	Jaipur	Jaipur-XII	RAJ/P/2022/1996	30.05.2022	31.07.2030	Ongoing
66	Farm House Scheme. Sector-4, SFS, Mansarovar, Jaipur	Jaipur	Jaipur-IX	RAJ/P/2022/1998	30.05.2022	31.12.2027	Ongoing
67	NRI SKY PARK, Sector-24, Pratap Nagar, Jaipur	Jaipur	Jaipur-III	RAJ/P/2022/1999	30.05.2022	31.12.2028	Ongoing
68	Commercial Belt, Zone-36, Sector-3, Pratap Nagar, Jaipur	Jaipur	Jaipur-IV	RAJ/P/2022/2013	09.06.2022	31.05.2023	Ongoing
69	Construction of LIG (G+3) 56 Flats at South Ext. Scheme (Balicha) Udaipur	Udaipur	Udaipur-I	RAJ/P/2022/2014	09.06.2022	30.09.2026	Ongoing
70	Coaching Hub, Phase-III, Sector 16, Pratap Nagar, Sanganer Jaipur	Jaipur	Coaching Hub	RAJ/P/2022/2068	16.07.2022	13.11.2026	Ongoing
71	RHB Aatish Market (Small Shop's Plots) in Plot No. 14E/M, Sector- 14E, Mansarovar, Jaipur	Jaipur	Jaipur-IX	RAJ/P/2022/2075	26.07.2022	31.07.2025	Ongoing
72	Commercial Shop plot (A-16) at sector-9, Kudi Bhagtasni Scheme, Jodhpur	Jodhpur	Jodhpur-IV	RAJ/P/2022/2264	06.12.2022	14.11.2025	Ongoing

तालिका I

दिसम्बर 2022 तक निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये गये शहर/कस्बों की सूची :-

1. आबू रोड	24 दौसा	47. पिण्डवाड़ा
2. अजमेर	25 धौलपुर	48. प्रतापगढ़
3. अकलेरा	26 डूंगरपुर	49 रायला
4. अलवर	27. गुलाबपुरा	50. राजसमंद
5. अटरू	28 हनुमानगढ़	51. रामगंजमण्डी
6. बालोतरा	29. जयपुर	52. श्रीगंगानगर
7. बांसवाड़ा	30. जैसलमेर	53. सवाई माधोपुर
8 बारां	31. झालावाड़	54. सागवाड़ा
9 अन्ता	32. झालरापाटन	55. सलुम्बर
10. बड़ी सादड़ी	33. झुंझुनू	56. सीकर
11. ब्यावर	34. जोधपुर	57. सिरोही
12. भरतपुर	35. किशनगढ़	58. सिवाना
13. भवानीमण्डी	36. कोटा	59. सुमेरपुर
14. भीलवाड़ा	37. कोटपुतली	60. सुनेल
15. भिण्डर	38. लाखेरी	61. सुरतगढ़
16. भिवाड़ी	39. नागौर	62. टोक
17 बीकानेर	40. नैनवा	63. उदयपुर
18 बूंदी	41. नसीराबाद	64. मांगरोल
19. छबड़ा	42. नाथद्वारा	65. बाड़मेर
20 छीपाबड़ौद	43. निम्बाहेड़ा	66. निवाई
21 चित्तौड़गढ़	44. पाली	67. शाहपुरा
22 चौमेहला	45. फलौदी	
23 चूरू	46. परतापुर	

तालिका II(a)
शहरवार/आय वर्ग अनुसार आवासों का कार्य प्रारम्भ/पूर्ण की सूची

क्र. सं.	शहर	आवासों का कार्य प्रारम्भ						आवास पूर्ण					
		आ.दृ. क. आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग अ	मध्यम आय वर्ग ब	उच्च आय वर्ग	योग	आ.दृ.क. आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग अ	मध्यम आय वर्ग ब	उच्च आय वर्ग	योग
1	आबू रोड	604	601	320	159	45	1729	604	601	320	155	24	1704
2	अजमेर	1681	1149	991	827	350	4998	1681	1149	991	827	350	4998
3	अकलेरा	372	0	0	0	0	372	372	0	0	0	0	372
4	अलवर	2618	1827	1688	1000	375	7508	2618	1827	1688	1000	375	7508
5	अटरू	286	103	25	9	3	426	286	103	25	9	3	426
6	बालोतरा	417	356	218	207	28	1226	417	356	218	207	28	1226
7	बांसवाड़ा	1178	996	413	268	72	2927	1174	996	413	264	72	2919
8	बारां	626	166	62	7	0	861	626	166	62	7	0	861
9	अन्ता	64	91	32	7	12	206	64	91	32	7	12	206
10	बड़ी सादड़ी	131	71	5	0	0	207	131	71	5	0	0	207
11	ब्यावर	878	522	393	420	149	2362	878	522	393	420	149	2362
12	भरतपुर	355	453	315	120	40	1283	355	453	315	120	40	1283
13	भवानी मण्डी	126	27	25	0	0	178	126	27	25	0	0	178
14	भीलवाड़ा	2999	2664	803	735	499	7700	2999	2664	803	735	499	7700
15	भिण्डर	46	63	8	5	2	124	46	63	8	5	2	124
16	भिवाड़ी	2475	1905	1005	573	947	6905	2235	1433	1005	573	947	6193
17	बीकानेर	1861	1759	1208	1193	444	6465	1861	1751	1196	1193	444	6445
18	बाड़मेर	384	192	0	0	0	576	384	192	0	0	0	576
19	चौमेहला	132	100	0	0	0	232	132	100	0	0	0	232
20	छबड़ा	279	249	72	28	23	651	279	249	72	28	23	651
21	छीपा बड़ोद	200	0	0	0	0	200	200	0	0	0	0	200
22	चितोड़गढ़	902	505	363	155	125	2050	902	505	363	155	125	2050
23	चूरू	370	288	79	54	49	840	370	288	79	54	49	840
24	दौसा	623	361	245	66	84	1379	623	361	245	66	84	1379
25	धौलपुर	444	397	259	231	17	1348	443	397	259	231	17	1347
26	झूंगरपुर	417	809	771	207	78	2282	417	809	771	207	78	2282
27	गुलाबपुरा	159	177	134	24	7	501	159	177	134	24	7	501
28	हनुमानगढ़	1463	1154	592	790	361	4360	1463	1154	592	790	361	4360
29	जयपुर	25372	26740	16719	17192	12764	98787	22481	24647	16554	17192	12442	93316
30	जैसलमेर	224	93	146	21	22	506	224	93	146	21	22	506
31	ज़ालरापाट्ठन	165	50	0	0	0	215	165	50	0	0	0	215
32	ज़ालावाड़	170	232	93	29	6	530	170	232	93	29	6	530
33	झुंझूनू	708	653	167	236	46	1810	708	653	163	236	46	1806
34	जोधपुर	13080	10643	5189	4017	2641	35570	13080	10639	5118	3995	2620	35452
35	किशनगढ़	1138	452	281	181	88	2140	1138	452	281	181	88	2140
36	कोटा	8287	6294	3965	3425	1615	23586	8287	6294	3965	3422	1613	23581

क्र. सं.	शहर	आवासों का कार्य प्रारम्भ							आवास पूर्ण						
		आ.दृ. क. आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग अ	मध्यम आय वर्ग ब	उच्च आय वर्ग	योग	आ.दृ.क. आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग अ	मध्यम आय वर्ग ब	उच्च आय वर्ग	योग		
37	बूंदी	502	383	221	86	12	1204	502	383	221	86	12	1204		
38	कोटपुतली	299	252	155	101	69	876	299	252	155	101	69	876		
39	लाखेरी	234	104	43	16	9	406	229	104	43	16	9	401		
40	मांगरोल	177	59	8	0	0	244	177	59	8	0	0	244		
41	नागौर	1421	857	514	161	28	2981	1417	781	340	138	21	2697		
42	नैनवा	128	200	42	16	12	398	128	200	42	16	12	398		
43	नसीराबाद	474	323	119	95	61	1072	474	323	119	95	61	1072		
44	नाथद्वारा	11	104	61	54	2	232	11	104	61	54	2	232		
45	निम्बाहेड़ा	363	363	253	98	87	1164	363	363	253	98	87	1164		
46	निवाई	63	257	84	12	31	447	0	0	0	0	0	0		
47	पाली	1208	661	363	260	55	2547	1208	661	363	260	55	2547		
48	परतापुर	274	351	111	76	17	829	274	351	111	76	17	829		
49	फलौदी	623	245	174	88	42	1172	623	245	174	88	42	1172		
50	पिण्डवाड़ा	138	40	102	42	21	343	138	40	101	42	21	342		
51	प्रतापगढ़	154	165	151	148	48	666	154	165	151	148	48	666		
52	रायला	257	50	0	0	0	307	257	50	0	0	0	307		
53	राजसमन्द	407	313	337	161	71	1289	407	313	337	161	71	1289		
54	रामगंज मण्डी	418	133	52	62	14	679	418	133	52	58	14	675		
55	श्रीगंगानगर	148	24	0	0	0	172	148	24	0	0	0	172		
56	शाहपुरा	701	224	302	33	0	1260	701	224	302	33	0	1260		
57	सवाई माधोपुर	287	360	394	194	33	1268	287	360	394	194	33	1268		
58	सागवाड़ा	201	754	85	30	16	1086	201	750	85	30	15	1081		
59	सलुम्बर	124	93	44	20	6	287	124	93	44	20	6	287		
60	सीकर	385	322	346	138	62	1253	385	322	346	138	62	1253		
61	सिरोही	179	281	95	99	22	676	179	281	95	99	22	676		
62	सिवाना	151	52	15	10	0	228	151	52	15	10	0	228		
63	सुमेरपुर	15	48	44	43	4	154	15	48	44	43	4	154		
64	सुनैल	134	110	66	39	64	413	134	110	66	39	64	413		
65	सूरतगढ़	672	247	240	226	152	1537	672	247	240	226	152	1537		
66	टोंक	940	271	114	68	54	1447	940	271	114	68	54	1447		
67	उदयपुर	3049	3113	1749	1346	748	10005	3049	3113	1749	1346	748	10005		
	योग	85371	72901	42870	35908	22632	259682	82163	69987	42359	35836	22227	252572		

माह नवम्बर, 2022 तक

तालिका II(b)
शहरवार/आय वर्ग अनुसार आवासों का आवंटन/कब्जे की सूची

क्र. सं.	शहर	आवासों का आवंटन						आवासों का कब्जा					
		आ.दृ. क. आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग अ	मध्यम आय वर्ग ब	उच्च आय वर्ग	योग	आ.दृ. क. आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग अ	मध्यम आय वर्ग ब	उच्च आय वर्ग	योग
1	आबू रोड	599	601	320	155	23	1698	549	578	299	150	22	1598
2	अजमेर	1681	1149	985	827	350	4992	1679	1141	974	827	350	4971
3	अकलेरा	372	0	0	0	0	372	347	0	0	0	0	347
4	अलवर	2618	1827	1688	1000	375	7508	2610	1809	1677	990	372	7458
5	अटरू	286	103	25	9	3	426	273	103	24	8	3	411
6	बालोतरा	416	345	212	206	27	1206	416	328	212	206	26	1188
7	बांसवाड़ा	1174	996	407	263	72	2912	1174	988	385	260	59	2866
8	बारां	626	166	62	7	0	861	534	113	51	4	0	702
9	अन्ता	64	91	32	7	12	206	63	91	32	7	12	205
10	बड़ी सादड़ी	122	69	5	0	0	196	119	69	5	0	0	193
11	व्यावर	865	519	390	420	149	2343	865	515	390	397	145	2312
12	भरतपुर	355	453	315	120	38	1281	355	453	314	120	38	1280
13	भवानी मण्डी	126	27	25	0	0	178	125	27	25	0	0	177
14	भीलवाड़ा	2996	2649	777	731	492	7645	2775	2562	662	730	490	7219
15	भिण्डर	46	62	8	5	2	123	46	55	8	3	2	114
16	भिवाड़ी	2235	1433	1005	571	929	6173	2177	1409	989	565	916	6056
17	बीकानेर	1861	1751	1196	1193	443	6444	1861	1751	1196	1187	434	6429
18	बाड़मेर	266	124	0	0	0	390	3	7	0	0	0	10
19	चौमेहला	132	100	0	0	0	232	9	12	0	0	0	21
20	छबड़ा	243	246	55	19	16	579	118	137	16	9	6	286
21	छीपा बड़ौद	199	0	0	0	0	199	5	0	0	0	0	5
22	चित्तौड़गढ़	902	505	363	155	125	2050	900	505	363	151	115	2034
23	चूरू	370	288	79	54	49	840	370	288	79	54	48	839
24	दौसा	623	361	245	66	84	1379	623	361	244	66	82	1376
25	धौलपुर	421	380	257	228	17	1303	327	283	253	227	17	1107
26	झूंगरपुर	411	809	770	207	78	2275	411	809	770	207	78	2275
27	गुलाबपुरा	159	177	133	24	7	500	158	173	124	24	7	486
28	हनुमानगढ़	1463	1138	579	779	358	4317	1458	1135	574	760	344	4271
29	जयपुर	23075	24190	16636	17142	12332	93375	21913	21809	15943	16997	12164	88826
30	जैसलमेर	224	93	142	21	22	502	224	93	124	21	19	481
31	ज़ालरापाटन	165	50	0	0	0	215	159	47	0	0	0	206
32	ज़ालावाड़	170	232	93	29	6	530	168	228	84	29	6	515
33	झुंझूनू	708	653	163	233	46	1803	708	653	163	233	46	1803
34	जोधपुर	12879	10531	5063	3881	2588	34942	11663	9622	4654	3879	2572	32390

क्र. सं.	शहर	आवासों का आवंटन							आवासों का कब्जा						
		आ.दृ. क. आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग अ	मध्यम आय वर्ग ब	उच्च आय वर्ग	योग	आ.दृ. क. आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग अ	मध्यम आय वर्ग ब	उच्च आय वर्ग	योग		
35	किशनगढ़	1120	447	281	180	88	2116	1089	444	281	179	88	2081		
36	कोटा	8287	6294	3965	3414	1608	23568	8282	6288	3952	3387	1590	23499		
37	बूदी	502	383	221	86	12	1204	502	380	221	86	12	1201		
38	कोटपुतली	299	252	155	101	68	875	294	250	152	97	67	860		
39	लाखेरी	231	104	43	16	9	403	227	104	43	16	8	398		
40	मांगरोल	148	44	6	0	0	198	1	1	0	0	0	2		
41	नागौर	1417	844	506	161	27	2955	1374	761	329	136	21	2621		
42	नेनवा	128	200	42	14	9	393	126	198	30	2	4	360		
43	नसीराबाद	472	323	119	95	61	1070	468	319	117	94	61	1059		
44	नाथद्वारा	11	104	61	54	2	232	11	104	61	54	2	232		
45	निम्बाहड़ा	363	363	250	97	87	1160	362	356	250	97	87	1152		
46	निवाई	24	90	43	12	30	199	0	0	0	0	0	0		
47	पाली	1208	661	363	260	55	2547	1208	661	363	260	55	2547		
48	परतापुर	274	348	108	50	15	795	254	348	103	50	15	770		
49	फलौदी	621	245	173	87	42	1168	613	240	168	85	40	1146		
50	पिण्डवाड़ा	138	40	100	42	21	341	137	36	99	42	21	335		
51	प्रतापगढ़	154	165	151	148	48	666	154	165	148	148	46	661		
52	रायला	256	45	0	0	0	301	218	25	0	0	0	243		
53	राजसमन्द	407	313	319	161	71	1271	407	313	319	160	71	1270		
54	रामगंज मण्डी	418	133	52	58	14	675	291	125	46	47	12	521		
55	श्रीगंगानगर	148	24	0	0	0	172	0	0	0	0	0	0		
56	शाहपुरा	701	224	302	33	0	1260	701	224	300	33	0	1258		
57	सवाई माधोपुर	287	360	394	194	33	1268	287	360	394	194	33	1268		
58	सागवाड़ा	201	750	85	30	15	1081	197	743	83	22	5	1050		
59	सलुखर	124	93	44	20	6	287	124	93	44	20	6	287		
60	सीकर	385	322	346	137	61	1251	385	322	345	135	61	1248		
61	सिरोही	179	281	95	99	22	676	176	281	95	99	22	673		
62	सिवाना	10	0	0	0	0	10	5	0	0	0	0	5		
63	सुमेरपुर	15	48	44	43	4	154	15	48	44	40	4	151		
64	सुनेल	134	107	66	39	64	410	132	95	61	34	61	383		
65	सूरतगढ़	669	242	238	218	137	1504	669	242	238	214	131	1494		
66	टोक	936	270	114	68	51	1439	936	270	114	68	51	1439		
67	उदयपुर	3048	3112	1749	1345	748	10002	3048	2972	1747	1345	746	9858		
	योग	82167	69349	42465	35614	22051	251646	77878	64922	40781	35255	21693	240529		

माह नवम्बर, 2022 तक

तालिका III(a)
नये आवास प्रारम्भ (आय वर्गानुसार/वर्षवार)

वर्ष	आ.दृ.क. वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग (अ)	मध्यम आय वर्ग (ब)	उच्च आय वर्ग	योग
31.03.2000 तक	48312	45452	26961	24964	12377	158066
2000–01	959	416	117	576	375	2443
2001–02	3257	484	107	326	480	4654
2002–03	592	516	224	415	687	2434
2003–04	1030	868	163	29	274	2364
2004–05	1912	1411	432	397	886	5038
2005–06	2863	1065	487	333	404	5152
2006–07	2086	3727	630	514	614	7571
2007–08	3146	1927	1229	1398	1822	9522
2008–09	2277	1489	1047	1004	953	6770
2009–10	2806	2377	2395	1073	610	9261
2010–11	1300	530	656	463	32	2981
2011–12	1346	1090	1436	810	548	5230
2012–13	3027	2681	2543	1273	578	10102
2013–14	3149	1840	1248	1084	684	8005
2014–15	2317	2271	1199	890	546	7223
2015–16	826	1380	883	113	248	3450
2016.17	7	7	2	4	23	43
2017–18	-1	1	0	0	1	1
2018–19	0	0	0	0	2	2
2019–20	2	0	0	114	11	127
2020–21	1446	1323	713	51	100	3633
2021–22	1343	825	359	32	206	2765
2022–23 (माह नवम्बर 2022 तक)	1369	1221	39	45	171	2845
योग	85371	72901	42870	35908	22632	259682

तालिका III(b)
आवास पूर्ण किये गये (आय वर्गानुसार/वर्षावर)

वर्ष	आ.दू.क.वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग (अ)	मध्यम आय वर्ग (ब)	उच्च आय वर्ग	योग
31.03.2000 तक	48122	44477	26676	24689	12301	156265
2000–01	706	845	259	470	285	2565
2001–02	1143	778	140	351	368	2780
2002–03	2768	659	213	462	806	4908
2003–04	567	91	130	142	106	1036
2004–05	913	837	116	287	608	2761
2005–06	3183	1646	419	378	586	6212
2006–07	1785	960	623	298	372	4038
2007–08	2233	953	588	749	1336	5859
2008–09	2549	1820	1106	1199	1225	7899
2009–10	2403	1742	945	532	388	6010
2010–11	2057	2385	1874	1007	585	7908
2011–12	1976	921	1234	770	536	5437
2012–13	1406	892	1168	701	544	4711
2013–14	1611	1449	1580	1145	522	6307
2014–15	3699	3326	2189	663	390	10267
2015–16	1543	1414	983	1057	594	5591
2016–17	1874	2769	1258	323	147	6371
2017–18	592	161	28	151	115	1047
2018–19	0	0	0	246	258	504
2019–20	73	0	33	16	14	136
2020–21	0	1302	18	11	4	1335
2021–22	777	437	757	170	121	2262
2022–23 (माह नवम्बर 2022 तक)	183	123	22	19	16	363
योग	82163	69987	42359	35836	22227	252572

तालिका III(c)
आवासों का आवंटन (आय वर्गवार/वर्षवार)

वर्ष	आ.दृ.क वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग (अ)	मध्यम आय वर्ग (ब)	उच्च आय वर्ग	योग
31.03.2000 तक	47160	41974	24846	22484	11308	147772
2000–01	742	1539	596	753	380	4010
2001–02	922	759	392	635	514	3222
2002–03	825	693	245	335	505	2603
2003–04	2902	595	215	596	215	4523
2004–05	889	870	526	954	655	3894
2005–06	2912	2281	531	590	821	7135
2006–07	2053	1170	746	407	483	4859
2007–08	3331	1550	963	951	1491	8286
2008–09	2068	1952	1078	724	1051	6873
2009–10	2021	1362	1423	1136	900	6842
2010–11	2497	2666	2067	972	695	8897
2011–12	2714	1313	1611	1141	706	7485
2012–13	894	728	1127	857	427	4033
2013–14	3160	2825	1847	843	424	9099
2014–15	2047	2366	1025	808	437	6683
2015–16	1658	2732	1328	712	495	6925
2016–17	805	398	214	141	124	1682
2017–18	22	16	35	20	14	107
2018–19	12	185	13	52	10	272
2019–20	67	37	90	34	44	272
2020–21	231	155	329	208	117	1040
2021–22	1070	761	955	149	132	3067
2022–23 (माह नवम्बर 2022 तक)	1165	422	263	112	103	2065
योग	82167	69349	42465	35614	22051	251646

तालिका III(d)
आवासों का कब्जा देना (आय वर्गनुसार/वर्षवार)

वर्ष	आ.दृक्. वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग (अ)	मध्यम आय वर्ग (ब)	उच्च आय वर्ग	योग
31.03.2000 तक	42915	37692	22618	19850	9986	133061
2000–01	1147	1542	872	1586	728	5875
2001–02	1253	1403	739	866	616	4877
2002–03	1143	980	451	550	682	3806
2003–04	2857	1488	543	778	335	6001
2004–05	2321	1719	658	868	360	5926
2005–06	1332	1303	652	963	791	5041
2006–07	3111	2449	712	546	557	7375
2007–08	1484	840	710	692	791	4517
2008–09	2496	1025	829	600	969	5919
2009–10	1417	1090	745	535	674	4461
2010–11	1568	1057	885	763	912	5185
2011–12	2119	2458	1673	1225	891	8366
2012–13	1841	1180	1411	985	686	6103
2013–14	1938	935	911	720	495	4999
2014–15	1416	1354	1315	725	348	5158
2015–16	1637	1690	1021	480	299	5127
2016–17	619	485	621	521	320	2566
2017–18	234	256	435	415	83	1423
2018–19	166	124	219	172	210	891
2019–20	685	383	509	288	155	2020
2020–21	1591	1280	1072	584	368	4895
2021–22	1233	1185	607	336	255	3616
2022–23 (माह नवम्बर 2022 तक)	1355	1004	573	207	182	3321
योग	77878	64922	40781	35255	21693	240529

तालिका IV(a)

(स्थिति दिनांक 31.12.2022)

जिन प्रकरणों में धारा-27 की अधिसूचना जारी हो चुकी है परन्तु धारा- 4(1) की अधिसूचना जारी नहीं हुई है :

क्रं.सं.	अवाप्ताधीन भूमि का विवरण	रकबा (हैक्टेयर)
1.	सेती जिला चित्तोडगढ़	20.211
2	फागी जिला जयपुर	35.55
3	ग्राम सिरोली, तहसील सांगानेर के छूटे हुए खसरा	06.44
4	ग्राम महला-चाणचुक्या, जयपुर	175.13
5	बहरोड़ उर्फ बलराम तहसील बहरोड़	55.01
6	ग्राम व तहसील नीम का थाना जिला, सीकर	47.51
7	ग्राम डूंगरपुर गोकुलपुरा व भाटपुरा जिला डूंगरपुर	29.62
8	सलूम्बर, दूदर, जोधासागर की भागड़ एवं नया गांव जिला उदयपुर	38.48
कुल रकबा		407.951

तालिका IV(b)

जिन प्रकरणों में धारा- 27 अथवा धारा -4(1) के तहत अधिसूचना जारी नहीं हुई है:

क्रं.सं.	योजना का नाम	रकबा (हैक्टेयर)
1	ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर	674.97
2	ग्राम खोनागोरियान / भावगढ़ बन्धा त0 सांगानेर जिला जयपुर	72.02
3	ग्राम उदयपुर गिलरिया एवं टोडी रमजानीपुरा, इन्दिरा गांधी नगर जगतपुरा, जयपुर	103.64
4	हनुमान नगर, तहसील जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा	22.88
5.	ग्राम नान्दड़ा कलां, उचियारड़ा, बासनीनिकुम्बा, जालेली फौजदारान एवं सोडेर की ढाणी, तहसील व जिला जोधपुर	851.76
6.	ग्राम मोगड़ाकला, तनावड़ा एवं भांकरासनी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर	465.04
7	पाली	125.85
8	ग्राम कोहला, हनुमानगढ़	107.525
9	ग्राम छत्रपुरा-बूंदी, जिला बूंदी	74.22
10	ग्राम ढोली बासनी, सिलावटान, जोधपुर	728.48
11	रेनवाल, फेज-द्वितीय	894.18
12	डूंगरपुर, जिला बीकानेर	63.49
13	ग्राम ढीकली एंव बाड़ा, तहसील गिर्वा, उदयपुर	193.5063
14	ग्राम जाजेकलां व जाजेखुर्द, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर	142.8687
15	ग्राम थड़ा, तहसील तिजारा (भिवाड़ी)	50.56
16	ग्राम नैनसुख बहरोड़, तहसील बहरोड़, जिला अलवर	46.44
17	शंकरपुरा, तहसील राजसमन्द	162.45
18	सुवाणा, तहसील व जिला भीलवाड़ा	6.53
योग		4786.41

तालिका IV(c)

विशेषाधिकारी स्तर पर प्रक्रियाधीन भूमि अवाप्ति के प्रकरण :

क्रं.सं.	योजना का नाम	रकबा (हैक्टेयर)
1.	पाली चक नं. 1	17.59
योग		17.59

तालिका V

पुरस्कार

वर्ष	पुरस्कार	पुरस्कृत करने वाली संस्था	उपलब्धि जिसके लिये पुरस्कार दिया गया
1982	सर एम. विश्वेश्वरैया पुरस्कार	हुडको एवं हरि ओम आश्रम टस्ट्र, नाडियाद	वर्ष 1982 में जोधपुर में 398 आवासों के निर्माण हेतु
	(अ) द्वितीय पुरस्कार		वर्ष 1982 में अलवर में 402 आवासों के निर्माण हेतु
	(ब) तृतीय पुरस्कार		वर्ष 1982 में कोटा में 426 आवासों के निर्माण हेतु
	(स) तृतीय पुरस्कार		
1983	वार्षिक रोटेशनल ट्राफी	हुडको	जोधपुर की मधुवन एवं चौपासनी रोड फेज-7 योजना के लिये बेहतर साईट्स एवं सेवाओं के लिये
1985	सर एम. विश्वेश्वरैया पुरस्कार	हुडको एवं हरि ओम आश्रम टस्ट्र, नाडियाद	मानसरोवर योजना, जयपुर में 385 आवासों के निर्माण के लिये
	प्रथम पुरस्कार		
1992	कम लागत के आवास प्रतियोगिता (शहरी)	हरि ओम आश्रम टस्ट्र, नाडियाद	मधुवन स्कीम जोधपुर में अल्प आय वर्ग अवासों के निर्माण के लिये
1994	प्रशंसा-उत्कृष्ट कार्य सम्पादन	हुडको	आवासन मण्डल की स्थापना से किये गये उत्कृष्ट कार्य सम्पादन के लिये (1970-93)
1994	प्रशंसा-अतिविशिष्ट कार्य सम्पादन	हुडको	हुडको से आवासन मण्डल के लगातार जुड़ाव एवं अतिविशिष्ट कार्य सम्पादन के लिये
2010	इंडिया प्राईड अवार्ड-2010	एस. कुमार नेशनवार्ड लि. (सामूहिक प्रायोजक: दैनिक भास्कर एवं DNA समूह)	गरीब तबके की सुविधाओं हेतु नवाचार एवं उच्च गुणवत्ता के आवास निर्माण के लिये
2011	विश्वकर्मा अवार्ड-2011	सौ.आई.डी.सी., नई दिल्ली	समाजिक दायित्व की श्रेणी में उदाहरणीय सेवाओं एवं नवाचारों के लिये
2013	आईएसओ प्रमाण पत्र 9001-2008	ए.सी.एस प्रा.लि.	प्रबन्धकीय कार्य गुणवत्ता हेतु ISO 9001-2008 प्रमाण पत्र
2014	मास हाउसिंग-पब्लिक	नेशनल रियल इस्टेट ड्वलपमेन्ट काउन्सिल नई दिल्ली (NAREDCO)	मास हाउसिंग क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि हेतु
2016	NAREDCO's scroll of honor	नेशनल रियल इस्टेट ड्वलपमेन्ट काउन्सिल नई दिल्ली (NAREDCO)	Best Development Authority (State)
2019	NAREDCO	नेशनल रियल इस्टेट ड्वलपमेन्ट काउन्सिल नई दिल्ली (NAREDCO)	Housing for all
2019	World Record	World Book of Records, London	35 दिवस में ई-ऑक्शन के माध्यम से 1010 आवास /पलैट्स की बिक्री हेतु
2020	Award of Excellence	Elets Technomedia Noida	Excellent Development work in I.G. Nagar, Jaipur
2020	Gold Edition-2020	World Book of Records, London	ई-बिड सबमिशन के माध्यम से

वर्ष	पुरस्कार	पुरस्कृत करने वाली संस्था	उपलब्धि जिसके लिये पुरस्कार दिया गया
			12 दिवस में 1213 सम्पत्तियों के निस्तारण हेतु
2021	Skoch Award-2021	Skoch Group India	Revival and Strengthening of RHB in Two Years (Gold Category)
2021	IBC Award-2021	Indian Building Congress, New Delhi	अरावली अपार्टमेन्ट मानसरोवर जयपुर को Residential Units & Housing Complex की श्रेणी में अवार्ड ऑफ ट्राफी प्रदान की गई
2022	Skoch Star of Governance Award 2022	Indian Habitat Center, New Delhi	83 वा सम्मिट में आवासन मंडल की सफलताओं, कायाकल्प तथा नवाचारों के कारण
2022	Rajasthan Best Employer Brand Awards 2022	World H.R.D. congress	कार्मिक प्रबन्धन, कार्यनीति के उत्कृष्ट सम्मिश्रण, नवाचारों तथा भविष्य की चुनौतियों के लिए अपनायी गयी रि-इंजीनियरिंग तथा आमूल चूल सुधारों हेतु
2022	Premium Edition 2022	World Book of Records, London	वर्ष 2019–20 से 2021–22 की अल्पावधि में 13,583 आवासीय एवं व्यावसायिक सम्पत्तियों का ऑनलाइन माध्यम (ई-आवश्यन एवं ई बिड सबमिशन) द्वारा निस्तारण हेतु
2022	Premium Edition 2022	World Book of Records, London	जयपुर चौपाटियों में आगन्तुकों का सवार्धिक संख्या में आगमन का कीर्तिमान स्थापित किये जाने हेतु
2022	Gold Category-2022	SKOCH GROUP INDIA	राजस्थान आवासन मंडल को विगत तीन वर्ष में अपने अनूठे प्रयासों से संस्था को नवाचारों, कायाकल्प एवं उपलब्धियों के फलस्वरूप संस्थान को (Revival & Strengthening) किये जाने हेतु आवासन आयुक्त को देश के प्रतिष्ठित अवार्ड Skoch Award 2022 से हाउसिंग सैक्टर की “गोल्ड श्रेणी” में बैक टू बैक दुसरे वर्ष में सम्मानित किया गया।

तालिका VI (a)
RAJASTHAN HOUSING BOARD :: JAIPUR
 Posts Sanctioned Existing And Vacancies 31-12-2022
REGULAR EMPLOYEE

S.N.	Name of Post	San.	Exis.	Vac.	Excess	Remarks
1	CHIEF ENGINEER	3	3	0	0	
2	ADDL. C. E.	3	3	0	0	
3	DY.H.C.	13	12	1	0	
4	SR.P.M.	1	1	0	0	
5	Dy. FINANCE ADVISOR	1	1	0	0	
6	SR.ACCTS OFFICER	2	1	1	0	
7	RESIDENT ENGINEER	48	40	8	0	1 RUDSICO, 1 NAGAR NIGAM KOTA, 1 UIT KOTA
8	PRIVATE SECRETARY	6	6	0	0	
9	DY.TOWN PLANNER	1	0	1	0	
10	JOINT DIRECTOR (S.A.) COMPUTER	1	1	0	0	
11	ACCOUNTS OFFICER	14	9	5	0	
12	ASSTT. ARCHI. / A.T.P.	5	1	4	0	
13	EM/PM/AS	8	7	1	0	
14	A.L.R.	1	0	1	0	
15	PROJECT ENGINEER (SR)	192	54	138	0	(RUDSICO-03, JDA 3, POLICE HQ 2,)
16	PROJECT ENGINEER (JR) Civil	151	0	151	0	
17	PROJECT ENGINEER (JR) Elect	11	0	11	0	
18	ASSISTANT ACCOUNTS OFFICER GR-I	26	13	13	0	
19	A.H.O.	18	10	8	0	
20	Sr. LAW OFFICER	4	0	4	0	
21	Add. P.S.	8	5	3	0	
22	PROGRAMMER	2	0	2	0	

S.N.	Name of Post	San.	Exis.	Vac.	Excess	Remarks
23	ASSISTANT ACCOUNTS OFFICER GR-II	62	3	59	0	
24	ARCHI. ASSTT. / T.P.A.	8	5	3	0	
25	ASSTT.LAO	2	0	2	0	
26	ADDL. ADM. OFFICER	33	31	2	0	
27	PERSONAL ASSISTANT	34	12	22	0	
28	ASSTT. ADM. OFFICER	90	77	13	0	
29	GARDEN INSPECTOR	1	1	0	0	
30	JR. ACCOUNTANT	200	52	148	0	
31	LAND INSPECTOR	1	0	1	0	
32	JR. LAW OFFICER	12	2	10	0	
33	SR. DM	15	10	5	0	
34	JR. DM	21	1	20	0	
35	PLUMBER GR-I	1	0	1	0	
36	ASSTT. PROGMMER	13	2	11	0	
37	DEO / INFORMATION ASSTT.	24	1	23	0	
38	LAB. ASSTT.	2	0	2	0	
39	DRIVER	12	4	8	0	
40	JR. ASSISTANT	268	87	181	0	
41	TELEPHONE OPR.	2	0	2	0	
42	TRACER	7	0	7	0	
43	FERO PRINTER	1	1	0	0	
44	F. CUM R/KEEPER	2	0	2	0	
45	GARDENER	1	0	1	0	
46	MACHINE MAN	2	1	1	0	
47	JAMADAR	11	9	2	0	
48	HELPER	225	119	106	0	
49	SWEEPER	12	11	1	0	
TOTAL		1581	596	985	0	

तालिका –VI(b)
RAJASTHAN HOUSING BOARD
Posts sanctioned Existing And Vacancies 31-12-2022
WORK CHARGE STAFF(REGULARISED)

S.No.	Name of Post	San.	Exis.	Vac.	Excess	Remarks
1	SUPERVISIOR	11	10	0	0	
2	SUPERVISIOR(Jr.)	15	15	0	0	
3	FITTER	3	3	0	0	
4	ELECTRICIAN	2	2	0	0	
5	CARPENTER	1	1	0	0	
6	MASSON	4	4	0	0	
7	GARDNER	4	4	0	0	
8	CHOKIDAR	7	7	0	0	
9	SWEEPER	6	6	0	0	
10	HELPER SKILLED	9	9	0	0	
11	HELPER UN-SKILLED	45	44	0	0	
TOTAL POST		107	105	0	0	

वर्कचार्ज (नियमित) कार्मिकों के सेवानिवृत्ति/निधन हो जाने की दशा में पद स्वतः ही समाप्त हो जावेगे।

तालिका –VI(c)
RAJASTHAN HOUSING BOARD
Posts sanctioned Existing And Vacancies 31-12-2022
DEPUTATION STAFF IN RHB

S.N.	Name of Post	San.	Exis.	Vac.	Excess	Remarks
1	CHAIRMAN	1	0	1	0	Addl. Charge to Hon'ble Minister UDH
2	H.COMMISSIONER	1	1	0	0	
3	SECRETARY	1	1	0	0	
4	F.A.& C.A.O.	1	1	0	0	
5	DIRECTOR LAW	1	1	0	0	
6	A.C.T.P.	1	1	0	0	
7	C.E.M.	1	0	1	0	
8	ACE	0	1	0	1	Post not Sanctioned
9	DHC	0	1	0	1	Post not Sanctioned
10	SR.TOWN PLANNER	1	0	1	0	
11	DY. SECRETARY	1	0	1	0	
12	Dy. FINANCE ADVISOR	1	0	1	0	
13	SR.ACOUNTS OFFICER	1	0	1	0	
14	RESIDENT ENGINEER	4	4	0	0	
15	O.S.D.	1	0	1	0	
16	ESTATE MANAGER (RAS)	2	1	1	0	HQ
17	PROJECT ENGINEER (SR)	10	6	4	0	
18	ALR	0	1	0	1	Post not Sanctioned
19	L.A.O. / TEHSILDAR	2	2	0	0	
20	ASSISTANT DIRECTOR (PUBLIC RELATION)	1	1	0	0	
21	STASTICAL ASSISTANT	1	2	0	1	
22	PROJECT ENGINEER (JR)	20	8	12	0	
23	PROJECT ENGINEER (JR)	0	1	0	1	1PE(Jr)Civil Post Not Sanctioned
24	HORTICULTURIST	0	1	0	1	Post not Sanctioned
25	PROGRAMER	0	1	0	1	Post not Sanctioned
26	ASSISTANT (PA)	0	1	0	1	Post not Sanctioned
27	JR LAW OFFICER	0	1	0	1	Post not Sanctioned
28	JR.ASSISTANT	0	2	0	2	Post not Sanctioned
29	DRIVER	0	2	0	2	Post not Sanctioned
30	MASSENGER (HELPER)	0	3	0	3	Post not Sanctioned
31	SWEEPER	0	1	0	1	Post not Sanctioned
TOTAL POST		52	45	24	17	

तालिका VII
मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय की ई-मेल सूची

क्र.सं.	नाम	पद	ई-मेल आईडी
1	श्री शांति धारीवाल	अध्यक्ष	chairman.rhb@rajasthan.gov.in
2	श्री पवन अरोड़ा	आवासन आयुक्त	hc.rhb@rajasthan.gov.in
3	श्रीमति संचिता बिश्नोई	सचिव	secy.rhb@rajasthan.gov.in
4	श्री मनोज गुप्ता	मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)	cehq.rhb@rajasthan.gov.in
5	श्री के.सी. मीणा	मुख्य अभियन्ता (प्रथम)	ce1.rhb@rajasthan.gov.in
6	श्री जी.एस. बाघेला	मुख्य अभियन्ता (द्वितीय)	ce2.rhb@rajasthan.gov.in
7	श्रीमति संजय शर्मा	वित्तीय सलाहकार	facao.rhb@rajasthan.gov.in
8	श्रीमति प्रीति सिंह पंवार	मुख्य सम्पदा प्रबन्धक	cem.rhb@rajasthan.gov.in
9	श्री लेखराज जाग्रत	निदेशक (विधि)	dirlaw.rhb@rajasthan.gov.in
10	श्री अमित अग्रवाल	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता—प्रथम	ace1.rhb@rajasthan.gov.in
11	श्री भजन लाल गुणपाल	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता—द्वितीय	ace2.rhb@rajasthan.gov.in
12	श्री संजय पूनियौ	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता—तृतीय	ace3.rhb@rajasthan.gov.in
13	श्री आर.डी. गुप्ता	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता एवं अध्यक्ष, आवास विकास संस्थान अवसायन समिति	ace-avslc.rhb@rajasthan.gov.in
14	श्री अनिल माथुर	अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक	actp.rhb@rajasthan.gov.in
15	श्री ओ.पी. बुटोलिया	उप वित्तीय सलाहकार	dy fa.rhb@rajasthan.gov.in
16	श्री अनुज माथुर	संयुक्त निदेशक (System Anaylist)	jdsa.rhb@rajasthan.gov.in
17	श्री संदीप गर्ग	निदेशक परियोजनायें	directorproject.rhb@rajasthan.gov.in
18	श्री विजय अग्रवाल	उप आवासन आयुक्त (मु0)	dhchq.rhb@rajasthan.gov.in
19	श्री प्रतीक श्रीवास्तव	उप आवासन आयुक्त (गुणवत्ता नियंत्रण)	dhcqc.rhb@rajasthan.gov.in
20	श्री हंसराज दुप्पगा (अति. प्रभार)	तकनीकी सहायक, अध्यक्ष	ta2cm.rhb@rajasthan.gov.in
21	श्री बी.एल.स्वामी	तकनीकी सहायक, आवासन आयुक्त	ta2hc.rhb@rajasthan.gov.in
22	श्री आर.के. जैन	तकनीकी सहायक, मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)	ta2ce.rhb@rajasthan.gov.in
23	डा. संचिता बिश्नोई (अति. प्रभार)	उप सचिव	dysecy.rhb@rajasthan.gov.in

क्र.सं.	नाम	पद	ई—मेल आईडी
24	श्री विनोद कुमार शर्मा	आवासीय अभियन्ता गुणवत्ता नियंत्रण—प्रथम जयपुर	rejprqc1.rhb@rajasthan.gov.in
25	श्री एम.पी.एस. जुनेजा	आवासीय अभियन्ता गुणवत्ता नियंत्रण-II जयपुर	rejprqc2.rhb@rajasthan.gov.in
26	श्री मोहम्मद असलम नियाजी	आवासीय अभियन्ता (मुख्यालय)	replan.rhb@rajasthan.gov.in
27	श्री अनिल कुमार	आवासीय अभियन्ता—ई—प्रोक	reeproc.rhb@rajasthan.gov.in
28	श्री अनिल माथुर	वरिष्ठ नगर नियोजक	dtp.rhb@rajasthan.gov.in
29	श्री भंवर लाल चौधरी	आवासीय अभियन्ता (विद्युत)	reelect.rhb@rajasthan.gov.in
30	श्री दशरथ कुमार राठौड़	सम्पदा प्रबन्धक (रिकॉर्ड)	centrecords.rhb@rajasthan.gov.in
31	श्रीमति प्रीति सिंह पंवार	विशेषाधिकारी (भूमि)	osdland.rhb@rajasthan.gov.in
32	श्री ओ.पी. बुटोलिया	वरिष्ठ लेखाधिकारी—प्रथम	sao1.rhb@rajasthan.gov.in
33	श्री ओ.पी. बुटोलिया	वरिष्ठ लेखाधिकारी—द्वितीय	sao2.rhb@rajasthan.gov.in
34	श्री अभिषेक जैन	सहायक निदेशक जनसम्पर्क	pro.rhb@rajasthan.gov.in
35	श्री रमेश कुमार	निजी सचिव, अध्यक्ष	ps2cm.rhb@rajasthan.gov.in
36	श्री भारत भूषण जैन	निजी सचिव, आवासन आयुक्त	ps2hc.rhb@rajasthan.gov.in
37	श्री रामेश्वर लाल वर्मा	वरिष्ठ कार्मिक प्रबन्धक	srpm.rhb@rajasthan.gov.in
38	श्री अरुण शाह	लेखाधिकारी (भुगतान)	aopayment.rhb@rajasthan.gov.in
39	श्री हरीश मोतियानी	सहायक लेखाधिकारी (स्टोर)	centstores.rhb@rajasthan.gov.in
40	श्री भारत भूषण जैन	अति. निजी सचिव— आवासन आयुक्त	pa2hc.rhb@rajasthan.gov.in
41	श्री हाकम चन्द पंवार	तकनीकी सहायक अति. मु.अभि.—प्रथम जयपुर	ta2ace1.rhb@rajasthan.gov.in
42	श्री लाखाराम खिलेरी	तकनीकी सहायक अति. मु.अभि.—द्वितीय जोधपुर	ta2ace2.rhb@rajasthan.gov.in
43	श्री एम.आर. बड़गुर्जर	तकनीकी सहायक अति. मु.अभि.—तृतीय जयपुर	ta2ace3.rhb@rajasthan.gov.in
जयपुर वृत्त—प्रथम			
44	श्री के.सी. ढाका	उप आवासन आयुक्त	dhcjpr1.rhb@rajasthan.gov.in
45	श्री जे.डी. मीणा	तकनीकी सहायक, उप आवासन आयुक्त	ta2dhcjpr1.rhb@rajasthan.gov.in

क्र.सं.	नाम	पद	ई-मेल आईडी
46	श्री सुभाष यादव	आवासीय अभियन्ता खण्ड-III	rejpr3.rhb@rajasthan.gov.in
47	श्री आर.सी.बुडानिया	आवासीय अभियन्ता खण्ड-IV	rejpr4.rhb@rajasthan.gov.in
48	श्री भगवान सहाय	आवासीय अभियन्ता खण्ड-V	rejpr5.rhb@rajasthan.gov.in
49	श्री हंसराज दुप्पगा	आवासीय अभियन्ता खण्ड-X	rejpr10.rhb@rajasthan.gov.in
50	श्री रोहित सिंह	आवासीय अभियन्ता खण्ड-XII	rejpr12.rhb@rajasthan.gov.in
जयपुर वृत्त-द्वितीय			
51	श्री जे.एस. बुगालिया	उप आवासन आयुक्त-II	dhcjpr2.rhb@rajasthan.gov.in
52	श्री डी.सी. सहारण	तकनीकी सहायक, उप आवासन आयुक्त	ta2dhcjpr2.rhb@rajasthan.gov.in
53	श्री जी.पी. अग्रवाल	आवासीय अभियन्ता खण्ड-VI	rejpr6.rhb@rajasthan.gov.in
54	श्री के.के. दीक्षित	आवासीय अभियन्ता खण्ड-IX	rejpr9.rhb@rajasthan.gov.in
55	श्री केशव श्रीवास्तव	पी.एच.ई.-I	rejprphe1.rhb@rajasthan.gov.in
56	श्री दीपक कौशिक	आवासीय अभियन्ता खण्ड-अजमेर	reajmer.rhb@rajasthan.gov.in
57	श्री जे.पी. वर्मा	आवासीय अभियन्ता खण्ड-झुंझुनू	rejhunjhunu.rhb@rajasthan.gov.in
जयपुर वृत्त-तृतीय			
58	श्री टी.एस. मीणा	उप आवासन आयुक्त	dhcjpr3.rhb@rajasthan.gov.in
59	श्री जे.डी.मीणा	तकनीकी सहायक, उप आवासन आयुक्त	ta2dhcjpr3.rhb@rajasthan.gov.in
60	श्री बी.एल.मीणा	आवासीय अभियन्ता खण्ड-I	rejpr1.rhb@rajasthan.gov.in
61	श्री नरेन्द्र गुरनानी	आवासीय अभियन्ता खण्ड-II	rejpr2.rhb@rajasthan.gov.in
62	श्री आर.सी.मेघवाल	आवासीय अभियन्ता खण्ड-XI	rejpr11.rhb@rajasthan.gov.in
63	श्री जे.सी. गोधा	आवासीय अभियन्ता खण्ड-XIII	rejpr13.rhb@rajasthan.gov.in
64	श्री आर.एन. सिंघल	आवासीय अभियन्ता पी.एच. ई-द्वितीय	rejprphe2.rhb@rajasthan.gov.in
65	श्री प्रकाश	आवासीय अभियन्ता खण्ड-कोचिंग हब	redausa.rhb@rajasthan.gov.in
अलवर वृत्त			
66	श्री ज्ञानेश्वर व्यास	उप आवासन आयुक्त	dhcalwar.rhb@rajasthan.gov.in
67	श्री	तकनीकी सहायक, उप आवासन आयुक्त	ta2dhcalwar.rhb@rajasthan.gov.in

क्र.सं.	नाम	पद	ई—मेल आईडी
68	श्री संदीप पारिक	आवासीय अभियन्ता खण्ड— अलवर	realwar.rhb@rajasthan.gov.in
69	श्री पृथ्वीलाल मीणा	आवासीय अभियन्ता खण्ड—भिवाड़ी	rebwd.rhb@rajasthan.gov.in
70	श्री पृथ्वीलाल मीणा (अतिरिक्त प्रभार)	आवासीय अभियन्ता खण्ड—भरतपुर	rebharatpur.rhb@rajasthan.gov.in

बीकानेर वृत्त

71	श्री अमित अग्रवाल (अति. प्रभार)	उप आवासन आयुक्त	dhcikaner.rhb@rajasthan.gov.in
72	श्री पी.के. माथुर	तकनीकी सहायक, उप आवासन आयुक्त	ta2dhcikaner.rhb@rajasthan.gov.in
73	श्री आर.सी. मेघवाल	आवासीय अभियन्ता खण्ड—बीकानेर	rebkn1.rhb@rajasthan.gov.in
74	श्री जितेन्द्र माथुर	आवासीय अभियन्ता खण्ड—नागौर	rebkn2.rhb@rajasthan.gov.in
75	श्री के.एल. निनानियॉ	आवासीय अभियन्ता खण्ड, हनुमानगढ़	rehanumangarh.rhb@rajasthan.gov.in

जोधपुर वृत्त—प्रथम

76	श्री आर.एस. भाटी (अति. प्रभार)	उप आवासन आयुक्त—I	dhejodhpur1.rhb@rajasthan.gov.in
77	श्री श्रवण कुमार	तकनीकी सहायक, उप आवासन आयुक्त—I	ta2dhcjodhpur1.rhb@rajasthan.gov.in
78	श्री आर.एस.भाटी	आवासीय अभियन्ता खण्ड-II	rejdpr2.rhb@rajasthan.gov.in
79	श्री संजय राय	आवासीय अभियन्ता खण्ड-III	rejdpr3.rhb@rajasthan.gov.in
80	श्री अनिल व्यास	आवासीय अभियन्ता खण्ड-IV	rejdpr4.rhb@rajasthan.gov.in
81	श्री रविंद्र कुमार मीणा	आवासीय अभियन्ता पी.एच.ई	rejdrphe.rhb@rajasthan.gov.in
82	श्री अश्विनी लोहरा	आवासीय अभियन्ता गुणवत्ता नियंत्रण	rejdprqc.rhb@rajasthan.gov.in

क्र.सं.	नाम	पद	ई—मेल आईडी
जोधपुर वृत्त—द्वितीय			
83	श्री आर.एस. भाटी (अति. प्रभार)	उप आवासन आयुक्त-II	dhcjodhpur2.rhb@rajasthan.gov.in
84	श्रीमती राज्यश्री कच्छावा	तकनीकी सहायक, उप आवासन आयुक्त	ta2dhcjdp2.rhb@rajasthan.gov.in
85	श्री दीपका बिस्सा	आवासीय अभियन्ता खण्ड—प्रथम	rejdpr1.rhb@rajasthan.gov.in
86	श्री श्रवण कुमार सैनी	आवासीय अभियन्ता खण्ड—पाली	repali.rhb@rajasthan.gov.in
87	श्री अनिल व्यास (अति. प्रभार)	आवासीय अभियन्ता खण्ड—बाडमेर	rejaisalmer.rhb@rajasthan.gov.in
कोटा वृत्त			
88	श्री अनिल सक्सेना	उप आवासन आयुक्त	dhc{kota.rhb@rajasthan.gov.in
89	श्री हेमन्त कुमार नामदेव	तकनीकी सहायक, उप आवासन आयुक्त	ta2dhckota.rhb@rajasthan.gov.in
90	श्री आर.एम. कुरैशी	आवासीय अभियन्ता—कोटा	rekota.rhb@rajasthan.gov.in
91	श्री शकील मौ. कुरैशी (अति. प्रभार)	आवासीय अभियन्ता—बारां	rebaran.rhb@rajasthan.gov.in
उदयपुर वृत्त			
92	श्री जी.एस.भाटी	उप आवासन आयुक्त	dhcudpr.rhb@rajasthan.gov.in
93	श्री एम.के. जैन	तकनीकी सहायक, उप आवासन आयुक्त	ta2dhcudpr.rhb@rajasthan.gov.in
94	श्री डी.सी.अग्रवाल	आवासीय अभियन्ता खण्ड—प्रथम	reudpr1.rhb@rajasthan.gov.in
95	श्री बी.डी. शर्मा	आवासीय अभियन्ता खण्ड—द्वितीय	reudpr2.rhb@rajasthan.gov.in
96	श्री एम.के. जैन	आवासीय अभियन्ता खण्ड—भीलवाड़ा	rebhilwara.rhb@rajasthan.gov.in
97	श्री अजय मेहता	आवासीय अभियन्ता खण्ड—चित्तौडगढ़	rechittorgarh.rhb@rajasthan.gov.in
98	श्री जी.एस.भाटी (अति. प्रभार)	आवासीय अभियन्ता खण्ड—झूंगरपुर	redungarpur.rhb@rajasthan.gov.in

तालिका VIII


राज्य सरकार की जिला स्तरीय बैठकों, सूचनाओं एवं विडियो कानफ्रेसिंग हेतु आवासन मण्डल के नोडल अधिकारियों की सूची

क्र. सं.	जिला	नोडल अधिकारी का नाम पद नाम, पदस्थापन एवं मोबाइल नम्बर	पदस्थापन मोबाइल नम्बर	कार्यालय का पता एवं दूरभाष नं.
	नाम	पद नाम		कार्यालय का पता
1	अजमेर	श्री दीपक कोशिक आवासीय अभियन्ता	खण्ड-अजमेर	98283–36599 कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, छण्ड-अजमेर वैशाली नगर, अजमेर 141–2641894
2	अलवर	श्री ज्ञानेश्वर यास	उप आवासन आयुक्त	वृत्त –अलवर 94133–53071 वृत्त कार्यालय उप आवासन आयुक्त,मनु मार्ग, बस स्टैण्ड के पास प्रताप नगर कर्तलोनी सीईपी, अलवर 0144–2332612
3	बांसवाड़ा	श्री जी.एस.भाटी	आवासीय अभियन्ता	खण्ड-झूंगापुर 94130–18603 कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-झूंगापुर शिवाली नगर, झूंगापुर 02964–232288
4	बारां	श्री शक्तील मौ. कुरेशी	आवासीय अभियन्ता	खण्ड-बारां 97833–03951 कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-बारां वन विभाग के सामने बारां
5	बाड़मेर	श्री अनिल व्यास	आवासीय अभियन्ता	खण्ड-बाड़मेर 98281–00252 कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-जैसलमेर जेठवाई रोड किशन घाट, जैसलमेर 02992–254820
6	भरतपुर	श्री पी.एल. मीना	आवासीय अभियन्ता	खण्ड-भरतपुर 99839–93863 कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-भरतपुर, 2-ए-1, एसटीडी कॉलनी, भरतपुर 05644–223672
7	भीलवाड़ा	श्री एम.के. जेन	आवासीय अभियन्ता	खण्ड-भीलवाड़ा 76654–30304 कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-भीलवाड़ा, आर.के कॉलनी, भीलवाड़ा 01462–220312
8	बीकानेर	श्री अमित अग्रवाल	उप आवासन आयुक्त	वृत्त बीकानेर 99833–09410 वृत्त कार्यालय उप आवासन आयुक्त, सैवटर-4 मुक्ता प्रसाद नगर, बीकानेर 0151–2226971
9	बूद्धी	श्री आर.एम. कुरेशी	आवासीय अभियन्ता	खण्ड-कोटा 97833–03951 कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-कोटा नगर विकास त्वास के पिछे,सी.एडी, सर्किल, कोटा 0744–2500911
10	चितोड़गढ़	श्री अजय मेहता	आवासीय अभियन्ता	खण्ड-चितोड़गढ़ 94141–03221 कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, चितोड़गढ़ 1-बी-48-49, सन्ती सागवा, 01472–241163

11	चुरु	श्री जे.पी. वर्मा	आवासीय अभियन्ता	खण्ड-कुंचुनू	98281-67506	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-कुंचुनू 2 / 3-4 पुरानी कॉलोनी, चुरु रोड, कुंचुनू	01592-232319
12	दौसा	श्री श्रवण लाल कौली	आवासीय अभियन्ता	खण्ड-दौसा	99836-55461	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-दौसा 1 / 68 खानमकरी रोड, दौसा	01427-223875
13	धौलपुर	श्री पी.एल. भीमा	आवासीय अभियन्ता	खण्ड-भरतपुर	99839-97863	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-भरतपुर, 2-ए-1, एसटीडी कॉलोनी, भरतपुर	05644-223672
14	हुगरपुर	श्री जी.एस.भाटी	उप आवासन आयुक्त	खण्ड-हुगरपुर	94130-18603	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-हुगरपुर शिवाजी नगर, हुगरपुर	02964-232288
15	हनुमानगढ़	श्री के.एल.निनानिया	आवासीय अभियन्ता	खण्ड-हनुमानगढ़	98281-03904	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-हनुमानगढ़, 9 / 58-59, हनुमानगढ़	01552-244318
16	जयपुर	श्री के.सी.डाका	उप आवासन आयुक्त	वृत- प्रथम,जयपुर	98281-27727	वृत कार्यालय उप आवासन आयुक्त, सैकटर-5 प्रताप द्वाजा, टाक रोड, जयपुर	0141-29791320
17	जैसलमेर	श्री अनिल व्यास	आवासीय अभियन्ता	खण्ड-बाईमेर	98281-00252	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-जैसलमेर जेटडार्ट रोड किशन बाट, जैसलमेर	02992-254820
18	जालोर			आवासन मण्डल की गतिविधियां संचालित नहीं हैं।			
19	झालावाड़	श्री आर.एम. कुशेरी	आवासीय अभियन्ता	खण्ड-कोटा	97833-03951	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-कोटा नगर विकास त्वास के पीछे सी.एडी. सर्किल, कोटा	0744-2500911
20	कुंचुनू	श्री जे.पी.वर्मा	आवासीय अभियन्ता	खण्ड-कुंचुनू	98281-67506	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-कुंचुनू 2 / 3-4 पुरानी कॉलोनी, चुरु रोड, कुंचुनू	01592-232319
21	जोधपुर	श्री आर.एस. भाटी	उप आवासन आयुक्त	वृत- जोधपुर प्रथम	99836-51500	वृत कार्यालय उप आवासन आयुक्त, सैकटर-11, चौपासनी हाफिंग बोर्ड, जोधपुर	0291-2700874
22	कौली			आवासन मण्डल की गतिविधियां संचालित नहीं हैं।			
23	कोटा	श्री अनिल सरसेना	उप आवासन आयुक्त	वृत कोटा	98285-54074	वृत कार्यालय उप आवासन आयुक्त, नगर विकास न्यास के पीछे,सी.एडी. सर्किल, कोटा	0744-2500721

24	नगौर	श्री जितेन्द्र माथुर	आवासीय अभियन्ता	खण्ड-नागौर	96104-46850	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-द्वितीय बीकानेर मुक्ता प्रसाद नगर, बीकानेर	0151-2226973
25	पाली	श्री श्रवण कुमार सेनी	आवासीय अभियन्ता	खण्ड-पाली	97838-10109	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-पाली, जोधपुर रोड, पाली	02932-256371
26	प्रतापगढ़	श्री अजय मेहता	आवासीय अभियन्ता	खण्ड-चितोड़गढ़	94141-03221	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-चितोड़गढ़ 1-बी-48-49, सत्ती सागवा, चितोड़गढ़	01472-241163
27	राजसमन्द	श्री बीडी शर्मा	आवासीय अभियन्ता	खण्ड-चितोड़गढ़	99839-93894	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-द्वितीय उदयपुर सेकटर-11 हिरण मनरी, उदयपुर	0294-2583108
28	सराईमाधोपुर	श्री श्रवण लाल कोली	आवासीय अभियन्ता	खण्ड-दौसा	99836-55461	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-दौसा 1 / 68 खानभाकरी रोड, दौसा	01427-223875
29	सीकर	श्री जे.पी. वर्मा	आवासीय अभियन्ता	खण्ड-झुंझुनू	98294-17291	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-झुंझुनू 2 / 3-4 पुरानी कॉलोनी, चुक रोड, झुंझुनू	01592-232319
30	सिरोही	श्री श्रवण कुमार सेनी	आवासीय अभियन्ता	खण्ड-पाली	97838-10109	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-पाली, जोधपुर रोड, पाली	02932-256371
31	श्रीगंगानगर	श्री के.एल.निनानिया	आवासीय अभियन्ता	खण्ड-हनुमानगढ़	98281-03904	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-हनुमानगढ़, 9 / 58-59, हनुमानगढ़ जयपुर	01552-244318
32	टोंक	श्री जे.बी.गोदा	आवासीय अभियन्ता	खण्ड-जयपुर तेरह	98291-80301	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-तेरह, सेकटर-4, इंदिरागंधी नगर, जगतपुर,	0141-2174831
33	उदयपुर	श्री जी.एस.भाटी	उप आवासन आयुक्त	वृत्त-उदयपुर	99839-93914	वृत्त कायालय उप आवासन आयुक्त, सेकटर-11 सलूम्बर सर्किल, हिरण मनरी, उदयपुर	0294-2583327

तालिका IX
ग्राहासनिक ठांचा



क्षत्रीय इन्काई ढांचा
राजस्थान में मण्डल का कार्य क्षेत्र 9 बहु एवं 37
खण्ड कार्यालयों में विभाजित किया हुआ है।
जिनका परिवर्णन तीन मुख्य अभियानों के
अधीन व तीन अतिरिक्त मुख्य अभियानों
द्वारा किया जाता है।


तालिका X

अध्यक्ष एवं आवासन आयुक्त की पदस्थापना सूची

'अध्यक्ष'			'आवासन आयुक्त'		
नाम	कब से	कब तक	नाम	कब से	कब तक
श्री डी.डी. पुरोहित	24-Feb-1970	31-Mar-1978	श्री के.के. सरीन	4-Jul-1970	22-Aug-1975
श्री जी.आर. हुकमानी	1-Apr-1978	6-Mar-1980	श्री जे.एम. मल्होत्रा	23-Aug-1975	22-Dec-1976
श्री के.एस. रस्तोगी (आइ.ए.एस.)	7-Mar-1980	27-Mar-1980	श्री के.सी. मित्तल	22-Dec-1976	30-Jun-1978
श्री आर.के. शास्त्री (आइ.ए.एस.)	28-Mar-1980	5-Jan-1981	श्री आर.सी. पंचारिया	1-Jul-1978	15-Dec-1978
श्री आई.जी. जिंगरन (आइ.ए.एस.)	6-Jan-1981	12-Mar-1981	श्री अखयराज	16-Dec-1978	5-Jun-1979
श्री ए.एल. रुंगटा (आइ.ए.एस.)	13-Mar-1981	1-May-1981	श्री जे.एम. मल्होत्रा	5-Jun-1979	15-Sep-1979
श्री मायाराम (आइ.ए.एस.)	2-May-1981	9-Jun-1981	श्री आर. सी. पंचारिया	15-Sep-1979	29-Oct-1979
श्री बी.डी. कल्ला	10-Jun-1981	4-Aug-1981	श्री अखयराज	29-Oct-1979	20-Jan-1981
श्री सतीश कुमार (आइ.ए.एस.)	29-Aug-1981	2-Aug-1982	श्री एल.बी. बक्सी	21-Jan-1981	12-Aug-1981
श्री रामनारायण चौधरी	3-Aug-1982	28-Nov-1983	श्री अखयराज	16-Aug-1981	3-Aug-1983
श्री के.के. सक्सेना (आइ.ए.एस.)	28-Nov-1983	2-Aug-1985	श्री पी.के. लौरिया	3-Aug-1983	27-Sep-1986
श्री (डॉ) आदर्श किशोर (आइ.ए.एस.)	3-Jun-1985	28-May-1987	श्री अखयराज	27-Sep-1986	21-Nov-1988
श्री पी.वी. माथुर (आइ.ए.एस.)	29-May-1987	8-Jul-1987	श्री आर.एस. कुंभट (आइ.ए.एस.)	21-Nov-1988	6-Sep-1989
श्री एम.एल. मेहता (आइ.ए.एस.)	8-Jul-1987	15-Sep-1988	श्री पी.के. लौरिया	13-Sep-1989	1-Jan-1990
श्री श्रीराम गोठेवाला	15-Jun-1988	6-Mar-1990	श्री एस. के. मुखर्जी	1-Jan-1990	31-Dec-1990
श्री पी.एन. भण्डारी (आइ.ए.एस.)	6-Mar-1990	8-Apr-1990	श्री एस.एल. जोशी	1-Jan-1991	31-Aug-1992
श्री चन्द्रप्रकाश (आइ.ए.एस.)	9-Apr-1990	2-Jul-1991	श्री बी.जी. शर्मा	15-Jan-1993	2-Mar-1994
श्री एस. अहमद (आइ.ए.एस.)	2-Jul-1991	6-Jun-1994	श्री अब्दुल मतीन	1-Jul-1994	28-Aug-1995
श्री एन.के. वर्मा (आइ.ए.एस.)	6-Jun-1994	21-Jul-1995	श्री एन.एन नरहरि	29-Aug-1995	13-Dec-1996
श्री एस.एन. गुप्ता	24-Jul-1995	30-Nov-1998	श्री मनोहर लाल (आइ.ए.एस.)	14-Dec-1996	26-Sep-1998
श्री रवि माथुर (आइ.ए.एस.)	11-Dec-1998	26-Feb-1999	श्री ओ.पी. मीणा (आइ.ए.एस.)	26-Sep-1998	13-Apr-1999
श्री मानसिंह देवड़ा	27-Feb-1999	1-Dec-2003	श्री प्रीतम सिंह (आइ.ए.एस.)	13-Apr-1999	3-Mar-2000
श्री अशोक सम्पत्तराम (आइ.ए.एस.)	18-Dec-2003	6-Jun-2004	श्री विनोद जुत्थी (आइ.ए.एस.)	3-Mar-2000	13-Nov-2000
श्री बी.पी. आर्य (आइ.ए.एस.)	7-Jun-2004	16-Jul-2004	श्री दामोदर शर्मा (आइ.ए.एस.)	13-Nov-2000	17-May-2001
श्रीमती ऊषा शर्मा (आइ.ए.एस.)	17-Jul-2004	24-Jun-2005	श्री बी.एल. आर्य (आइ.ए.एस.)	17-May-2001	15-Jan-2002
श्री बी.पी. आर्य (आइ.ए.एस.)	27-Jun-2005	15-Jul-2005	श्री एम.के. खन्ना (आइ.ए.एस.)	15-Jan-2002	9-Aug-2002
श्री परमेश चन्द्र (आइ.ए.एस.)	16-Jul-2005	31-Jul-2005	श्री अतुल शर्मा (आइ.ए.एस.)	13-Aug-2002	31-May-2003
श्री (डॉ) ललित के. पंवार (आइ.ए.एस.)	1-Aug-2005	20-Jan-2006	श्री कुलदीप शर्मा (आइ.ए.एस.)	31-May-2003	15-Jun-2005
श्री अजयपाल सिंह	21-Jan-2006	20-Dec-2008	श्री नरहरि शर्मा (आइ.ए.एस.)	21-Jun-2005	17-Sep-2005
श्रीमती आर.आर. हल्दिया (आइ.ए.एस.)	22-Dec-2008	16-Oct-2009	श्री ए.के. हेमकार (आइ.ए.एस.)	17-Sep-2005	9-May-2006

‘अध्यक्ष’			‘आवासन आयुक्त’		
नाम	कब से	कब तक	नाम	कब से	कब तक
श्री अशोक सम्पतराम (आइ.ए.एस.)	17-Oct-2009	28-Oct-2009	श्री सोहन लाल (आइ.ए.एस.)	9-May-2006	7-Apr-2007
श्री ललित कोठारी (आइ.ए.एस)	29-Oct-2009	21-Nov-2011	श्री सी.एम. मीणा (आइ.ए.एस.)	7-Apr-2007	18-Feb-2008
श्री परसराम मोरदिया	21-Nov-2011	16-Dec-2013	श्री अजय सिंह (आर.ए.एस.)	18-Feb-2008	30-Jul-2008
श्री जी.एस. सन्धू (आइ.ए.एस)	19-Dec-2013	23-Dec-2013	श्री तपेन्द्र कुमार (आइ.ए.एस.)	30-Jul-2008	18-Jun-2009
श्री डी.बी गुप्ता (आइ.ए.एस)	23-Dec-2013	7-Jun-2014	श्री आशीष बहुगुणा (आइ.ए.एस.)	18-Jun-2009	24-Aug-2009
श्री अशोक जैन (आइ.ए.एस)	7-Jun-2014	5-Feb-2016	श्री पवन गोयल (आइ.ए.एस.)	24-Aug-2009	09-May-2012
श्री ओ.पी.मीणा (आइ.ए.एस.)	5-Feb-2016	1-Jul-2016	श्री टी. रविकान्त (आइ.ए.एस.)	10-May-2012	28-Sept- 2012
श्री ए.मुखोपाध्याय (आइ.ए.एस.)	1-Jul-2016	5-May-2017	श्री नीरज के. पवन (आइ.ए.एस.)	01-Oct.-2012	19-Feb-2013
श्री उमेश कुमार (आइ.ए.एस.)	10-May-2017	6-Oct-2017	आर. वेकंटेश्वरन (आइ.ए.एस.)	19-Feb -2013	12-Feb-2014
श्री श्रीचन्द्र कृपलानी	16-Oct-2017	13-Nov-18	श्री आनन्द कुमार (आइ.ए.एस.)	12-Feb-2014	24-Jun-2015
श्री डी.बी गुप्ता (आइ.ए.एस)	13-Nov-18	03-Jan-19	श्री ओम प्रकाश सैनी (आइ.ए.एस.)	24-Jun-2015	5-Feb-2016
श्री रजत मिश्रा (आइ.ए.एस)	03-Jan-19	12-Feb-19	श्री ओ.पी.मीणा (आइ.ए.एस.)	5-Feb-2016	1-Jul-2016
श्री भास्कर ए. सावंत (आइ.ए.एस)	13-Feb-19	07-May-21	श्री ए.मुखोपाध्याय (आइ.ए.एस.)	1-Jul-2016	5-May-2017
श्री शांति धारीवाल	07-May-21	लगातार	श्री डा.के.बी.गुप्ता (आइ.ए.एस.)	10-May-2017	28/2/2018
			श्री पी.बी. यशवन्त (आइ.ए.एस.)	28/2/2018	7-May-2018
			श्री रोहित गुप्ता (आइ.ए.एस.)	7-May-2018	8-Jul-2018
			श्री पी.बी. यशवन्त (आइ.ए.एस.)	16-Jul-2018	28-Dec-2018
			डा. रवि कुमार सुरपुर (आइ.ए.एस.)	28-Dec-2018	05-Mar-2019
			श्री सुबीर कुमार (आइ.ए.एस)	05-Mar-2019	27-June-2019
			श्री पवन अरोड़ा (आइ.ए.एस)	27-June-2019	लगातार

राजस्थान आवासन मंडल का नेटवर्क :



बोर्ड की योजनाएं जालौर एवं करौली जिला मुख्यालय को छोड़कर बाकी सभी जिला मुख्यालयों सहित 67 शहरों/कस्बों में विस्तारित हैं।

कोचिंग हब, प्रताप नगर, जयपुर



विधायक आवास परियोजना



राजस्थान आवासन मण्डल

'आवास भवन' जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर-302005 राजस्थान (भारत)
ईपीएबीएक्स - 0141-2740812, 2740113, 2740614 फैक्स - 0141-2740175

Website: www.urban.rajasthan.gov.in/rhb ; E-mail: info.rhb@rajasthan.gov.in